लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र
Ninth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit, Parliament Library
Fumigated
On 24-8-92

[खंड 33 म अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXIII contains Nos. 11 to 20]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

46 LSS/73—1

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 19, गुरुवार, 6 दिसम्बर, 1973/15 अग्रहायण 1895 (शक)

No. 19, Thursday, December 6, 1973/Agrahayana 15, 1895 (Saka)

ता० प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
362.	इस्पात के नये अवरोधन मूल्य	New Steel Retention Prices . .	1
364.	अत्यधिक मजबूत विरूप छड़ों का उत्पादन	Production of High Strength Deformed Bars.	4
366.	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त पटना द्वारा बोकारो इस्पात लि० में और उसके आस पास उद्योगों का सर्वेक्षण	Survey of Industries in and around Bokaro Steel Ltd. by R.P.F.C. Patna	5
369.	संयुक्त राष्ट्र चार्टर को नया रूप देना	Recasting of U.N. Charter .	7
372.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा प्लास्टिक घड़ियों का निर्माण	Manufacture of Plastic Watches by H.M.T.	9
373.	रूस से इस्पात का आयात	Steel Import from USSR . . .	10
374.	बोकारो इस्पात संयंत्र में संगणक लगाना	Installation of Computer at Bokaro .	11
379.	बंगलौर परियोजना में इस्पात की छड़ों का उत्पादन	Manufacture of Steel Bars in Bangalore Project	13
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० सं० S. Q. No.			
363.	आयुद्ध कारखानों के अधीन चल रहे स्कूल	Schools Run under Ordnance Factories.	15
365.	हैदराबाद में ईंधन संयंत्र की स्थापना	Setting up of a Fuel Plant at Hyderabad	16
368.	शिमला और दिल्ली शिखर सम्मेलनों के पश्चात् सीमा पर तनाव में कमी	Decrease in Border Tension After Simla and Delhi Summits . . .	16

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
370.	ट्रैक्टरों में आत्म-निर्भरता	Self Sufficiency in Tractors . .	16
371.	भारत में ठहरने वाले विदेशियों एवं विदेशों से आने वाले भारतीय राष्ट्रिकों को स्कूटरों का आवंटन	Allotment of Scooters to Foreigners in India and Indian Nationals Returning from Abroad . . .	17
375.	डाक श्रमिक एसोसियेशन, कलकत्ता से ज्ञापन	Memorandum from Dock Sramik Association, Calcutta	18
376.	पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लघु इस्पात संयंत्र	Mini Steel Plants in West U.P. .	18
377.	पत्रकारों के मजूरी बोर्ड के निर्देश पद	Terms of Reference of Wage Board for Journalists . . .	19
378.	मैसे फरगुसन ट्रैक्टरों की मांग	Demand for Massey Ferguson Tractors	19
380.	मारुति लिमिटेड को आवंटित भूमि	Land Allotted to Maruti Limited .	19
382.	तांबा और जस्ता के लिये भारत-रूस समझौता	Indo-Soviet Pact for Copper and Zinc	20
अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.			
3592.	अल्यूमीनियम उत्पादों के बिक्री मूल्य	Selling Prices of Aluminium Products .	20
3593.	केरल की एच० एम० टी० फैक्टरी में विकास कार्य	Development Works at HMT Factory in Kerala	20
3594.	भारी इंजीनियरी उद्योग की समस्याओं के लिए एक उच्च स्तरीय समिति	High Power Committee on Problems of Heavy Engineering Industry .	21
3595.	सेवा मुक्त भूतपूर्व सैनिकों को उपलब्ध किया गया रोजगार	Service provided to Released Ex-servicemen	22
3596.	मध्य प्रदेश में भारी उद्योग स्थापित करने के लिये आवेदन-पत्र	Applications for Setting up Heavy Industries in M.P.	23
3597.	भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा निर्यात के लिये जारी किया गया ढलवां लोहा	Cast Iron Released by Bhilai Plant for Export	23
3598.	गोलियों (पैलेट) के रूप में लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore in the form of Pellets	23
3599.	मध्य प्रदेश में पाये गये कोयला भंडारों का निकाला जाना	Exploitation of Reserves of Coal found in Madhya Pradesh	23
3600.	मध्य प्रदेश में खनिज निक्षेप	Mineral Deposits in Madhya Pradesh	24
3601.	राज्यों को कोयले की सप्लाई	Coal Supply to States	24
3602.	भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार की वार्षिक दर	Annual Rate of Employment of Ex-servicemen	24

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3603.	सीमा सड़क संगठन में छटनी	Retrenchment in border Road Organisation	25
3604.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० और हैवी इलैक्ट्रिकल्स इंडिया लि० का विलय	Merger of B.H.E.L. and H.E.I.L.	25
3606.	लंदन तथा वाशिंगटन में इंडिया सप्लाई मिशनों के प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति	Appointments of Heads of India Supply Missions in London and Washington . .	26
3607.	आपात-कमीशन प्राप्त अधिकारियों की नियमित कमीशन में पदोन्नति और उनकी वरिष्ठता	Seniority and promotion of Emergency Commissioned Officers in Regular Commission	27
3608.	रक्षा प्रतिष्ठानों में असैनिक कर्मचारियों को वेतन वृद्धियां देना	Grant of Increments to Civilian Employees in Defence Installations .	27
3609.	उर्वरकों के आयात के लिए विदेशों से बातचीत	Negotiations with Foreign Countries for Import of Fertilizers . .	28
3610.	राउरकेला इस्पात संयंत्र के मुख्य इंजीनियर पर भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का आरोप	Alleged Nepotism and Corruption charges against Chief Engineer of Rourkela Steel Plant . . .	29
3611.	जी० आई० शीट्स की कमी	Shortage of G.I. Sheets . – .	29
3612.	खनिज और तेल संसाधनों का पता लगाने के लिए रूसी सहायता	Soviet Assistance for search of Mineral and Oil Resources	30
3613.	इस्पात कारखानों को कोयला भेजने और कोयला वितरण के लिये समिति	Committee for Transportation and distribution of coal to Steel Plants .	31
3614.	कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये राज्यों में नियुक्त सेना पर व्यय	Expenditure on Army deployed in states to maintain Law and Orders	32
3615.	राज्यों को लोहे और इस्पात के माल का नियतन	Allocation of Iron and Steel Material to States . . .	33
3616.	देश की रक्षा के बारे में रक्षा मंत्री के वक्तव्य	Statements by Defence Minister regarding Defence of the country .	33
3617.	केरल द्वारा मांगे गए इस्पात की मात्रा	Quantity of Steel Demanded by Kerala	33
3618.	दिल्ली प्रशासन द्वारा कारों और स्कूटरों का आवंटन	Allotment of Cars and Scooters by Delhi Administration . . .	34
3619.	यूनाइटिड आयरन एंड स्टील वर्कर्स यूनियन से अभ्यावेदन	Representation from United Iron and Steel Workers' Union . – .	34
3620.	रूसी "सैम" प्रक्षेपणास्त्र	Russian Sam Missiles .	35

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3621.	स्टाकहोम में भारतीय मिशन के दूसरे सचिव के लिये नया निवास	New Residence for second Secretary in Indian Mission at Stockholm	35
3622.	गैर-कोककर कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण किये जाने की तिथि को 500 अंशधारियों वाली खनन कम्पनियों की संख्या	Mining Companies with 500 Shareholders on dates of nationalisation of non-coking coal mines . . .	36
3624.	अजीक्कल पत्तन केरल का जल-वैज्ञानिक सर्वेक्षण	Hydrographic Survey at Azhikkai Port Kerala . .	36
3625.	पांचवीं योजना के दौरान लद्दाख में सड़कों के लिये धनराशि का आवंटन	Amount allotted for roads in Ladakh during Fifth Plan	37
3627.	आर्थर एंड बटलर वैगन मैन्यु-फैक्चरिंग यूनिट, मुजफ्फरपुर और कलकत्ता तथा मोकामाह स्थित ब्रिटेनिया के कारखानों को सरकारी नियंत्रण में लाने के बारे में समझौता	Agreement regarding take over of Arthur and Butler Wagon Manufacturing Unit, Muzaffarpur and Britannia's Unit at Calcutta and Mokameh	37
3628.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हड़तालों पर रोक	Ban on strikes in Public Undertaking .	37
3629.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की परा-मर्शदात्री सेवायें	HMT Consultancy Services	37
3630.	पत्रकारों के लिए सांविधिक सुरक्षा	Statutory protection to Newsmen	38
3631.	उत्तर प्रदेश में ट्रेक्टर कारखाना	Tractor Factory in U.P. . . .	38
3632.	गुजरात में बाक्साइट का पता लगाना	Bauxite discovered in Gujarat .	38
3633.	रीवां में एक ट्रेक्टर कारखाने की स्थापना करना	Setting up a Tractor Factory in Rewa	39
3634.	मारुति लिमिटेड को छोटी कार के लिए इंजन	Engine for Small Car by Maruti Limited	39
3635.	रत्नागिरि एल्यूमिनियम परियोजना के लिये निर्धारित धन राशि का कोरबा एल्यूमीनियम परियोजना को दिया जाना	Diversion of funds earmarked for Ratanagiri Aluminium Project to Korba Aluminium Project . .	39
3636.	अल्जीयर्स में गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन में भारत द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव	Proposals presented by India at non-aligned Nations Conference in Algiers	40

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3637.	हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा मीटर गैज-डीज़ल विद्युत् इंजनों के लिये 'ट्रांजिशन रिले' का निर्माण	Manufacture of Transition Relay for Meter Gauge Diesel/Electric Locomotives by HEIL	40
3638.	स्पंज लौह संयंत्र	Sponge Iron Plants . .	41
3639.	केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक निजी क्षेत्रों में सैनिक सेवा के अधिकारियों को रोजगार	Employment of Service Officers in Central Government, State Governments, Public/Private Sectors . .	41
3640.	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयोग, पटना द्वारा बरौनी तेल-शोधक कारखाने के आस-पास के प्रतिष्ठानों का सवक्षण	Survey of Establishments around Barauni Oil Refinery by RPFC, Patna	41
3641.	झुमरीतिलैया, जिला हजारीबाग के अभ्रक खानों के श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी का भुगतान न करना	Non-payment of Minimum Wages to Mica Miners in Jhumritilaiya, District Hazaribagh	42
3642.	झुमरीतिलैया, रामगढ़ और आसनसोल क्षेत्र स्थित खानों में सुरक्षा उपायों को लागू करना	Enforcement of Safety Measures by Mines at Jhumritilaiya, Ramgarh and Asansol . . .	42
3643.	मैसर्ज बोकारो स्टील लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Employees of M/s. Bokaro Steel Limited	43
3644.	सशस्त्र कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु अनुवाद और उसके जांच कार्य के लिए मंजूर किये गये कर्मचारी	Sanctioned Staff for Translation and Revision Work for Training Armed Personnel . – .	43
3645.	चीन और पाकिस्तान के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान	Cultural Exchanges with China and Pakistan . .	43
3646.	राउरकेला इस्पात संयंत्र में उत्पादन	Production in Rourkela Steel Plant	44
3647.	अरब-इजराइल सेना द्वारा प्रयुक्त शस्त्र	Arms used in Arab Israel Army	45
3648.	अरब देशों को भारतीय समर्थन के सिद्धान्त	Principles of India's Support to Arab Countries – .	45
3649.	रक्सोल (बिहार) में भूतपूर्व रेजीडेंट दफ्तर का उपयोग	Utilisation of Erstwhile Resident Office at Raxaul (Bihar)	46

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3650.	चम्पारन, बिहार में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को भूमि का स्वामित्वाधिकार	Land Ownership Right to East Pakistan Refugees in Champaran, Bihar	46
3651.	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में इन्गोट्स का उत्पादन	Production of Ingots at Durgapur Steel Plant	46
3652.	पांचवीं योजना में ट्रैक्टर बनाने के कारखाने	Tractor manufacturing units	47
3653.	सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पत्रकारों के लिये मजूरी-बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करना	Supreme Court Judge as Chairman of Wage Board for Journalists	47
3654.	बर्न श्रमिक यूनियन, हावड़ा से प्राप्त ज्ञापन	Memorandum from Burn Sramik Union, Howrah	47
3655.	श्रम मंत्रालय में आर्थिक/सांख्यिकीय अन्वेषकों को स्थायी करना	Confirmation of Economic/Statistical Investigators in Ministry of Labour	48
3656.	श्रम ब्यूरो के कम्प्यूटरों की ओर से अभ्यावेदन	Representation from Computors in Labour Bureau . . .	48
3657.	इच्छापुर आयुध कारखाना मजदूर यूनियन से बियुअर्स ग्रेड 'बी' के संबंध में ज्ञापन	Memorandum received from Ichapur Ordnance Factory Mazdoor Union regarding Viewers grade 'B' .	48
3658.	गोरेपुर कन्टेनर्स एंड क्लोजर्स लिमिटेड, नई हट्टी के कर्मचारियों की बकाया राशि की अदायगी	Payment of arrears of workers of Gowrepore Containers and closures Ltd,, Naihati.	49
3659.	कलकत्ता श्रमिक बोर्ड के अधीन गोदी श्रमिकों की मजूरी नियत करने विषयक समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee on fixation of wages of dock workers under Calcutta Labour Board . . .	49
3660.	भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा युगांडा में छोड़ी परिसम्पत्तियों का मूल्य	Value of Assets left over in Uganda by Indian Nationals . .	49
3661.	सिंध से आये शरणार्थियों की जीवन निर्वाह परिस्थितियां	Living conditions of refugees from Sind . . .	50
3662.	कलकत्ता पत्तन के छंटाई और रंग-रोगन कर्मचारियों से प्राप्त ज्ञापन	Memorandum from Chipping and Painting workers of Calcutta Port . .	50
3663.	आयुध डिपो, अलीपुर-कलकत्ता के अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोप	Allegations against officers of Ordnance Depot Alipore, Calcutta	51

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3664.	राज्य सरकारों द्वारा बागानों में कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति	Employment of Welfare Officers in Plantations by State Governments	52
3665.	बैलाडिला खानों की पेलेटाइजेशन की योजना	Pelletisation Scheme of Bailadila Mines	52
3666.	दोनिमलई खानों की पेलेटाइजेशन की योजना	Pelletisation Scheme of Donimalai Mines	52
3667.	किरिबुरु खान का विस्तार	Expansion of Kiriburu Mine	53
3668.	बैलाडिला लौह-अयस्क परियोजना निक्षेप संख्या 5 (मध्य प्रदेश) की प्रगति	Progress of Bailadila iron Ore Project Deposit No. 5 (M.P.)	53
3669.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को कुल हानि	Cumulative Loss to HSL	54
3670.	आंध्र प्रदेश में भारी उद्योग	Heavy Industries in Andhra Pradesh	54
3671.	आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में रोजगार से निकाले गये खान मजदूर	Mine Workers thrown out of employment in Srikakulam District of Andhra Pradesh	55
3672.	भारत गोल्ड माइंस का विविधिकरण कार्यक्रम	Diversification Programme of Bharat Gold Mines	55
3673.	लोह-स्क्रैप पर आधारित इलैक्ट्रिक आर्क फरनेस	Ferrous Scrap Based Electric Arc Furnaces	56
3674.	आत्म निर्भरता के लिये नौसैनिक आयोजनाओं का विस्तार	Expansion of Naval Plans for Self Reliance	57
3675.	वस्तु-विनियम पद्धति के आधार पर इस्पात का आयात	Import of Steel on Barter System	57
3676.	पंजाब में कोयले की कमी	Coal Shortage in Punjab	57
3677.	आंध्र प्रदेश में कम मापमान वाला कारबोनाइजेशन संयंत्र	Low Temperature Carbonisation Plant in Andhra Pradesh	58
3678.	लौह-अयस्क का उत्पादन	Production of Iron Ore	58
3679.	मजूरी तथा लाभ को उत्पादिता के साथ सम्बद्ध करना	Linking of Wages and Profits with productivity	59
3680.	कोयले के नये निक्षेप	New Coal Deposits	59
3681.	जबलपुर आर्डनेंस डिपो को सरकारी क्षेत्र की फर्म के रूप में बदला जाना	Converting of Jabalpur Ordnance Depot into a Public Sector Firm	59
3682.	पुनर्वास निदेशालय द्वारा आत्मनिर्भरता के लिये वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं को दी गई सुविधायें	Facilities offered by Directorate of Resettlement to War Widows for Self Reliance	60

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3683.	श्री लियोनिद ब्रजनेव की नई दिल्ली की यात्रा	Visit by Mr. Leonid Brezhnev to New Delhi	60
3684.	युगांडा से आये भारतीय नागरिकों द्वारा दर्ज किये गये सम्पत्ति संबंधी दावे	Property claims filed by Indian Nationals repatriated from Uganda	61
3685.	रेलवे माल डिब्बों की कमी के कारण उड़ीसा की लोहे की खानों में कार्य बंद होना	Stoppage of work in Orissa Iron Mines for want of Railway Wagons	61
3686.	बिहार में स्कूटर कारखाना	Scooter Factory in Bihar .	61
3687.	खनिज पदार्थों का कम उत्पादन	Low output of Minerals	62
3688.	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का विस्तार	Expansion of Durgapur Steel Plant	62
3689.	कोयला खानों का पुनर्गठन	Reorganisation of Coal Mines .	63
3690.	जनसंख्या के आधार पर रक्षा कर्मचारियों की राज्यवार भर्ती	Recruitment of Defence personel Statetewise on basis of Population . .	63
3691.	राष्ट्रीयकृत कोयला उद्योग के लिये पौलेण्ड से मशीनें	Polish Machinery for Nationalised Coal Industry	63
3692.	इस्पात के उत्पादन में वृद्धि तथा कमी	Rise and Fall in Steel Production .	64
3693.	रक्षा मंत्रालय द्वारा सामान की खरीद	Stores purchased by Ministry of Defence	65
3694.	राज्यों में 1972-73 में नये नाम दर्ज कराने वाले बेरोजगार व्यक्ति तथा उनको रोजगार की व्यवस्था	Newly Registered Unemployed in States in 1972-73 and their Placement	65
3695.	इस्पात मूल्य निर्धारण संबंधी नई नीति से इस्पात उपभोक्ताओं को लाभ	Benefit to Steel Consumers by New Steel Pricing Policy	65
3696.	महाराष्ट्र के सिंचाई और विद्युत विभाग के लिये इस्पात	Steel for Irrigation and Power Department of Maharashtra . .	66
3697.	पुलों तथा इमारतों के लिये महाराष्ट्र को इस्पात का आवंटन	Steel allotment to Maharashtra for Bridges and Buildings . . .	66
3698.	पश्चिम बंगाल में डालमिया समूह की कोयला खानों में तालाबन्दी	Lock out in coal Mines of Dalmia Group in West Bengal .	67
3699.	रत्नगिरि एल्यूमीनियम संयंत्र के लिये हंगरी की एक फर्म के साथ परामर्श करने संबंधी करार	Consultancy contract with Hangarian Firm for Ratnagiri Aluminium Plant	67

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3700.	अरब इजरायल युद्ध के दौरान भारत द्वारा अरब देशों की सहायता	India's help to Arab countries during Arab Israel conflict	67
3701.	अन्य देशों के साथ भारत के राजनयिक संबंध	India's diplomatic relations with other countries	68
3702.	जिंक लोपित टीन की चादरों का वितरण	Distribution of Zinc coated tin sheets	68
3703.	फिलिस्तीन, स्वतन्त्रता संगठन को मान्यता देने के बारे में अल्जीयर्स का संकल्प	Algiers Resolution about Recognition to Palestinian Liberation Organisation	68
3704.	भारतीय सेना के पुंछ यूनिट से पाकिस्तानी जासूस द्वारा चुराई गई फाइल	File stolen by Pakistan spy from Indian Army Unit in Poonch .	69
3705.	रेक्टीफायर बनाने वाले उपकरणों तथा तकनीकी जानकारी का निर्यात	Export of Rectifier Manufacturing equipment and know how . .	69
3706.	मजदूर एकता युनियन, सुन्दरनगर, हिमाचल प्रदेश से ज्ञापन	Memorandum from Mazdoor Ekta Union Sundernagar, Himachal Pradesh	69
3707.	आयकर तथा श्रमिकों को देय छंटनी मुआवजे और अन्य मामलों के बारे में अभ्यावेदन	Representation regarding Income Tax and Retrenchment Compensation Payable to workers and other matters	70
3708.	भविष्य निधि लेखों से धन निकालने के लिये नियमों को उदार बनाया जाना	Liberalisation of Rules for withdrawals from Provident Fund Accounts	70
3709.	सुखाय-7 लड़ाकू बमवर्षक विमानों की मरम्मत तथा ओवरहालिंग	Servicing and overhauling of Sukhoi-7 Fighter Bomber Aircraft . .	71
3710.	किरकी के गोला-बारूद कारखाने में हुये विस्फोट की जांच रिपोर्ट	Enquiry Report about explosion in Kirkee Ammunition Factory .	71
3711.	चीनी-श्रमिकों के मजूरी ढांचे में समानता लाया जाना	Uniformity in Wage structure of Sugar workers .	72
3712.	वर्ष 1971 में जम्मू तथा कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा अधिकृत भारतीय क्षेत्र से आये शरणार्थी	Refugees from Indian territory held by Pakistan in 1971 in Jammu and Kashmir . . .	72
3713.	प्रधान मंत्री द्वारा औद्योगिक शांति के लिये अपील	P.M.'s appeal for Industrial Peace	73
3714.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के पिंजौर यूनिट हरियाणा में हड़ताल	Strike in H.M.T. Pinjore Unit Haryana	73

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3715.	उज्जैन की मिलों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि का जमा कराया जाना	Deposit of Arrears of E.P.F. by Ujjain Mills	74
3716.	मनीपुर और त्रिपुरा के बागान मालिकों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि का जमा कराया जाना	Deposit of Employees Provident Fund by Plantation Owners of Manipur and Tripura	74
3717.	गोरखपुर के निकट भारतीय वायु सेना के विमान का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना	IAF Plane crash near Gorakhpur	74
3718.	मजगांव डाक लिमिटेड, बम्बई में पनडुब्बियों का निर्माण	Manufacture of Submarines in Mazagon Dock Limited, Bombay .	75
3720.	बिहार विद्युत् बोर्ड और पटना राज्य परिवहन निगम में भविष्य निधि लेखों का रखा जाना	Maintenance of Accounts of Provident Fund in Bihar Electricity Board and Patna Rajya Transport Corporation	76
3721.	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार के पास कर्मचारी भविष्य निधि के अधीन दंडरूप हर्जाना लगाने के लंबित मामले	Pending cases of levy of Penal damages under F.P.F. Act with R.P.F.C. Bihar	76
3722.	बिहार और अन्य राज्यों में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधीन सीमेंट फैक्टरियों तथा निजी इलैक्ट्रिक कम्पनियों को लाना	Coverage of cement Factories and Private Electric Companies under E.P.F. Act in Bihar and other States . .	76
3723.	सशस्त्र सेनाओं के रिजर्व सैनिकों को पेंशन का भुगतान	Payment of Pensions to Reservist of Armed Forces . .	77
3724.	फैक्टरी अधिनियम का संशोधन	Amendment of Factory Act	77
3725.	पिछड़े क्षेत्रों में भारी उद्योगों की स्थापना	Setting up of Heavy Industries in backward areas	78
3726.	श्रमिक बल के अनुपात में अप्रत्यक्ष बेरोजगारी	Disguised unemployment proportion of labour Force	78
3727.	पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत भाग को एक प्राविन्स में बदलना	Converting Pak occupied part of Kashmir into a province by Pakistan	78
3728.	विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किये गये हिन्दी पर्यायवाची शब्द	Equivalent Hindi words prepared by Expert Committee . . .	78

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES.
3729.	खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से उर्वरकों का आयात करने संबंधी प्रस्ताव	Proposal to centralise import of fertilisers through MMTC	79
3730.	इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, बुर्नह्यनपुर के राष्ट्रीयकरण का विरोध	Opposition to Nationalisation of IIS Co., Burhanpur	79
3731.	लौह छीलन पर आधारित अनधिकृत इलैक्ट्रिक आर्क भट्टियां	Unauthorised ferrous scrap based electric and furnaces	79
3732.	केरल में तांबे तथा पीतल की कमी	Shortage of copper and brass in Kerala	80
3733.	केरल के लिये सड़क रौलर	Road Rollers for Kerala	80
3734.	मैसर्स कोरस इंडिया लिमिटेड द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि के अपने अंशदान का भुगतान न किया जाना	Non-payment of contributions to E.P.F. by M/s. Kores India Limited	81
3735.	जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन	International peace conference in Geneva	81
3736.	बैंक आफ बड़ौदा और 'आल इंडिया बैंक आफ बड़ौदा एम्पलाईज फेडरेशन' के प्रतिनिधियों के बीच समझौता	Agreement between Representatives of Bank of Baroda and 'All India Bank of Baroda Employees Federation'	81
3737.	गत तीन मास में राज्य में हुई हड़तालें	Strikes in States in Last three months	82
3738.	मेकेंजीज लिमिटेड के कारखाना-श्रमिकों से ज्ञापन पत्र प्राप्त करना	Memorandum from Factory workers of Mackenzies Limited .	83
3739.	दलाई लामा द्वारा यूरोपीय देशों की यात्रा पर चीन की प्रतिक्रिया	Chinese Reaction on visit to European countries by Dalai Lama	83
	ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)	Re. Calling Attention (Query) . .	83
	अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	84
	जापान द्वारा तट-दूर ड्रिलिंग प्लेटफार्म 'सागर सम्राट' विलंब से दिये जाने के कारण हुई हानि का समाचार	Reported loss due to delay in delivery of off-shore Drilling platform 'Sagar Samrat' from Japan	84
	श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ramgopal Reddy	84
	श्री डी० के० बरुआ	Shri D. K. Barooah	86
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	89
	राष्ट्रीय पुस्तकालय विधेयक	National Library Bill .	91
	संयुक्त समिति में सदस्य की नियुक्ति	Appointment of a Member to Joint Committee . . .	91
	कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	91
	34वां प्रतिवेदन	Thirty Fourth Report . .	91

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (दूसरा संशोधन) विधेयक—पुर : स्थापित	National Co-operative Development Corporation (Second Amendment) Bill—Introduced	91
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में (प्रश्न)	Re. Question of Privilege (Query) .	92
नियम 377 के अंतर्गत मामले	Matters under Rule 377 . . .	93
(एक) अखबारी कागज के संबंध में सरकारी नीति का उल्लंघन करते हुए कोचीन से 'इंडियन एक्सप्रेस' का एक और कथित प्रकाशन	Reported publication of a new issue of the Indian Express from Cochin in violation of Government Policy re. Newsprint	93
(दो) मोदी नगर में एक कर्मचारी के अपहरण का समाचार	Reported Kidnapping of a worker at Modi Nagar	93
बर्न कम्पनी और इंडियन स्टेन्डर्ड वैगन कम्पनी (प्रबन्धग्रहण) विधेयक—जारी	Burn Company and Indian Standard Wagon Company (Taking Over Management) Bill—Contd. . .	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider . .	94
श्री दामोदर पांडे	Shri Damodar Pandey .	94
श्री भरत सिंह चौहान	Shri Bharat Singh Chowhan . .	94
श्री नाथूराम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar .	95
श्री टी० ए० पाई	Shri T.A. Pai . .	96
खंड 2 से 15 और 1	Clauses 2 to 15 and 1 .	97
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass . .	101
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta . . .	101
श्री के लकप्पा	Shri K. Lakkappa .	102
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D.N. Tiwary . . .	102
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri .	102
श्री टी० ए० पाई	Shri T.A. Pai . .	103
एलकाक एशडाउन कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अधिग्रहण) विधेयक	Alcock ashdown Company Limited (Acquisition of Undertakings) Bill.	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	103
श्री टी० ए० पाई	Shri T.A. Pai	103
प्रो० मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate . . .	103
श्री पी० आर० शिनाय	Shri P.R. Shenoy	104
श्री एस० पी० भट्टाचार्य	Shri S.P. Bhattacharyya . . .	104
श्री राजा कुलकर्णी	Shri Raja Kulkarni	104
श्री डी० के० पंडा	Shri D.K. Panda	105

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik .	106
श्री भारत सिंह चौहान	Shri Bharat Singh Chowhan	107
डा० कैलास	Dr. Kailas	107
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye . .	108
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh .	108
श्री पोपटलाल एम० जोशी	Shri Popatlal M. Joshi	111
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C.M. Stephen . .	111
श्री टी० ए० पाई	Shri T.A. Pai . .	111
खंड 2 से 12 और 1	Clauses 2 to 12 and 1 . . .	113
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass . .	118
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri .	118
श्री टी० ए० पाई	Shri T.A. Pai . . .	119

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 6 दिसम्बर, 1973/15 अग्रहायण 1895 (शक)
Thursday, December 6, 1973/Agrahayana 15, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

इस्पात के नये अवरोध मूल्य

*362. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन**† :
श्री सरजू पांडे :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शीघ्र ही इस्पात के नये अवरोधन मूल्यों की घोषणा करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) उत्पादिता, लागत तथा पूंजी निवेश को ध्यान में रखते हुये मुख्य इस्पात कारखानों के लिये विभिन्न प्रकार के इस्पात के प्रतिधारण मूल्य निश्चित करने के लिये एक अन्तंमंत्रालय समिति बनाई गई है। आशा है कि समित अपनी रिपोर्ट अगले महीने प्रस्तुत कर देगी।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : श्रीमान्, अन्तंमंत्रालय समिति द्वारा निर्णय लेते समय किन-किन पहलुओं पर विचार किया जायेगा ? इस्पात के खुदरा मूल्यों में संशोधन करने के लिये ऐसी समिति नियुक्ति करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : श्रीमान्, जैसा कि सभा को पता है गत पांच वर्षों में इस्पात का खुदरा मूल्य 170 रुपये प्रति टन रहा है जबकि इस्पात उत्पादक यह मांग करते आ रहे थे कि यह मूल्य बढ़ाकर 350 रुपये प्रतिटन कर दिया जाये। क्योंकि मंजूरी और उत्पादन लागत में बहुत वृद्धि हो गई थी। हाल ही में इस्पात के खुदरा मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि की अनुमति हमने दे दी है। हमने यह भी निर्णय किया है कि इस्पात का प्रतिधारण मूल्य रखने के बाद इस्पात संयंत्र

46 LSS/73—2

फालतू राशि केन्द्रीय निधि में दे दें और यह राशि योजना आयोग के परामर्श से इस्पात उद्योग के विस्तार और विकास पर खर्च की जायेगी। इसलिये प्रतिधारण मूल्य निर्धारित करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई, जिसके निम्नलिखित निर्देश-पद हैं :

(1) प्रत्येक संयंत्र की क्षमता, कच्चे माल की स्थिति और उसकी कुल उत्पादन-क्षमता को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक संयंत्र की वास्तविक क्षमता और उत्पादन लागत के सिद्धान्त निर्धारित करना ;

(2) मरम्मत और रख-रखाव के लिये ह्रास की दर निर्धारित करना ताकि संयंव को धन उपलब्ध होता रहे ;

(3) मुद्रास्फीति-वृद्धि को ध्यान में रखते हुये पूंजी पर रिटर्न की दर निर्धारित करना ;

(4) प्रतिधारण मूल्य निर्धारित करना और यह निश्चित करना कि ये मूल्य कब तक चलेंगे ;

(5) लागत में कमोवेशी और अन्य संबंध पहलुओं को ध्यान में रखते हुये प्रतिवर्ष प्रतिधारण मूल्य निर्धारित करने का सूत्र निर्धारित करना।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : हाल ही में मूल्यों में वृद्धि दो बार की गई है जुलाई, 1972 में और सितम्बर, 1973 में। प्रतिधारण मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच जो अन्तर है, उसमें से कितनी राशि वर्ष 1972-73 में उद्योग के विस्तार और आधुनिकीकरण और पूंजी निवेश पर खर्च की गई ?

श्री टी० ए० पाई : प्रतिधारण मूल्य में वृद्धि के परिणामस्वरूप मूल्य में जो वृद्धि हुई, वह इतनी नहीं थी कि उससे इस्पात उद्योग के विकास और बिस्तार पर भी खर्च किया जा सकता ; उससे तो खच में हुई वृद्धि को ही पूरा किया जा सका।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : इसका मतलब यह हुआ कि यह नीति संबंधी निर्णय स्टील एथोरिटी आफ इण्डिया की स्थापना के बाद गत वर्ष किया गया और इस बीच सरकार को फालतू राशि के रूप में कुछ भी नहीं मिला।

श्री टी० ए० पाई : माननीय सदस्य की यह बात तो ठीक है कि यह निर्णय उक्त संस्था की स्थापना के बाद लिया गया। किन्तु यह निर्णय 15 अक्तूबर को लिया गया इसलिये फालतू राशि इसके बाद ही एकत्र होगी।

श्री डी० एन० तिवारी : इस्पात के मूल्यों में हुई वृद्धि का कारण यह है कि संयंत्रों को पूरी उत्पादन का उपयोग नहीं हुआ जिससे खर्च में वृद्धि हुई तथा दूसरे, हड़ताल आदि के कारण भी काम बंद हुआ। क्या सरकार अपनी गलतियों या श्रमिकों की गलतियों के लिये उपभोक्ता को दंडित करना चाहती है ?

श्री टी० ए० पाई : इस्पात की कमी के लिये मैं नहीं चाहता कि उपभोक्ता को दंडित किया जाये। मैं आशा करता हूं कि इस्पात उद्योग में अधिष्ठापिता क्षमता का पूर्ण उपयोग होगा और हमें अपेक्षाकृत अधिक लाभ होगा ? किन्तु विद्यमान स्थिति यह है कि मांग अधिक है और उत्पादन कम है और इसमें हमने ऐसी व्यवस्था की है जिसके अनुसार वह लाभ, जो बिचौलियों को जाता है, उद्योग को ही पूंजी-निवेश के रूप में वापस मिलने लगे जिससे उद्योग का बिकास हो।

Shri Madhu Limaye : Sir, the Minister said that a lot of resources and capital is required to increase the production of steel. He also announced that there will be dual selling prices for steel—less for essential works and more or non-essential ones. I

would like to invite the attention of the hon. Minister to the cases of M/s. Standard Drum M/s. Bharat Barrels, M/s. Hind Galvanizing who sold their quota, available to them at controlled price, in blackmarket and earned a lot of money out of that. I request the Minister to ask the Minister of Finance to impose heavy tax on these firms and utilise the money so extracted in increasing the steel production.

श्री टी० ए० पाई : इस्पात के बिक्री मूल्य खुले बाजार में बहुत अधिक है। चूंकि कोटे का इस्पात कम मूल्य पर मिलता है इसलिये उसे काले बाजार में बेचने का लालच आ जाता है और इससे वास्तविक उपभोक्ता उससे वंचित रह जाते हैं। इस दृष्टि से हमें मूल्य को वास्तविक स्तर पर लाना होगा। आज भी आयातित इस्पात का मूल्य बहुत अधिक है। हमने कालेबाजार के मूल्यों और आयातित इस्पात के मूल्यों को ध्यान में रखते हुये बीच के स्तर पर मूल्य निर्धारित किये हैं। ऐसे मूल्य निर्धारित करने में अभी कुछ समय लगेगा जिससे कालेबाजार में मूल्य बेचने से कम से कम लाभ हो।

Shri Madhu Limaye : Sir, I asked about the profit earned by some firms in the past and to extract the same for utilising it in the steel industry.

अध्यक्ष महोदय : आप मूल प्रश्न से बहुत हट गये हैं।

श्री टी० ए० पाई : माननीय सदस्य कुछ उपाय सुझायें।

श्री मधु लिमये : आयकर विभाग को आयकर अधिनियम के अन्तर्गत पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य माननीय मंत्री से व्यर्थ की बहस न करें।

Shri Bibhuti Mishra : I would like to know whether government will earmark the quota of steel for farmers at cheaper price, so that they may be able to increase agricultural production and thereby help in removing poverty.

Mr. Speaker : Shri Madhu Limaye and you have made this question a general one.

श्री टी० ए० पाई : दोहरा मूल्य निर्धारित करते समय इस बात पर विचार किया गया था कि क्या कुछ उपयोक्ताओं को अन्य की उपेक्षा इस्पात सस्ते मूल्यों पर दिया जा सकता है। किन्तु विचार-विमर्श से यह परिणाम निकला कि इस व्यवस्था से इस्पात सस्ते मूल्य वाले एक क्षेत्र से मंहगे मूल्य वाले क्षेत्र में चला जाया करेगा। इसलिए हमने दोहरी नीति का आधार इस्पात के उपयोग को बनाया जिसके आधार पर सरकारी उपयोग के लिए इस्पात सस्ते मूल्य पर मिलेगा और अन्य उपयोगों के लिए मंहगे मूल्य पर इसी कारण से कृषि उपकरण भी कुछ मंहगे हो सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : सीधा प्रश्न यह था कि क्या कृषकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जायेगा ?

श्री टी० ए० पाई : जी नहीं, मैं यही कहने वाला था कि किसानों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना भी संभव न होगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : In the contest of price hike of steel, I would like to know the fixed price of scrap of steel, as it is being sold in the blackmarket at the price eight to ten times more than its original price. Are you going to increase the price of scrap to earn more on the steel scrap ?

Mr. Speaker : There is no scrap in this question. The Minister thinks that this question is not worth answering.

श्री टी० ए० पाई : सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस्पात संयंत्रों से जो छीलन निकलती है वह स्वयं संयंत्रों द्वारा ही उपयोग में लाई जाये। या इसका निपटान इस ढंग से किया जाये कि उसको काले बाजार में न बेचा जा सके।

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, the Minister did not tell the difference between the two prices.

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने आपके पहले प्रश्न का उत्तर देकर ही बहुत अच्छा किया है। माननीय सदस्य मूल प्रश्न से बहुत दूर जा रहे हैं।

अत्याधिक मजबूत विरूप छड़ों का उत्पादन

*364. **श्री श्रीकिशन मोदी**† :

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यधिक मजबूत विरूप छड़ों के उत्पादन के बारे में सरकार ने विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इनके उत्पादन में कितनी लागत आयेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) संभवतः अभिप्राय कंक्रीट रीइंफोर्समेंट के लिए प्रयुक्त होने वाली विकृत ठंडी मुड़ी हुई छड़ों से है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड, मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड तथा कुछ पुनर्वेलकों द्वारा देश में पहले ही इनका उत्पादन किया जा रहा है। ठंडी मुड़ी हुई विकृत छडों की यील्ड स्ट्रेन्गथ तथा बांड स्ट्रेन्गथ अधिक होती है तथा इनसे सादी गोल साधारण इस्पात की छड़ों की अपेक्षा लगभग 30 प्रतिशत इस्पात की बचत होती है।

(ग) इसकी उत्पादन लागत अपनाई गई प्रौद्योगिकी, स्थापित उपस्करों की किस्म तथा परिचालन के स्केल पर निर्भर करेगी।

Shri Shrikishan Modi : May I know whether the demand of deformed bars is increasing day by day and the price of this type of bars is going up and up; whether its production is short of the requirement and whether this gap will be filled by incerased production to next 5 year Plan ?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : ऐसी मजबूत छड़ों की मांग निर्माण कार्यों के लिए लगभग 15 लाख टन है। इस इस्पात के प्रयोग से लगभग 30 से 40 प्रतिशत तक नरम इस्पात की बचत होगी। अतः ऐसे इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जायेगा।

Shri Shrikishan Modi : I would like to know the details of the distribution system adopted for this type of steel; and whether this system will ensure the proper supply of these bars to needy consumers so that this steel may not go to blackmarket.

श्री टी० ए० पाई : विरूप इस्पात 'डिफोरम्ड् स्टील' को शायद ऐसा इस्पात समझा जाता है जिसे उत्पादन के समय विरूप कर दिया जाता है। वास्तव में यह इस्पात की एक विशेष किस्म है। जहां तक बिक्री का संबंध है, इसका मूल्य निर्धारित कर दिया जायेगा।

Shri R. N. Sharma : What is the cost involved in the production of such steel ?

श्री० टी० ए० पाई : ट्विस्टिंग मशीन की कीमत 60,000 रुपये से 70,000 रुपये, मजबूती लाने वाली मशीन की कीमत 60,000 रुपये और कटाई मशीन की कीमत 50,000 रुपये है। इस प्रकार एक एकक को चालू करने में 4 लाख रुपये की पूंजी लगेगी, जिसमें 4000 टन विरूप इस्पात की छड़ों का उत्पादन होगा। एक टन की लागत मूल्य लगभग 1000 रुपये बैठता है। साधारण इस्पात और इस इस्पात के मूल्य में लगभग 250 रुपये का अन्तर है।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त पटना द्वारा बोकारो इस्पात लि० में और उसके आस पास उद्योगों का सर्वेक्षण

*366. **श्री रोजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो (जिला धनबाद) में बोकारो इस्पात लि० में और उसके आसपास स्थापित उद्योगों के कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के लागू किये जाने की संभावना की जांच करने के प्रयोजन के लिए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त पटना ने कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अधिनियम, की धारा 1(3) के अन्तर्गत आने वाले कारखानों का व्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त अधिनियम की धारा 2-ए के अधीन जिन संस्थानों का निरीक्षण किया गया तथा जो "इंफेंट तथा मार्जिनल" रजिस्टरों में दर्ज हैं, उन कारखानों के नाम क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) भविष्यनिधि प्राधिकारियों से निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित तीन कारखानें/प्रतिष्ठान कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम की धारा 1(3) के अन्तर्गत लाये गये हैं :—

(1) मैसर्स कंसालिडेटिड इंजीनियरिंग कं० (प्रा०) लि०, बोकारो स्टील सिटी, बोकारो।

(2) मैसर्स ब्रिज एंड रूफ कं० इंडिया लि०, बोकारो स्टील सिटी, डाकघर धनबाद।

(3) मैसर्स गार्डन रीच वर्कशाप लि०, बोकारो स्टील सिटी, धनबाद।

(ग) 'इंफेंट तथा मार्जिनल' रजिस्टरों में दर्ज किए गए कारखानों/प्रतिष्ठानों तथा कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम की धारा 2क के अंतर्गत निरीक्षण किए गए प्रतिष्ठानों को एक सूची, जैसी कि भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई है, मेज़ पर रखी गई है।

विवरण

'इंफेंट और मार्जिनल रजिस्टरों' में दर्ज किए गए कारखाने/प्रतिष्ठान और कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम की धारा 2क के अंतर्गत निरीक्षण किए गए प्रतिष्ठान।

क्रम संख्या	प्रतिष्ठान/कारखाने का नाम
1.	टेक्सटाईल मशीनरी कंस्ट्रक्शन लि०, बोकारो स्टील सिटी, बोकारो।
2.	दामोदर एंटप्राजिज़ स्टील सिटी, बोकारो।
3.	सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०, बोकारो स्टील सिटी, बोकारो।
4.	माड्रन इंडिया कंस्ट्रक्शन कं० लि०, बोकारो स्टील सिटी, बोकारो।
5.	न्यू स्टेण्डर्ड इंजीनियरिंग वर्क्स,. बोकारो स्टील सिटी, बोकारो।
6.	बोकारो होटल, बोकारो स्टील सिटी, बोकारो।
7.	अरिविन्द कंस्ट्रक्शन कं० लि०, बोकारो स्टील सिटी, बोकारो।
8.	अल्पना सिनेमा, बोकारो स्टील सिटी, बोकारो।
9.	हिन्दुस्तान स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कं० लि०, बोकारो स्टील सिटी, बोकारो (भारत सरकार का उपक्रम मं० का०, कलकत्ता-22)।
10.	गम्मन्स लि०, बोकारो स्टील सिटी, बोकारो, मु० का० बंबई।

Shri R. P. Yadav : This is an ugly picture of bureaucracy in the form of Provident Fund Commissioner, Patna and his Head Clerk. This issue was raised in the House as well. I thank the hon'ble Minister that he has transferred both of them. But I want to know whether an enquiry has been made into the charges levelled against them since they had misused their power and factories have not been covered under Provident Fund Act ?

Shri Balgovind Verma : We are examining it and necessary action will be taken.

Shri R. P. Yadav : Will the hon'ble Minister be pleased to state the names of the factories around Dhanbad in addition to list furnished in the statement which have started production and are not covered by Provident Fund Act ? In case they have not been covered the time by which they will be brought under the purview of the aforesaid Act?

Shri Balgovind Verma : There are some infant or marginal factories which have been noted in the register. This Act has not been enforced as yet. They have been surveyed and the Act will be enforced after three or five years.

Shri R. P. Yadav : May I know the names of factories which have started production and they have not been covered by this Act ?

Shri Balgovind Verma : All these factories have started production but the Act has not been enforced because the period of three or five years has not been completed. There are three such factories and their names are : Messrs Consolidated Engineering Company (P) Ltd., Bokaro, Messers Bridge & Roof Co. India Limited and Messers Garden Reach Workshop Ltd. In addition to these three factories, there is another company which is in the form of a branch of a Company and Act has been enforced on it.

RECASTING OF U. N. CHARTER

***369. Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are taking any appropriate steps in the direction of having the U. N. Charter recast to conform to the present changing situation; and

(b) if so, the broad features thereof ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) भारत सरकार ने बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल, जैसे—सुरक्षा परिषद् और आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् का विस्तार, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन करने के प्रयत्नों का समर्थन किया है। सरकार का विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर समय के साथ चलना चाहिए जिससे कि वह शांति एवं प्रगति की दिशा में प्रभावी एवं गतिशील शक्ति के रूप में बना रहे और सरकार की यह स्वाभाविक इच्छा है कि उसकी विशद समीक्षा की जाए। लेकिन सरकार का ख्याल है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वर्तमान हवा संयुक्त राष्ट्र चार्टर की सामान्य समीक्षा के अनुकूल नहीं है; यह प्रश्न संयुक्त राष्ट्र महासभा की कार्य-सूची पर अब कई वर्षों से है।

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, Sir, our Prime Minister and leaders had participated in the Non-Alligned conference and 50-70 countries had participated in it and recently Mr. Brezhnev has also visited our coutry and I want to know whether the question of making any improvement in the U. N. Charter was discussed in these meetings ? The hon'ble Minister has said that the climate is not suitable, May I know the steps taken to make the climate favourable in these conferences and the result thereof ?

Shri Surendra Pal Singh : The Government have taken adequate steps. I have already stated that we are of the view that the Charter should be amended. We have been discussing this matter at earlier occasions also and many countries endorse our view. U. N. Assembly has set up a committee which is examining this matter. That Committee was set up in 1955 but they feel that unless there is unanimous view especially of five permanent Members of the Security Council, the Charter cannot be but they are of the view that the time is not ripe. We are making efforts in this direction.

Shri Bibhuti Mishra : Sir, Britain never wanted to quit India but we are freedom fighters who fought and forced them to quit. I want to know whether our Government have taken any steps to boycott such U. N. member countries, who are imperialist and who are not in favour of bringing any improvement ? There is one or other country following one of these five countries to secure their favour in the Security Council and we are also inclined towards one of them. Will the Government move a resolution of boycotting these five countries or take any other concrete step in the Non-alligned conference in order to improve the world situation ? I would like to know the step taken to convince the Committee to amend the Charter and if no steps could be taken then should we not boycott.

Shri Surendra Pal Singh : The hon'ble Member has suggested that if nothing could be done then we should boycott. I do not agree with this view. All of us would agree that we can try to bring improvement only when we remain member of the organisation otherwise not. We want that all the Members should agree to amend the Charter and we are making efforts in this direction.

श्री पी० वेंकटसुब्बया : निःसंदेह संयुक्त राष्ट्र महासभा का बायकाट करने के बारे में हमें सोचना भी नहीं चाहिये। परन्तु इस समय चीन ही एक ऐसा एशियाई देश है जो सुरक्षा परिषद् का स्थायी सदस्य है। क्या सरकार ने सुरक्षा परिषद् के सदस्यों की संख्या बढ़ाने की वांछनीयता के बारे में किसी समय विशेषरूप से एशियाई देशों की राय ली है ताकि अधिक एशियाई देश स्थायी सदस्य बनाये जा सकें ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : जब चार्टर में संशोधन कर दिया जायेगा तब इस मामले पर कभी भी विचार किया जा सकता है। जब तक चार्टर में संशोधन नहीं किया जाता, तब तक इस मामले को उठाने का कोई लाभ नहीं होगा ।

प्रो० मधु दंडवते : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि निषेधाधिकार स्थायी सीटों के उपबंधों के कारण तथा अधिक शक्तिशाली और कम शक्ति वाले देशों के बीच विद्यमान अन्तर्राष्ट्रीय वर्ग व्यवस्था के कारण संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की भावना और उसके आधार प्रभावहीन हो रहे हैं क्या सरकार उन सब उपबंधों को परिवर्तित करवाने के लिये प्रयत्न करेगी ताकि संयुक्त राष्ट्र चार्टर की क्रियान्विति को सुनिश्चित किया जा सके ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : हम विश्व संगठन को सुदृढ़ बनाने के पक्ष में हैं और इस प्रयोजन के लिये हम हर संभव प्रयत्न करते रहे हैं। यह ठीक है कि कभी-कभी इस ढंग से काम किये जाते हैं जो संयुक्त राष्ट्र के महत्व को कम करते हैं। हम महसूस करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में ऐसे विषयों पर चर्चा की जाने चाहिये जो समस्त विश्व और संपूर्ण मानवजाति के लिये महत्वपूर्ण हो और उन पर निर्णय किये जाने चाहिये। परन्तु कई बार द्विपक्षीय मामलों का भी समाधान हो जाता है। हम यह नहीं कह सकते कि इसकी कोई संभावना ही नहीं । परन्तु मैं इस बात पर सहमत हूं कि संयुक्त राष्ट्र संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिये हर संभव उपाय किये जाने चाहियें ।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने यह पूछा था कि सरकार तीन विशिष्ट उपबंधों अर्थात् निषेधाधिकार स्थायी सीटों और अंतर्राष्ट्रीय वर्ग व्यवस्था को परिवर्तित करवाने के लिये क्या प्रयत्न कर ही है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : मैं इस बात से सहमत हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं परन्तु इन पर संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर पुनर्विलोकन के समय ही चर्चा की जा सकती है।

Shri Shivnath Singh : Sir, May I know the particular items which our Government sought to be amended ? Whether our Government have selected the items which they want to be amended and would they make necessary efforts in that direction ?

Shri Surendra Pal Singh : The committee referred to by me has written to all the Members asking for their suggestions. We are also examining the matter as to what suggestions should be given.

श्री० के० लकप्पा : जब भी कभी अन्तर्राष्ट्रीय संकट पैदा हुआ है या संघर्ष हुआ है तो यह देखा गया है कि संयुक्त राष्ट्र इस उप-महाद्वीप में अथवा जब भी कभी विकासशील देशों के बीच संघर्ष हुआ है, स्थायी शांति स्थापित करने के लिये हस्तक्षेप करने में असफल रहा है क्योंकि साम्राज्यवादी शक्तियों का संयुक्त राष्ट्र संगठन पर अधिक अंकुश है . . . . .

अध्यक्ष महोदय : कृपया भाषण न दीजिये ।

श्री के० लकप्पा : क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में साम्राज्यवादी देशों के इस नियंत्रण को कम करने के विचार से क्या सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह संगठन सभी संघर्षों में कार्यवाही करने में असफल रहा है, इस संगठन को सुदृढ़ बनाने और विश्व संगठन में कमज़ोर देशों को अधिक प्रतिनिधित्व दिलाने के लिये कोई प्रयत्न किये हैं ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : माननीय सदस्य ने चिन्ता प्रकट की है कि शायद संयुक्त राष्ट्र संगठन का महत्त्व कम होता जा रहा है और बड़ी शक्तियां ऐसे निर्णय कर रही हैं जिनसे संयुक्त राष्ट्र संगठन सुदृढ़ नहीं बनता। जैसाकि मैंने बताया है, हम इस संगठन को सुदृढ़ बनाने की पक्ष में हैं। हम संयुक्त राष्ट्र संगठन से अलग कोई निर्णय लिये जाने के पक्ष में नहीं हैं।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा प्लास्टिक घड़ियों का निर्माण

+

*372. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम मूल्य की प्लास्टिक घड़ियों का निर्माण करने हेतु एक नए कारखाने की स्थापना करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) देश में उनके विपणन की क्या सम्भावनाए हैं, इन घड़ियों का अनुमानित मूल्य क्या है और इस कार्य के लिये किसी देश का सहयोग मांगा गया है; और

(ग) योजना की मुख्य बातें क्या हैं, इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा और कारखाना कहां पर लगाया जाएगा ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) प्लास्टिक के हिस्से-पुर्जे वाली घड़ियां, जिनकी अपेक्षाकृत कम कीमत होने की आशा थी, बनाने का प्रस्ताव अब व्यवहार्य प्रतीत नहीं होता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Sukhdev Prasad Verma: The government has stated that the price of the watches was expected to be low but now the Department has found it not practicable and thus dropped it. I want to know from what point of view it has been done. Whether the cost came about to more or there were certain other factors due to which the idea has been done away with.

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : इस समय प्लास्टिक की घड़ियों का निर्माण स्विटजरलैंड में टिसोट द्वारा किया जा रहा है और उन घड़ियों को टिसोट घड़ियां कहते हैं। इस घड़ी के विकास पर उन्होंने करोड़ों फ्रैंक खर्च किये हैं। इसकी कार्य प्रणाली बड़ी ही जटिल है और उसके लिये बड़े पैमाने पर संशलिष्ट सामग्री प्रयोग में लाई जा रही है। हमारी चर्चा के दौरान हमने पाया कि स्विस लोग न तो कलपुर्जों के निर्माण अथवा संकलन संबंधी प्रोद्योगिक जानकारी ही हमें देना चाहते हैं, और न ही वे इसकी तकनीकी जानकारी देना चाहते हैं। इसलिये यदि हमें इसके लिये केवल उनकी सप्लाई पर ही निर्भर करना पड़ता है, तो मैं समझता हूं कि हम इस काम को हाथ में नहीं ले सकते।

Shri Sukhdeo Prasad Verma : The Government has not given the proper reply to my question but they have stated that we do not have expertise and the Swiss are not prepared to oblige us. I would like to know what the Government propose to train our own experts in this field since it is expected that the plastic watches would cost much less?

श्री टी० ए० पाई : कितना अच्छा होता कि हमारे तकनीशियन ऐसा कर सकते, परन्तु इस समय तो केवल एक स्विस फर्म ही भारी धनराशि खर्च करके इस दिशा में कार्य कर रही है और मैं समझता हूं कि वे इससे अधिकाधिक लाभ उठाने का प्रयास करेंगे।

Shri Ramavatar Shastri: It has been stated that the proposal has been found impracticable and therefore, dropped. But May I know through what source the Government got the inspiration and also how much money had to be spent on the consideration and examination of this proposal?

श्री टी० ए० पाई : अधिक नहीं। यह सुझाव स्विटजरलैंड में एक महासंघ के अध्यक्ष ने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के अध्यक्ष के साथ एक बैठक के समय दिया था कि विभिन्न प्रकार की घड़ियों का निर्माण किया जाना चाहिए। जबकि यह प्रस्ताव बड़ा आकर्षक लगता है क्योंकि प्लास्टिक की घड़ियां स्वयं अधिक महंगी नहीं होतीं और हमारे देश की भांति ही इस देश के लिए भी उसे उपयुक्त समझा गया; तो यह एक अच्छा विचार था। परन्तु अन्ततः जब हमने इस पर होने वाली लागत का अनुमान लगाया और प्रौद्योगिकी भी नहीं मिल सकी तो ये बातें इसकी त्रियान्विति में बाधक बनीं।

Shri Hukam Chand Kachwai: The hon. Minister has stated that a Swiss firm is manufacturing these watches but they do not want to transfer their expertise. May I know whether we would send some persons there to get training and then start manufacturing here in the country?

श्री टी० ए० पाई : यह प्रस्ताव व्यवहारिक मालूम नहीं देता क्योंकि हमारे आदमियों के जाने पर भी वहां कोई अपनी प्रौद्योगिकी देने को तैयार नहीं होगा।

रूस से इस्पात का आयात

+

*373. **श्री मोहम्मद शरीफ :**
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात उत्पादों के आयात के बारे में रूस के साथ हाल में कोई करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है तथा अब तक कितनी प्रगति हुई है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) अक्तूबर, 1973 में सोवियत रूस ने 50,000 टन गर्मबेलित क्वायल की पेशकश की थी जिसके लिए हिन्दुस्तान स्टील लि० ने ठेका दे दिया है। इसमें से 25,000 टन वर्ष 1974 के पूर्वार्ध तथा शेष 25,000 टन 1974 के उत्तरार्ध में सप्लाई किया जाएगा।

श्री मोहम्मद शरीफ : मेल्टिंग स्क्रैप की गंभीर कमी का सामना करने वाले छोटे इस्पात संयंत्रों तथा धमन-भट्टियों की आवश्यकता पूरी करने हेतु क्या सरकार इस्पात की छीलन की आयात करने का विचार कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न सोवियत संघ से आयात के बारे में है परन्तु अब आप छोटे इस्पात संयंत्रों की बात करने लगे।

श्री सेझियान : माननीय सदस्य का यह प्रश्न है कि क्या सरकार का विचार छोटे इस्पात संयंत्रों की आवश्यकता पूरी करने के लिए सोवियत संघ से स्क्रप स्टील का आयात करने का है।

श्री टी० ए० पाई : हमने थोड़ी-सी मात्रा में स्क्रैप का आयात करने का विचार किया है जोकि छोटे इस्पात संयंत्रों की आवश्यकता पूरा न कर सकेगा क्योंकि विश्व भर में छीलन की कमी पड़ती जा रही है।

श्री मोहम्मद शरीफ : क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव है कि सोवियत संघ से अगले वित्त वर्ष में इस्पात का आयात किया जाये ताकि वास्तविक उपभोक्ताओं तथा निर्यात पर आधारित उद्योगों की जरूरत पूरी की जा सके ?

अध्यक्ष महोदय : हालांकि यह प्रश्न बहुत कम संबंधित है तो भी मैं इसकी अनुमति दे रहा हूं।

श्री टी० ए० पाई : आवश्यक उद्देश्यों के लिए स्टेनलेस स्टील उद्योगों की जरूरत पूरी करने के लिए हम केवल सोवियत संघ से ही नहीं बल्कि जहां से भी उपलब्ध हो, आयात करने का प्रयास करेंगे। परन्तु उन तथाकथित वास्तविक उपभोक्ताओं को पूरी मात्रा न मिल सकें क्योंकि हम देश की आवश्यकतानुसार आयात करने में असमर्थ हैं।

श्री नवल किशोर शर्मा : सोवियत संघ के साथ इस्पात उत्पादों के आयात करार को देखते हुए, इस्पात की हमारी कितनी आवश्यकता पूरी हो सकेगी; और यदि यह कम पड़े तो फिर मंत्री महोदय उसे पूरा करने के लिए क्या करने का विचार रखते हैं ?

श्री टी० ए० पाई : अन्ततः हमने यही निश्चय करना है कि हम कितना आयात कर रहे हैं क्योंकि इस्पात की विश्व भर में कमी होती जा रही है। सोवियत संघ के साथ करार का हमें यह लाभ है कि उनसे उपलब्ध होने वाले इस्पात से हम किसी हद तक तो अपने देश की आवश्यकता पूरी कर सकेंगे। परन्तु उससे हमारी सम्पूर्ण आवश्यकता तो पूरी न हो सकेगी और हमें अन्य देशों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा।

बोकारो इस्पात संयंत्र में संगणक लगाना

*374. **श्री के० लकप्पा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र में संगणक लगाया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो इसके आधार क्या हैं; और

(ग) क्या संगणक लगाने के लिए दुनिया भर में टेंडर मंगाये गये थे ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) बोकारो इस्पात कारखाने में अक्तूबर, 1970 से किराये पर लिया गया एक सेकिन्ड जेनेरेशन आई० बी० एम० 1401 संगणक कार्य कर रहा। उत्पादिता में सुधार लाने के लिए इस संगणक के बदले थर्ड जेनेरेशन जनरल परपज

संगणक लगाने तथा एक प्रोसेस कन्ट्रोल संगणक लगाने का निश्चय किया है। इनके लिए विश्व भर से टेंडर मंगाए गये थे और जो टेंडर प्राप्त हुए थे उनकी जांच विशेषज्ञों की एक तकनीकी समिति द्वारा की जा रही है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही इस मामले में अन्तिम रूप से निर्णय लिया जायेगा।

श्री के० लकप्पा : क्या वर्तमान संगणक के स्थापित किये जाने तथा नियमित किये जाने से बोकारो इस्पात संयंत्र को होने वाली हानि को कम करने की दिशा में कोई लाभ हुआ है? यदि हां, तो किसी सीमा तक सुधार हुआ है। किस सीमा तक हानि कम की जा सकी है? क्या आपने सारे देश में इस्पात की कुल कमी पर विचार किया है? इसके फलस्वरूप देश में किस सीमा तक श्रमिकों की छटनी की समस्या पैदा हुई है। अब आप बोकारो इस्पात संयंत्र में उत्पादन में कितनी वृद्धि की आशा रखते हैं?

श्री टी० ए० पाई : इस परियोजना के अंतर्गत जिसके निर्माण-कार्य को समन्वित करना पड़ेगा, लगभग 51,000 परस्पर संबंधित प्रमुख कार्यकलाप होंगे। इस इस्पात संयंत्र के प्रथम चरण में साज-सामान की लगभग 19,000 वस्तुओं की आवश्यकता होगी तथा अन्य वस्तुएं मिलाकर कुल चीजें लगभग 1,20,000 की संख्या तक पहुंचेगी। निर्माण-कार्य, साज-सामान तथा सामग्री की वसूली कर्मचारी वृन्द संचालन तथा संबंधित लेखे-जोखे के नियंत्रण तथा समन्वय के लिए संगणक का होना बहुत अनिवार्य है। वहां जो संगणक पहले से मौजूद है उसे साज-सामान की सप्लाई, इन्वेन्टरी नियंत्रण जन-शक्ति आयोजन भण्डार लेखा आदि के कार्य के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। जबकि सैकेंड जेनेरेशन संगणक उपरोक्त कार्यों के लिए उपयोगी रहा है, तथापि एक तीसरे, अधिक तीव्रगति से तथा कुशलता से कार्य करने वाले, जिसमें उत्पादन आयोजन तथा समय-बद्धता के लिए वास्तविक समय-नियंत्रण हेतु प्रचुर मात्रा में टेले-प्रोसैसिंग सुविधाएं हों, थर्ड-जेनेरेशन प्रणाली की भी आवश्यकता अनुभव की गई है। यह भी अनुभव किया गया था कि जबकि थर्ड जेनेरेशन सर्वोद्देश्य संगणक प्रणाली उस कार्य के अतिरिक्त जोकि सैकेंड जेनेरेशन संगणक द्वारा किया जा रहा, उत्पादन-नियंत्रण संबंधी [कार्य की जरूरतों को पूरा [कर सकती है, वहां धमन-भट्टियों तथा एल० डी० कन्वर्टर्स में प्रोसैस नियंत्रण के लिए दो छोटी प्रणालियों की भी आवश्यकता होगी। संगणक लगाने से निश्चय ही बेहतर समन्वय तथा अधिक उत्पादन हो सकेगा और इस संबंध में शीघ्र निर्णय लिये जा सकेंगे।

श्री के० लकप्पा : क्या इस संगणक को स्थापित करने के लिए किये जाने वाले कार्यकलाप के बारे में तकनीकी समिति ने कोई अनुमान तैयार किये हैं कि इसके फलस्वरूप कितने श्रमिकों की छटनी करनी पड़ेगी जबकि बोकारो इस्पात संयंत्र में उत्पादन पर आधारित प्रक्रियायें अपनाई जायेंगी?

श्री टी० ए० पाई : छंटनी का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। स्वभावतः ही इस समय तो यह नहीं बताया जा सकता कि कितने लोगों की छंटनी की जायेगी। इस संगणक के लग जाने के बाद और अधिक लोग नियुक्त किये जायेंगे। यह एक अलग प्रश्न है। मैं तो केवल यही कह सकता हूं कि और अधिक लोग अपने कार्य को और अधिक लाभप्रद ढंग से कर सकेंगे और इसलिए इस संयंत्र में अधिक कार्यकुशलता से काम होगा।

श्री बी० वी० नायक : मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या छंटनी होगी या नहीं अथवा नौकरियों के अवसर बन्द हो जायेंगे, क्या संगणक अपने अस्तित्व के कारण श्रमिकों तथा कर्मचारियों को बेरोज़गार कर देगा? मेरा प्रश्न यह है:—क्या यह संगणक देश के लिए कोई मूल्य रखता है और यदि हां तो क्या इसके कारण श्रमिक कारीगर बेरोज़गार होते हैं या सफेद-कालर वाले लोग अर्थात् बाबू लोग कुछ प्रभावित होते हैं?

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये। उन्हें उत्तर देने दीजिये।

श्री टी० ए० पाई : श्रीमान्, संगणक के स्थापना के फलस्वरूप हमारे देश में, अन्य देशों की अपेक्षा लिपिक वर्ग के अधिक व्यक्ति नियुक्त करने पड़ते हैं। अन्य देशों में समस्या श्रमिकों की कमी की है जबकि हमारे देश में अधिक श्रमिकों को रोजगार देने का है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि किसी मशीन के आ जाने से हमारे श्रमिक बेरोजगार तो नहीं हो जाते। वास्तव में, संगणक उत्पादन बढ़ाने में सहायता देता है और उसके फलस्वरूप रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। मेरे विचार से इन दोनों बातों को परस्पर समझा जा सकता है।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has said that the installation of computer would not cause retrenchment. I would like to know the number of workers to be employed had the computer not been installed.] The hon. Minister believes that the computer works very correctly and efficiently. May I know whether a computer would be installed in each Ministry so as to reduce the member of the Ministers and increase efficiency ?

श्री टी० ए० पाई : मेरे विचार से हम उन कार्यों के करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे जोकि अब संगणक की सहायता से करने जा रहे हैं, इसलिए मैं तो संभवतः यह सोच भी नहीं सकता था कि संगणक न होता तो उस कार्य पर कितने आदमी लगाये जाते।

Mr. Speaker: May I also know whether the presence here of Shri Kachwai could also have been avoided by using a computer here ?

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि संगणक के लिए प्रशासन के कर्मचारी नियुक्त करने पड़ेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनमें लड़कियों की भी नियुक्ति की जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न आप उनसे निजी रूप से पूछ सकते हैं।

बंगलौर परियोजना में इस्पात की छड़ों का उत्पादन

*379. **श्री डी० बी० चन्द्रगोडा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेकन इस्पात और मिश्र धातु निगम ने इस्पात की छड़ें अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए बंगलौर में एक परियोजना की स्थापना करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी क्षमता और लागत की मुख्य रूपरेखा क्या है तथा यह कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) मेसर्स डेकन स्टील एण्ड अलायज कारपोरेशन ने 36,000 टन राउण्ड, गोल छड़ तथा हल्के संरचनात्मकों के उत्पादन के लिए बंगलौर में एक रोलिंग मिल कम्पलेक्स की स्थापना के लिए पंजीकरण हेतु लोहा तथा इस्पात नियंत्रक को आवेदन दिया था। लाइसेंस देने की संशोधित प्रक्रिया के अनुसार जो 31 अक्तूबर, 1973 से ऐसी इकाइयों पर लागू है, पार्टी को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है।

पार्टी के अनुसार इस योजना पर लगभग 93.30 लाख रुपये खर्च आएंगे और इसे मार्च 1974 में चालू किया जा सकेगा।

श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : क्या मैं यह समझूं कि लाइसेंस नीति संबंधी जटिल समस्या के कारण बंगलौर में यह परियोजना नहीं चलाई जा रही है ? या यदि चलाई जा रही है तो कब तक इसमें कितने लोगों को रोजगार मिल सकेगा ?

श्री टी० ए० पाई : पहली नवम्बर से नीति के रूप में हमने कहा कि स्थापना के लिए स्वीकृति प्राप्त एक करोड़ रुपये तक के पूंजीनिवेश वाले सभी एककों को लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इसका कारण यह था कि हमें स्क्रैप मिलने में काफी कठिनाई पैदा हो रही है और नये एककों को भी इस कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तथा उन सभी एककों को जो कि उस तारीख तक ऐसे संयंत्र लगाने की दिशा में कुछ कार्यवाही कर चुके हैं, उत्पादन आरंभ करने की अनुमति दी जायेगी और यही एकक इस परिभाषा के अधीन आते हैं। उन्हें केवल इतना ही करना पड़ेगा कि एक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए औपचारिक रुप में एक आवेदन पत्र देना पड़ेगा।

श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : यदि परियोजना चालू हुई तो उससे रोजगार के कितने अवसर प्राप्त होंगे।

श्री टी० ए० पाई : 200-300 व्यक्तियों के लिए।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : ऐसे उद्योगों का लाइसेंस देते समय क्या सरकार ऐसे उद्योगों को यथा-संभव भिन्न-भिन्न स्थानों पर स्थापित करने पर विचार करती है ताकि उनसे न केवल रोजगार क्षमता बढ़े बल्कि इस्पात की भी कम आवश्यकता रहे ? यदि हां, तो क्या इसके लिए विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों के लिए भी कोई प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं ?

श्री टी० ए० पाई : बहुत कुछ ऐसा ही है। हम तो यथासंभव यही प्रयास करेंगे कि ऐसे उद्योग अधिक पिछड़े क्षेत्रों में खोले जायें। जहां तक एक करोड़ रुपये तक के निवेश की परियोजनाओं का प्रश्न है उन्हें यदि जहां स्थापित होने की स्वतंत्रता दी गई है। ऐसे एकक यदि पिछड़े क्षेत्रों में ले जायेंगे तो सहायता के पात्र भी हो जायेंगे। परन्तु इस उद्योग के लिए बिजली की बहुत आवश्यकता है और बिजली की उपलब्धता ही सबसे बड़ी कठिनाई है।

अध्यक्ष महोदय : आज 20 प्रश्नों में से केवल 8 प्रश्नों के लिए सूचना देने वाले सदस्य उपस्थित थे यह बड़ी असामान्य सी बात है आज।

श्री विश्वनाथ सिंह : प्रश्न संख्या 370 बहुत महत्वपूर्ण है इसका उत्तर दे दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : जब तक उन्हें इसके लिए अधिकृत नहीं किया जाता मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। उनके विचार से यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है परन्तु जिस सदस्य ने प्रश्न किया है, शायद उन्होंने ऐसा नहीं समझा।

अब प्रश्न काल भी प्रायः समाप्त हो चुका है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

Schools Run Under Ordnance Factories

*363 **Shri Hemendra Singh Banera**: Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of Schools being run under the Ordnance Factories along with their locations ;

(b) whether all these Schools are controlled by one agency and uniform rules are applied to them in their functioning ; and

(c) the basis on which the employees and teachers of these Schools are promoted ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shulka): (a) A list Showing the 21 schools run by the Ordnance Factories and their locations is placed on the Table of the House.

(b) While the above schools are under the overall administrative control of the DGOF and uniform rules are applied to their staff, they function under the direct control of the General Managers of the Factories concerned and observe the respective State Government Codes of Education.

(c) Promotion of teachers is made according to the Regional Select Lists prepared by the Central Departmental Promotion Committee and, that of other staff in common with other non-Industrial Staff of the Factories.

Statement

Sl. No.	Name of the School	Location
1.	Gun & Shell Factory Jr. High School	Cossipore.
2.	Rifle Factory High School	Ishapore.
3.	O.F. Dum Dum Primary School	Dum Dum
4.	M. S. F. Primary School	Ishapore.
5.	Ordnance Factory Kanpur Higher Secondary School	Kanpur.
6.	O. E. F. Middle Jr. School	Kanpur.
7.	Ordnance Facotry Muradnagar Higher Secondary School	Muradnagar.
8.	Clothing Factory Shahjahanpur Higher Secondary School	Shahjahanpur.
9.	Ordnance Factory, Dun High School	Dehra Dun.
10.	Gun Carriage Factory Higher Secondary School	Jabalpur.
11.	Ordnance Factory Katni High School	Katni.
12.	Ordnance Factory Khamaria Primary School	Khamaria.
13.	Ordnance Factory Ambarnath High School	Ambarnath.
14.	Ordnance Factory Bhusawal Primary School	Bhusawal.
15.	Clothing Factory Aruvankadu High School	Arunvankadu.
16.	Ordnance Factory Bhandara High School	Bhandara.
17.	Ordnance Factory Varangaon Primary School	Varangaon.
18.	Ordnance Factory Chanda High School	Chandrapur.
19.	Ordnance Factory Ambajhari Primary School	Ambajhari.
20.	Ordnance Factory Trichi Primary School	Trichirappali.
21.	Vehicles Factory Jabalpur Primary School	Jabalpur.

हैदराबाद में ईंधन संयंत्र की स्थापना

*365. **श्री ग्रार० एन० बर्मन :**
श्री बी० मायावन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हैदराबाद में एक ईंधन संयंत्र की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो यह संयंत्र कब तक चालू होगा ;

(ग) इस संयंत्र की दैनिक कार्य क्षमता क्या होगी; और

(घ) इस संयंत्र में कितने लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना है ?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) सरकार ने आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले में रामकृष्णपुर नामक स्थान पर घरेलू ईंधन (सोफ्ट कोक) के उत्पादन के लिए सिंगोली कोयले पर आधारित निम्न-तापीय कार्बनीकृत संयंत्र लगाने का फैसला किया है।

(ख) इस संयंत्र के लगभग 30 महीनों के अन्तर्गत चालू हो जाने की संभावना है।

(ग) 900 टन प्रतिदिन।

(घ) लगभग 400 व्यक्ति।

शिमला में दिल्ली और शिखर सम्मेलनों के पश्चात्
सीमा पर तनाव में कमी

*368. **श्री श्यामसुन्दर महापात्र :**
श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिमला और दिल्ली शिखर सम्मेलनों के पश्चात् भारत और पाकिस्तान की सीमा पर तनाव कम हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सीमा सुरक्षा उपायों में ढील देने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ख) शिमला और दिल्ली के शिखर सम्मेलनों के पश्चात् भारत-पाकिस्तान सीमा के साथ-साथ सीमा घटनाओं में कमी हुई है। तथापि, सीमा के पार गतिविधियों में कोई कमी नहीं हुई है। हमारी सीमाओं पर हमारी सुरक्षा सेनाओं के लिए अपनी सतर्कता में कोई ढील देना विवेकपूर्ण नहीं होगा।

ट्रैक्टरों में आत्म-निर्भरता

*370. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :**
श्री आर० बी० स्वामीनाथन :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ट्रैक्टरों की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार को आशा है कि चालू वर्ष में ट्रैक्टरों के मामले में देश आत्मनिर्भर हो जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो कैसे?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) देश में ट्रैक्टरों का निर्माण 1973-74 में मांग के अनुरूप होने की आशा है।

भारत में ठहरने वाले विदेशियों एवं विदेशों से आने वाले भारतीय राष्ट्रिकों को स्कूटरों का आबंटन

*371. **श्री जी० वाई० कृष्णन** :
श्री एम० एस० पुरती :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारों एवं स्कूटरों के आवंटन के लिए हाल ही में बनाई गई नीति के अन्तर्गत सरकार का विचार भारत में ठहरने वाले विदेशियों एवं विदशों से वापस आने वाले भारतीय राष्ट्रिकों को प्राथमिकता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) भारत सरकार भारी उद्योग मंत्रालय कम से कम दो वर्षों के लिए भारत में आने वाले विदेशियों और कम से कम दो वर्ष तक विदेशों में रहने के पश्चात् आने वाले भारतीय राष्ट्रिकों को प्राथमिकता के आधार पर कारों तथा स्कूटरों का आवंटन कर रहा है। इच्छुक खरीददार को निर्धारित फार्म पर आवेदन देना पड़ता है। आवेदकों द्वारा पूरी की जाने वाली अन्य शर्तें निम्नलिखित हैं :—

(1) कोई व्यक्ति कार के लिये कम से कम 25,000 रुपये तथा स्कूटर के लिये कम से कम 4,000 रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा लाया हो। कोई व्यक्ति या तो कार के लिये या स्कूटर के लिये आवेदन दे सकता है।

(2) वह विदेश से कोई कार या स्कूटर न लाया हो।

(3) उसने स्कूटर या कार के लिये भारत में किसी भी डीलर या सरकार के पास मांग बुक न कराई हो। यदि उसने मांग बुक कराई हो तो उसे यह रद्द करवानी चाहिये और डीलर या सरकार से जैसा भी मामला हो, प्राप्त रद्द करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(4) उसने गत चार वर्षों में भारत में किसी भी स्त्रोत से नयी कार या स्कूटर की डिलेवरी न ली हो।

(5) विदेशी मुद्रा लाने वाला व्यक्ति आवश्यक राशि को भारत के बैंक में जमा करेगा। उसे निर्धारित आवेदन-पत्र के पीछे इस आशय का बैंक से पृष्ठांकित एक प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

डाक श्रमिक एसोसियेशन, कलकत्ता से ज्ञापन

*375. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 4 अगस्त ,1973 का डाक श्रमिक एसोशियेशन , कलकत्ता से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; **और**

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) डाक श्रमिक एसोसियेशन द्वारा उठाये गये मुख्य प्वाइंट का तात्पर्य यह है कि उन श्रमिकों को भी अतिरिक्त वेतन वृद्धि मंजूर की जानी चाहिये जिनका 1-1-1969 को वेतन, पत्तन और गोदी श्रमिकों संबंधी केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड द्वारा सिफारिश किये गये स्केल के अधिकतम से उच्चतर तल पर निर्धारित किया गया था। यह प्वाइंट इसलिये उठाया गया है क्योंकि सरकार ने मई, 1973 में आदेश जारी किये थे जिनके द्वारा ऐसे पंजीकृत और सूचीबद्ध श्रमिकों को, जो 1-1-1973 को या उसके बाद किसी तारीख को अपने वर्तमान वेतनमानों के अधिकत्तम पर तीन या उससे अधिक वर्षों से रुके हुये थे, उनके द्वारा अपने वर्तमान स्केलों में अन्त में प्राप्त की गई वेतन-वृद्धि की दर के बराबर एक वैयक्तिक वेतन मंजूर किया गया था।

(ग) सरकार के आदेशों का आशय केवल उन श्रमिकों को राहत देना था जो मजदूरी बोर्ड के स्केलों के अधिकतम पर रुके हुये थे न कि उन श्रमिकों को जिनका 1-1-1969 को वेतन ,उन स्केलों के अधिकतम से उच्चतर तल पर निर्धारित किया गया था।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लघु इस्पात संयंत्र

*376. **श्रीमती सावित्री श्याम : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितने लघु इस्पात संयंत्र लगे हुये हैं ;

(ख) क्या इनमें से अधिकांश संयंत्रों की विद्युत की कमी, कच्चे माल की अनुपलब्धता और श्रमिक गड़बड़ी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इन कठिनाइयों को दूर करने तथा उत्पादन बहाल करने हेतु संयंत्रों की सहायता के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) सम्भवतः अभिप्राय आगरा, मेरठ, झांसी और रूहेलखण्ड शाखाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से है। यदि यह ठीक है, तो अधिकांश संयंत्रों को इस्पात पिंड /बिलेट के उत्पादन के लिये जिन पार्टियों को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन लाइसेंस/आशयपत्र दिये गये हैं, तथा औद्योगिक लाइसेंस देने की उदार नीति के अधीन पंजीकृत किया गया है, उनकी कुल संख्या 18 है।

(ख) उत्तर प्रदेश में बिजली की सामान्य कमी है, जिसका सभी बिजली से चलने वाले धातुकर्म उद्योगों पर प्रभाव पड़ा है। श्रमिक अथवा कच्चे माल की अनुपलब्धि से संबंधित कोई विशेष मामला सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पत्रकारों के मज़ूरी बोर्ड के निर्देश पद

*377. **श्री वसन्त साठे :**

श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पत्रकारों के लिये प्रस्तावित मज़ूरी बोर्ड के निर्देश पदों को अन्तिम रूप दे दिया है और उक्त बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो मज़ूरी बोर्ड के कब तक गठित हो जाने की सम्भावना है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी, नहीं

(ख) मज़ूरी बोर्ड के शीघ्र स्थापित किये जाने की आशा है ।

Demand for Massey Ferguson Tractors

*378. **Shri G. P. Yadav** : Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) whether there is a great demand of Massey-Ferguson tractors in India but their supply falls short of the demand;

(b) if so, the particulars regarding their demand and supply ; and

(c) the efforts being made by Government to meet their increasing demand ?

The Minister of Heavy Industry and Steel and Mines (Shri T. A. Pai) : (a) Yes, Sir.

(b) The total pending demand for this make of tractors was of the order of 27,00 nos. as on 1-10-73 . As against this, the production is expected to be 3,500 nos. during the year 1973-74.

(c) All possible assistance by way of import of raw materials, components, etc. is being allowed to the manufacturers of this make of tractors to maximise their production.

Land Allotted to Maruti Limited.

*380. **Shri Jaganathrao Joshi** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the action being taken in regard to the land allotted to the Maruti Limited in violation of the Notification about Air Force Unit No. 54 published in the Gazette of India on the 11th January, 1969 ;

(b) whether any proposal is under consideration to shift either the Air Force Unit or the Maruti Limited from that place; and

(c) if so, the outlines thereof ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) The Notification published in the Gazette of India on the 11th January, 1969 in regard to the Air Force Unit No. 54 ASP remained inoperative due to non-compliance of the provisions of Section 3(2) of the Indian Works of Defence Act, 1903. There is, therefore, no question of its violation.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

तांबा और जस्ता के लिये भारत-रूस समझौता

*382. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री पी० ए० सामिनाथन् :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तांबा और जस्ता के आयात के लिये सोवियत संघ से एक समझौता किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) जी, हां। 1974 के दौरान 18,000 लाख टन तांबे और 15,0000 लाख टन जस्ते की पूर्ति के लिये सोवियत रूस के साथ एक व्यापारिक समझौता किया गया है।

अल्यूमीनियम उत्पादों के बिक्री-मूल्य

3592. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1970 में उपकरणों और कच्चे माल की कीमतों के आधार पर मई, 1971 में अल्यूमीनियम उत्पादों के जो बिक्री मूल्य निर्धारित किये गये थे, वे अत्यधिक अवास्तविक, अलाभप्रद और उत्पादन विरोधी हैं;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान उपकरणों और कच्चे माल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) चूंकि विगत तीन वर्षों के दौरान ऐलूमिनियम उत्पादन की निवेश लागत में वृद्धि हुई है अतः औद्योगिक लागत व मूल्य ब्यूरो को ऐलूमिनियम की उत्पादन लागत की जांच करने को कहा गया था। ब्यूरो को अनुशंसाओं के संदर्भ में सरकार ऐलूमिनियम और उसके उत्पादों के मूल्य में परिवर्तन करने की आवश्यकता पर विचार करेगी।

केरल की एच० एम० टी० फैक्टरी में विकास कार्य

3593. **श्री वयालार रवि :** क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कालमसेरी में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में प्रारम्भ हुये विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) आगामी वर्ष सरकार का कौन से निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का विचार है और इस बारे में कुल कितना व्यय होगा ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) एच० एम० टी० लि०, कलमस्सेरी, जिसकी स्थापना मशीनी औजारों का निर्माण करने के लिये की गई थी, ने अपने-अपने विविध कार्यक्रमों के अनुसार छपाई मशीनों के निर्माण के विकास का कार्य आरम्भ कर दिया है।

(ख) आगामी वर्ष में इस उद्देश्य के लिये सरकार का कुल व्यय 150 लाख रुपये होने की आशा है ।

भारी इंजीनियरी उद्योग की समस्याओं के लिए एक उच्च स्तरीय समिति

3594. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारी इंजीनियरी उद्योग की समस्याओं, विशेष रूप से उनकी अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग करने के बारे में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का सरकार का विचार है?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) भारी इंजीनियरी उद्योग की कठिनाईयों विशेषकर अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग करने के बारे में जांच करने की एक उच्च स्तरीय समिति स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । फिर भी इंजीनियरी उद्योग की कुछ शाखाओं में विद्यमान क्षमताओं का सर्वेक्षण करने के लिये औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम नियुक्त किया गया है । राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा अध्ययन किये जाने का संबन्ध जहां कही संतुलित उपकरणों को लगाने का प्रस्ताव है, की विद्यमान क्षमताओं और संभाव्य अतिरिक्त क्षमताओं का अध्ययन करने से है । भारी उद्योग मंत्रालय की सीमा में आने वाले तथा अध्ययन किये जाने वाले उद्योगों की एक सूची संलग्न है । अप्रयुक्त क्षमता के उपयोग का प्रश्न विशेष रूप से राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की जांच के अन्तर्गत नहीं आयेगा ।

बिवरण

इंजीनियरी क्षमताओं के सर्वेक्षण के अन्तर्गत और भारी उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों कि सूची ।

1. औद्योगिक मशीनें
2. बायलर।
3. क्रेनें, लिफ्टें, होइस्टें।
4. संरचना संबंधी।
5. माल गाड़ी के डिब्बें।
6. पाइप और ट्यूबें (लौह तथा अलौह)।
7. प्रत्यावर्तित (आलटरनेटर्स)।
8. टर्बाइनें।
9. ट्रांसफार्मर।
10. स्विच गियर।
11. डीज़ल जेनरेटिंग सेट।
12. पावर रेक्टिफायर।
13. मिट्टी हटाने के उपकरण।
14. मोटर गाड़ी।
15. मोटर गाड़ी सहायक सामान।

16. कृषि उपकरण।

17. पोत निर्माण (शिपबिल्डिंग)।

18. पेट्रोल/डीजल इंजिन।

19. वेल्डिंग उपकरण।

20. छपाई-मशीनें।

21. लोकोज।

22. तार के रस्से (वायर रोपस)।

सेवा मुक्त भूतपूर्व सैनिकों को उपलब्ध किया गया रोजगार

3595. **श्री मार्तण्ड सिह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने सैनिक कर्मचारियों को सेवा से मुक्त किया गया;

(ख) केन्द्रीय सरकार और अन्य संगठनों में कितने भूतपूर्व सैनिकों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध किया गया;

(ग) क्या सरकार ने सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारियों के लिए श्रेणी-वार कोई कोटा भी आरक्षित किया है; और

(घ) यदि हां, तो वह कितने प्रतिशत है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) 1970-72 के दौरान 1,61,599 सनिक कार्मिकों को सेवा से मुक्त किया गया था।

(ख) 1970-72 के दौरान 61,238 भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिया गया था।

(ग) जी हां, श्रीमन्।

(घ) (i) अशक्त सैनिकों सहित भूतपूर्व सैनिकों के लिए केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी में 10 प्रतिशत और चतुर्थ श्रेणी में 20 प्रतिशत पदों का आरक्षण किया गया है। इन आरक्षणों पर अशक्त भूतपूर्व सैनिकों को भी प्राथमिकता दी जाती है।

(ii) आपातकालीन कमीशन और अल्पकालीन सेवा कमीशन से निर्मुक्त अधिकारियों के लिए आरक्षण।

(क) आई० पी० एस०० आई० ई० एस० और भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा को छोड़ कर सभी अखिल भारतीय सेवाओं में 20 प्रतिशत का आरक्षण।

(ख) भारतीय पुलिस सेवा में 27 प्रतिशत रिक्त स्थानों का आरक्षण।

(ग) रेलवे सहित श्रेणी i (गैर-तकनीकी) की केन्द्रीय सेवाओं/पदों में 25 प्रतिशत रिक्त स्थानों का आरक्षण।

(घ) रेलवे सहित श्रेणी ii (गैर-तकनीकी) की केन्द्रीय सेवाओं/पदों के रिक्त स्थानों में 25 प्रतिशत का आरक्षण।

Applications for setting up Heavy Industries in M. P.

3596. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) the number of applications received from the Madhya Pradesh Government during the last two years for setting up heavy industries in the State ; and

(b) the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh) : (a) No application has been received from the Madhya Pradesh Government during the last two years for setting up heavy industries in the State.

(b) Does not arise.

Cast Iron released by Bhilai Steel Plant for Export

3597. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the quantum of cast iron released for export by the Bhilai Steel Plant during the current year till May, 1973; and

(b) the quantum likely to be manufactured by it during the current year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) and (b) Presumably the reference is to Pig Iron. During April-May, 1973, Bhilai Steel Plant released 52,918 tonnes of Pig Iron for export. During the current year (1973-74) Bhilai Steel Plant is likely to produce 514,000 tonnes of Pig Iron for home-sale and export.

Export of Iron Ore in the form of Pellets.

3598. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal in regard to exporting of iron ore in the form of pellets from Madhya Pradesh ; and

(b) whether any private party has come forward for the production of pellets ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) Techno-economic studies for production of pellets from iron ore mines arising in Bailadila mines of N.M.D.C. in Bastar District of Madhya Pradesh are in progress.

(b) No proposal for a pelletisation Plant in Madhya Pradesh has been received from any Private Party.

Exploitation of Reserves of Coal found in Madhya Pardesh

3599. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state the progress made regarding the exploitation on commercial basis, the reserves of coal, found during the geological survey in Madhya Pradesh ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : A, number of coal fields occur in Madhya Pradesh, the important ones being Korea-Rewa,

Korba, Pench, Patherkhera and Singrauli. Commercial exploitation of all these coalfields is in progress. The production of coal in Madhya Pradesh which was about 6.3 million tonnes at the end of the Second Plan increased to about 9.7 million tonnes at the end of the Third Plan and to about 14.3 million tonnes in 1972-73. During the Fifth Plan it is proposed to increase production in all the coalfields of Madhya Pradesh which will take the total production to about 32 million tonnes in 1978-79.

Mineral Deposits in Madhya Pradesh

3600. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the Mineral Research Corporation has since decided to undertake a scheme to exploit the mineral deposits in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) and (b) The reference is probably to the Mineral Exploration Corporation which has been recently formed to take up detailed mineral exploration projects, mainly at the behest of the exploiting agencies and on a contract basis. At present M.E.C. is handling two such projects in Madhya Pradesh, namely Malanjkhand Copper investigation in Balaghat district and Pench Kanhan coal investigation in Chhindwara district.

राज्यों को कोयले की सप्लाई

3601. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :**

श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 8 महीनों के दौरान विभिन्न राज्यों को कोयले की प्रति माह कितनी सप्लाई की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन राज्यों की प्रति माह मांग कितनी रही;

(ग) अगर कोई कमी हो, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या विभिन्न राज्यों के बिजली घरों को भी कोयले की सप्लाई में कटोती कर दी गई है और यदि हां तो फिर से पूरी मात्रा में सप्लाई करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार की वार्षिक दर

3602. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सरकार द्वारा प्रायोजित की जा रही रोजगार योजनाओं में भूतपूर्व सैनिकों के खपाये जाने की वार्षिक दर कितनी है;

(ख) भूतपूर्व सैनिकों को प्रशिक्षण देने संबंधी योजनाओं के संचालन पर सरकार ने कितना वार्षिक व्यय किया; और

(ग) इस समय कुल कितने भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार की तलाश है और ऐसी स्थिति कब तक आ पायेगी, जब कि सभी भूतपूर्व सैनिकों को तत्काल रोजगार में खपाना सम्भव होगा?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : क) लगभग 19,000।

(ख) 1973-74 के बजट अनुमानों में अन्य रेंकों और जूनियर कमीशंड अफ्सरों/सशस्त्र सेनाओं में उनके समकक्ष कार्मिकों की सेवामुक्ति पूर्व और सेवामुक्ति पूर्व एवं-पश्चात् की प्रशिक्षण योजनाओं के लिए 50,000 रुपये को व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार सेवानिवृत्त, सेवामुक्त सेना अधिकारियों के लिए अनुस्थिति-ज्ञान पाठ्यक्रम चलाने के लिए 40,000 रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ग) 30 जून, 1973 को 81,639 भूतपूर्व सैनिकों के नाम रोज़गार दफतरों के सक्रिय रजिस्टरों में दर्ज थे। चूंकि सेवा कार्मिकों का सशस्त्र सेनाओं से मुक्त होना और रोज़गार दफतरों में उनके नामों का दर्ज होना एक सतत प्रक्रिया है, और देश में बेरोज़गारी की सामान्य स्थिति को देखते हुए यह बता सकना व्यावहारिक नहीं है कि उन सभी भूतपूर्व सैनिकों को जिनके नाम सक्रिय रजिस्टरों में दर्ज हैं कब तक समा लिया जायेगा।

सीमा सड़क संगठन में छंटनी

3603. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा सड़क संगठन में निकट भविष्य में बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी की जाने वाली है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और किस तारीख से उन लोगों को नौकरी से निकाला जायगा; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार की सहायता से बनाई जा रही सड़कों अथवा इसी प्रकार की परि-योजनाओं में उन्हें खपाने के लिए कोई योजना बनाई गई है और यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं और अगर अब तक ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई है तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) जी० आर० ई० एफ० के पुर्नसंगठन के फल-स्वरूप, 1973-74 से तीन वर्ष की अवधि में 5500 पायनियर श्रमिकों की, चरणवद्ध रूप में छंटनी की जायेगी। इसके अन्तर्गत प्रति-वर्ष वस्तुतः लगभग एक हजार पायनियरों की छंटनी होगी और शेष सामान्यतः रिक्त होने वाले स्थानों में समायोजित हो जायेंगे।

(ग) इन पायनियरों को खपाने के लिए विशेष रूप से कोई योजना नहीं बनायी गयी है। फिर भी उनके लिए वैकल्पिक नियोजन खोजने का भरसक प्रयास किया जा रहा है।

भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि० और हैवी इलैक्ट्रिकल्स इण्डिया लि० का विलय

3604. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि० और हैवी इलैक्ट्रिकल्स इण्डिया लि० का आपस में विलय करके एक कंपनी बनाने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नई कंपनी की मुख्य बातें क्या होंगी?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि० (एच. ई० ग्राई० एल०) ग्रौर भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बी० एच० ई० एल०) ग्रपने हरिद्वार, हैदराबाद ग्रौर तिरूचि स्थित एककों के साथ भारी वैद्युत जनित्रण उपकरणों ग्रौर भारी वैद्युत उपकरणों जैसे ट्रांसफार्मर, स्विचगियर ग्रादि का निर्माण करने के लिए स्थापित सरकारी क्षेत्र की दो मुख्य परियोजनायें हैं। श्री० एम० एस० पाठक, सदस्य, योजना ग्रायोग की ग्रध्यक्षता में सरकार द्वारा नियुक्त एक उच्चाधिकार प्राप्त कार्यवाही समिति ने एच0 ई० ग्राई0 एल० ग्रौर बी० एच० ई० एल० को हरिद्वार ग्रौर हैदाराबाद स्थित दो एककों की कार्य कुशलता की जाँच की थीं। समिति ने ग्रन्य बातों के साथ-साथ यह ग्रनुभव किया कि भारी वैद्युत उपकरण के साथ-साथ दो ग्रलग कम्पनियों के होने से, संयंत्र, सामान ग्रौर व्यक्ति तथा साथ ही ग्रयातित टेक्नोलोजी के दुर्लभ संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने में रुकावट होती है, इसलिये उन्होंने सिफारिश की थी कि एच० ई० ग्राई० एल० ग्रौर बी० एच० ई० एल0 को एक ही कम्पनी के रूप में मिला दिया जाय। ईन चार गठित एककों को मिला देने पर इनका ग्रध्यक्ष ग्रौर प्रबन्ध निदेशक एक ही होगा, जिसे कर्मचारी दिए जाएंगे जो विविध विदेशी टेक्नोलोजियों का बढ़िया उपयोग करने, चार एककों के समन्वित विस्तार हेतु दीर्घ-कालीन कार्यक्रम तैयार करने के साथ-साथ समेकित प्रबंध प्रशिक्षण ग्रौर विकास कार्यक्रम के विकास में उसकी सहायता करेगा। प्रत्येक एक को उत्पादन के निश्चित क्षेत्रों में विशेषता प्राप्त करने के सुयोग्य बनाया जायेगा, ताकि एक से ग्रधिक एककों में एक जैसे उत्पादों के उत्पादन को रोका जा सके। मिलाये गये एककों के लिये एक ग्रनुसंधान ग्रौर विकास संगठन होगा जिसका प्रत्येक स्थान पर एक उप-एकक होगा, जो उस स्थान पर प्रमुख रूप से बनाये जाने वाले उपकरणों का विशेष ग्रध्ययन करेगा।

लन्दन तथा वाशिंगटन में इंडिया सप्लाई मिशनों के प्रमुख ग्रधिकारियों की नियुक्ति

3606. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **पूर्ति ग्रौर पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्ति विभाग में संयुक्त सचिव के पद के किन्हीं ग्रधिकारियों ने लन्दन / वाशिंगटन में इण्डिया सप्लाई मिशनों के प्रमुख ग्रधिकारियों के रूप में नियुक्ति कराने के लिए वित्त मंत्रालय की स्वीकृति मांगी है जबकि वे सेवानिवृत्त होने वाले हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके मामलों की सिफ़ारिश करने के क्या कारण हैं, विशेषतया जबकि उक्त ग्रधिकारियों के विरुद्ध बहुत सी प्रतिकूल रिपोर्ट हैं; ग्रौर

(ग) यह मामला ग्रब किस स्थिति में है ग्रौर हमारे उक्त मिशनों के प्रमुख ग्रधिकारियों के इन दो पदों के लिये कौन-कौन से व्यक्ति चुने गये हैं?

पूर्ति ग्रौर पुनर्वास मंत्री (श्री ग्रार० के० खाडिलकर): (क) इस विभाग के एक संयुक्त सचिव को जिन्हें 18-9-1975 को सेवानिवृत्त होना है, सभी संबंधित प्राधिकारियों, जिसमें वित्त मंत्रालय भी शामिल है, से ग्रनुमोदन/ग्रनुमति प्राप्त करके भारत पूर्ति मिशन लन्दन में 30-11-1973 (ग्रपराहन) से महानिदेशक के रुप में नियुक्त किया गया है। भारत पूर्ति मिशन, वाशिगंटन में 8-6-1973 (ग्रपराहन) से महानिदेशक के रूप में नियुक्त ग्रधिकारी भारत पूर्ति सेवा से संबंधित है, जिसे 1978 में सरकारी सेवा से निवृत्त होना है।

(ख) उक्त ग्रधिकारियों की सारी गोपनीय रिपोर्ट ग्रच्छी हैं।

(ग) (1) श्री एस० सी० अग्रवाल को भारत पूर्ति मिशन, वाशिंगटन में 8-6-1973 (अपरान्ह) से महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

(2) श्री एस० एस० पूरी को, भारत पूर्ति मिशन, लन्दन में 30-11-1973 (अपराह्न) से महानिदेशक में रूप में नियुक्त किया गया।

आपात-कमीशन प्राप्त अधिकारियों की नियमित कमीशन में पदोन्नति और उनकी वरिष्ठता

3607. **श्री चन्द्र शेखर सिंह**: क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेनाओं में जिन भूतपूर्व आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को अब स्थायी कमीशन दे दिया गया है, उनमें काफ़ी रोष व्याप्त हैं, क्योंकि नियमित सैन्य अधिकारियों की तुलना में उनकी वरिष्ठता और पदोन्नति को आर्मी इन्स्ट्रक्शन नं० 13/656 के अनुसार दो वर्ष की अवधि में जितना भी समय कम पड़ता हो, उतनी अवधि के बाद प्रभावी किया जाता है, क्योंकि वर्ष 1962 की राष्ट्रीय आपात-कालीन स्थिति के दौरान प्रशिक्षण की अवधि केवल 6 से 10 महिनों के बीच ही रही थी;

(ख) क्या सेना मुख्यालय के पत्र सं० ए/28163/ए० जी०/पी० एस०—2 (ए) दिनांक 26 अप्रैल, 1972 के अनुसार उक्त स्थिति की जाच की जा रही थी; और

(ग) यदि हां, तो भूतपूर्व आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों और नियमित सैन्य अधिकारियों की वरिष्ठता और पदोन्नतियों में असंगति को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) से (ग) इण्डियन मिलिट्री अकादमी में नियमित कमीशन अफसरों के लिये 2 वर्ष के सामान्य प्रशिक्षण की तुलना में 1962 की आपात स्थिति के दौरान, आपात कमीशन अफसरों को 6 से 10 मास की थोड़ी सी अवधि के प्रशिक्षण के प्रश्चात कमीशन दिया गया था। यह निर्णय किया गया था कि नियमित अफसरों के साथ निष्पक्षता बरतने के लिये स्थायी कमीशन दिये जाने के पश्चात् एक आपात कमीशन अफसर को उस तारीख को स्थायी पद देना चाहिये जिस तारीख को वह नियमित अफसर को दिया जाने वाला 2 वर्ष का पूरा प्रशिक्षण पूरा कर लेता इस निर्णय के विरुद्ध अभ्यावेदन दिये गये और अप्रैल, 1972 में यह मामला विचाराधीन था। इस मामले पर हर पहलू से विचार कर लेने के पश्चात जुलाई 1973 में यह निर्णय किया गया कि भूत-पूर्व आपात कमीशन अफसरों तथा नियमित अफसरों के बीच तुलनात्मक पर्याप्त वरिष्ठता के मामले में यथापूर्व स्थिति रखी जाये।

रक्षा प्रतिष्ठानों में असैनिक कर्मचारियों को वेतन-वृद्धियां देना

3608. **श्री चन्द्र शेखर सिंह**: क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा प्रतिष्ठानों में नियुक्त इंजीनियरिंग आदि में तकनीकी डिग्री/डिप्लोमाधारी असैनिक अराजपत्रित कर्मचारी 1 दिसम्बर, 1960 से पांच वेतन वृद्धियां तक पाने के हकदार थे;

(ख) क्या 5 सितम्बर, 1972 के अपने पत्र द्वारा इस मामले पर रक्षा मंत्रालय ने अपने पहले रूख को बदल दिया है और 1972 की सिविल रिट याचिका में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 17 नवम्बर, 1972 के निर्णय के अनुसार रक्षा मंत्रालय के विरूद्ध निर्णय दिया था;

(ग) यदि हां, तो इस मामले का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अब मामला किस स्थिति में है और इस निर्णय के परिणामस्वरूप असैनिक कर्मचारियों की कठिनाईयों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) 4-2-1969 को जारी किये गये आदेशों के अधीन रक्षा प्रतिष्ठानों के सिविलियन कर्मचारी, अराजपत्रित तकनीकी/वैज्ञानिक ग्रेड में काम करते हुये, इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा श्रेणी 1 परीक्षा में भर्ती के लिये उसके समकक्ष मानी गई योग्यता प्राप्त करने पर तीन वेतनवृद्धियों के हकदार थे। ये वेतनवृद्धियां डिग्री अथवा उसके समकक्ष योग्यता प्राप्त करने की तारीख से, अथवा, यदि डिग्री या उसके समकक्ष योग्यता पहले प्राप्त करा ली गई हो, तो नियुक्ति की तारीख से स्वीकार्य थी। लेकिन इस पुर्ननिर्धारण के फलस्वरूप प्रभावित कर्मचारी को वित्तीय लाभ 1-12-68 से दिया जाना था (1-12-60 से नहीं)।

(ख) से (ग) उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित 4-2-1969 के मूल आदेशों के स्पष्टीकरण में 5-9-1972 को जारी किये गये आदेशों में यह व्यवस्था दी गई कि 4-2-1969 के मूल आदेश उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहां इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा श्रेणी 1 परीक्षा के लिये उसके समकक्ष मानी गई योग्यता, कर्मचारी द्वारा धारित अराजपत्रित पद पर नियुक्ति के लिये न्यूनतम निर्धारित योग्यता हो। 5-9-1972 के इन आदेशों को 1-12-1968 से पूर्व-व्यापी प्रभाव दिया जाना था। लेकिन 5-9-1972 के स्पष्टीकरण आदेशों के फलस्वरूप प्रभावित कर्मचारियों के वेतन के पुर्ननिर्धारण के कारण यदि कोई अधि-भुगतान निकलता हो तो उसे छोड़ दिया जाता था। इस व्यवस्था के बावजूद रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, हैदराबाद के 19 वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायकों ने 5-9-1972 के आदेशों के विरुद्ध आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी, क्योंकि वे अग्रिम वेतनवृद्धियों के लाभ से, जो उन्हें 4-2-1969 के मूल आदेशों के अन्तर्गत मिलते, वंचित कर दिये जाने के कारण खिन्न थे। इस याचिका की सुनवाई एक अकेले न्यायाधीश ने की। 17-11-1972 के अपने निर्णय में न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया और निदेश दिया कि 5-9-1972 के आदेशों को आवेदकों के अहित में लागू अथवा कार्यान्वित न किया जाये।

उच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप आवेदकों को वेतनवृद्धियां पुनः दे दी गई हैं लेकिन सरकार ने अकेले न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध आंध्र प्रदेश न्यायालय की पूरी बैंच के समक्ष अपील दायर की है। पूरी बैंच के निर्णय की प्रतीक्षा है।

उर्वरकों के आयात के लिए विदेशों से बातचीत

3609. **श्री मधु दण्डवते :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने दीर्घावधि सकेन्द्रित उर्वरक ठेकों की व्यवस्था करने के लिये वसूली मिशन को विदेशों में भेजा है ताकि भावी सप्लाई को सुनिश्चित किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न देशों के साथ इस बारे में कितने ठेके किये गये हैं ; और

(ग) कितने मूल्य के और कितनी मात्रा में उर्वरकों के लिये ठेके लिये गये हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) एक उर्वरक क्रय शिष्ट मंडल ने तात्कालिक आवश्यकताओं के संबंध में टेके करने तथा दीर्घावधि ठेके करने की संभाव्यताओं का पता लगाने के लिये अगस्त/सितम्बर, 1973 में यूरोप, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, कुवैत तथा जापान का दौरा किया।

(ख) तथा (ग) : शिष्ट मंडल द्वारा किये गये विचार विमर्श के अनुसार दीर्घावधि प्रबंधों के कुछ क्रय प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। ये प्रस्ताव बिचाराधीन हैं तथा इन प्रस्तावों के संबंध में अभी तक कोई करार नहीं किया गया है। परन्तु, तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये शिष्टमंडल ने कुछ खरीदारी की, जिसका ब्यौरा अनुबन्ध-1 में किया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5918/73] इसके अतिरिक्त, खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से पूर्वी देशों के साथ दीर्घावधि प्रबन्ध किये गये हैं, जिसका ब्यौरा अनुबन्ध-2 में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5918/73]

राउरकेला इस्पात संयंत्र के मुख्य इंजीनियर पर भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार का आरोप

3610. **श्री श्यामसुन्दर महापात्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र के एक मुख्य इंजीनियर को सेवा से हटा दिया गया था और बाद में उसे भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के महाप्रबन्धक के रूप में नियुक्त किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो राउरकेला इस्पात संयंत्र से उसको हटाने के क्या कारण थे ; और

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त अधिकारी के प्रमाण-पत्रों और आचरण पत्रों की जांच की है जिन पर विवाद उठ खड़ा हुआ था ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) जी नहीं। हाल में राउरकेला इस्पात कारखाने के मुख्य इंजीनियर (निर्माण) को उसी वेतनमान में केन्द्रीय कोयला शोधनशाला संगठन धनबाद का महाप्रबन्धक बना कर भेजा गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आरम्भ में नियुक्ति के लिये साक्षात्कार के समय उनकी अर्हताओं के प्रमाण-पत्रों का सत्यापन किया गया था।

जी० आई० शीट्स की कमी

3611. **श्री पी० आर० शिनाय :**

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पूर्वोत्तर भाग में जी० आई० शीट्स की भारी कमी है और इस कमी से निर्माण कार्यों में बहुत बाधा पड़ रही है ; और

(ख) इस कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) और (ख) देश में जस्ती चादरों की मांग और उपलब्धि में बड़ा अन्तर है। जहां तक उत्तर पूर्वी क्षेत्र को सप्लाई का संबंध है, परिवहन की कुछ कठिनाइयां है। इस्पात कारखानों द्वारा रेलवे प्राधिकारियों की सहायता से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को माल की शीघ्र सप्लाई करने के लिये सतत प्रयत्न किये जाते हैं।

खनिज और तेल संसाधनों का पता लगाने के लिए रूसी सहायता

3612. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खनिजों, तेल और भूमिगत जल संसाधनों का तेजी से पता लगाने और सारे देश में एरो-मैगनेटिक सर्वेक्षण के लिये रूसी विशेषज्ञों की सहायता और सहयोग प्राप्त करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) देश के अनेक भागों अर्थात आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कुछ चुने हुये क्षेत्रों का रूस के सहयोग से हवाई खनिज सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव था, किन्तु मई, 1971 में मुख्यतः देशज हवाई चुम्बकत्व सर्वेक्षण की क्षमता के प्रादुर्भाव के फलस्वरूप इस प्रस्ताव को त्याग देने का निर्णय किया गया। यह भी निर्णय किया गया था कि इस प्रकार का सर्वेक्षण आरम्भ करने से पूर्व अब तक किये गये हवाई खनिज सर्वेक्षण के परिणामों का भी मूल्यांकन किया जाये। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था के क्षेत्रीय भू-रासायनिक सर्वेक्षण कार्यक्रम के लिये उपकरण और विशेषज्ञ सहायता लेने का प्रस्ताव विचाराधीन है। देश में भूमिगत जल संसाधनों की खोज के लिये रूसी सहायता प्राप्त करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

तेल सर्वेक्षण के लिये रूसी सहायता के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

तेल समन्वेषण, विकास तथा उत्पादन के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को रूसी सहायता

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को रूसी सहायता का इतिहास आयोग की स्थापना के समय से शुरू होता है। अतवर्ती वर्षों में यह सहायता, जो अधिक मात्रा में है, विस्तार उपकरण की पूर्ति, रूसी विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति भारतीय विशेषज्ञों को प्रशिक्षण तथा प्रौद्योगिकी के अन्तरण के रूप में प्राप्त हुई है। हाल ही के वर्षों में जब सरकार ने यह फैसला किया कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के भावी क्रियाकलापों को समुचित वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय आधार पर आयोजित किया जाये, तो उसने सरकारी क्षेत्र में देश के जलीय-कार्बन भंडारों के विकास के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और सोवियत विशेषज्ञों के दल द्वारा संयुक्त रूप से एक साध्यता अध्ययन करने का कार्यक्रम बनाया। इस अध्ययन दल की रिपोर्ट सितम्बर, 1971 में प्राप्त हुई और रूसी सहायता से उस पर अमल किया जा रहा है। इस संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिये रूसी प्राधिकारियों के साथ समय-समय बैठकें की जाती हैं और इस प्रकार की पिछली बैठक 16 से 19 अक्तूबर, 1973 के बीच भारतीय प्रतिनिधि मंडल के वहां पहुंचने पर मास्को में हुई थी। इस बैठक में किये गये मुख्य निर्णय इस प्रकार थे :--

(1) बेसिन अध्ययन में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की सहायता के लिये जनवरी 1974 में रूसी विशेषज्ञ भारत में प्रतिनियुक्त किये जायेंगे।

(2) जहां तक उपकरणों का संबंध है, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अन्य सामान के अतिरिक्त 2000 मीटर की ड्रिलिंग क्षमता वाली तीन ड्रिलिंग रिंग रूस से खरीदेगा। भारतीय प्रतिनिधि मंडल के मास्को के दौरे के समय से अन्य उपकरणों तथा कल-पुर्जों आदि के आयात के लिये भी 148.62 लाख रुपये का एक करार तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और वो ओ टेक्नो एक्सपोर्ट के बीच हुआ था।

(3) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने 1975-78 की अवधि के लिये रूस से विभिन्न प्रकार के उपकरण की दीर्घकालीन जरूरतें बताई थी और यह तय किया गया था कि रूस द्वारा उनका तथा 1975 के लिये आवश्यक सामान की जांच की जायेगी। उसे 1974 की प्रथम तिमाही में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के समक्ष करार का एक मसौदा प्रस्तुत करना है।

(4) चार वर्तमान रूसी विशेषज्ञों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है तथा अतिरिक्त विशेषज्ञ प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिये सोवियत पक्ष के सामने एक प्रस्ताव रखा गया है। सोवियत पक्ष सिद्धान्ततः उनकी प्रतिनियुक्ति के लिये सहमत हो गया है और यह तय किया गया है कि दिसम्बर, 1973 में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के सामने एक करार का मसौदा पेश किया जायेगा।

(5) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के एक अनुरोध के उत्तर में सोवियत पक्ष ने आयोग के कुछ तकनिशियों को कुछ विषयों में कार्य के दौरान प्रशिक्षण हेतु पर बुलाने की सिद्धान्ततः सहमति व्यक्त की है तथा जनवरी, 1974 में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के सामने एक करार का मसौदा पेश किया जायेगा।

(6) उत्पादन नलिकाओं में निक्षेपों से संबद्ध कठिनाइयों को हल करने में तेल तथा गैस आयोग को समर्थ बनाने के लिये सोवियत पक्ष तामचीनी के आवरण वाली नलिकायें परीक्षण के तौर पर देने के लिये सिद्धान्ततः राजी हो गया है।

इस्पात कारखानों को कोयला भेजने और कोयला वितरण के लिये समिति

3613. **श्री राम कंवर** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात कारखानों को कोयला भेजने और कोयला वितरण के काम में समन्वय करने के लिए हाल ही में इस्पात और खान उप-मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चशक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की गई थी;

(ख) क्या समिति ने अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ग) समिति द्वारा की गई सिफारिशों और टिप्पणियों की मुख्य बात क्या है और क्या उस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) (क) से (ग) कोयले के परिवहन, वितरण की समस्याओं की देखभाल और इस संबंध में समय समय पर सरकार को अनुशंसाएं प्रस्तुत करने के लिए इस्पात और खान उप मंत्री की अध्यक्षता में अगस्त, 1973 में एक

उच्चस्तरीय स्थायी समिति का गठन किया गया था । अब तक हुई अपनी दो बैठकों में समिति ने निम्नलिखित अनुशंसाएं की है :—

(i) इस्पात कारखानों और प्रक्षालनशालाओं को कोयला भेजने हेतु वैगनों की उपलब्धि में वृद्धि करना ।

(ii) एक अनुभ्रमण कक्ष स्थापित किया जाए ताकि खानों, प्रक्षालनशालाओं और इस्पात कारखानों को वैगनों की पूर्ति में दिन-प्रति-दिन की समस्याओं को यथा-संभव शीघ्रता से हल किया जा सके तथा कोयले का शीघ्रतापूर्ण अधिक से अधिक लदान सुनिश्चित किया जा सके।

(iii) इस्पात कारखानों और खानों को हर संभव ऐसे प्रयास करने चाहिएं ताकि इस्पात कारखानों, प्रक्षालनशालाओं और खानों में अधिक समय तक वैगन रुकें न रह सकें।

(iv) बिजलीघरों, रेलवे, सीमेंट तथा अन्य प्रमुख उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं।

(v) सोफ्ट कोक के उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रयास किए जाएं।

(vi) पश्चिम बंगाल और बिहार के गन्तव्य स्थानों पर सड़क द्वारा सोफ्ट कोक पहुंचाने के कार्य को बढावा दिया जाए ।

(vii) विभिन्न प्रकार के कोक की ढुलाई के लिए अधिक संख्या में वैगन उपलब्ध कराए जाएं।

(viii) विभिन्न राज्यों में महत्वपूर्ण स्थानों पर कोयले के टालें बनाए जाए ।

(ix) जहाजरानी व परिवहन मंत्रालय द्वारा अन्तर्वती जल मार्गों द्वारा कोयले की ढुलाई की योजना पर गंभीरता पूर्वक और विस्तार से विचार किया जाए।

(x) जहाजरानी व परिवहन मंत्रालय द्वारा कोयले के तटीय परिवहन में वृद्धि के लिए उपाय किए जाएं ।

कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये राज्यों में नियुक्त सेना पर व्यय

3614. श्री प्रसन्न भाई मेहता :
श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह कहने का निर्णय किया है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए राज्यों में नियुक्त सेना के व्यय को वे वहन करें; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं और कितने राज्य इस प्रस्ताव पर सहमत हुए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं श्रीमान्

(ख) प्रश्न नहीं उठता

राज्यों को लोहे और इस्पात के माल का नियतन

3615. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों को दिए जाने वाले लोहे और इस्पात के माल के नियतन का पुनरीक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पुनरीक्षित व्यवस्था के अन्तर्गत पंजाब के लिए नियतन में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्यों ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : **(क) से (ग)** विभिन्न राज्यों को इस्पात का आबंटन किसी निश्चित प्रतिशत के आधार पर नहीं किया जाता, इसलिए प्रतिशतता के पुनरीक्षण का प्रश्न नहीं उठता । मुख्य इस्पात कारखानों से इस्पात की सप्लाई का विनियिमन इस्पात प्राथमिकता समिति करती है, जो इस्पात के अन्ततः उपयोग, जिसके लिए इस्पात की आवश्यकता है, विशिष्ट तिमाही में उपलब्धि तथा स्पर्धी मांगों को ध्यान में रखती है।

देश की रक्षा के बारे में रक्षा मंत्री के वक्तव्य

3616. **श्री समर गुह** :
श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके द्वारा हाल ही में बार-बार दी गई इस चेतावनी की कि "वी हैव टू बी आलवेज एलर्ट एण्ड कीप अवर पाउडर ड्राई" की पृष्ठ भूमि में और कारण क्या हैं ; और

(ख) क्या पाकिस्तान और चीन की सेनाओं की पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर गतिविधियों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) सदन को समय-समय पर सूचित किया जाता रहा है कि 1971 के युद्ध के पश्चात पाकिस्तान ने कई एक विरचनाएं तथा यूनिटें खड़ी कर ली हैं। पाकिस्तान ने केवल अपनी कमियां ही पूरी नहीं की हैं बल्कि उसने अपनी सशस्त्र सेनाओं में वृद्धि कर ली है। ऐसी जानकारी है कि वह विभिन्न देशों से सैनिक साज-सामान प्राप्त कर रहा है। इस स्थिति में तथा हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए यह अनिवार्य है कि हमारी सेनाएं सतत सतर्कता बर्तें ।

(ख) पश्चिमी तथा उत्तरी सीमाओं पर पाकिस्तानी अथवा चीनी सेनाओं की स्थिति में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुए हैं ।

केरल द्वारा मांगे गये इस्पात की मात्रा

3617. **श्रीमती भार्गवी तन्कप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने चालू वर्ष के दौरान कुल कितनी मात्रा में इस्पात की मांग की है ;

(ख) अब तक कुल कितनी मात्रा में इस्पात की सप्लाई की गई है;

(ग) यदि सप्लाई कम की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हसदा) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली प्रशासन द्वारा कारों और स्कूटरों का आवटन

3618. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन द्वारा कारों/स्कूटरों के आवंटन संबंधी काम कौन करता है और तत्संबंधी नियम तथा विनियम क्या हैं और दिल्ली प्रशासन के कोटे में से किस-किस वर्ग के लोग आवंटन के अधिकारी हैं;

(ख) दिल्ली प्रशासन ने गत तीन वर्षों में वर्ग वार और वर्ष वार कितनी कारों/स्कूटरों का आवंटन किया;

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन ने मंत्रालयों/सरकारी उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी कारों/स्कूटरों का आवंटन किया है जो केन्द्रीय सरकार के कोटे में से भी उन्हें लेने के हकदार हैं; और

(घ) यदि हां, तो कितने मामलों में इस प्रकार का आवंटन किया गया और किस आधार पर ऐसा किया गया ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) इस विषय पर दिल्ली प्रशासन, दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन सं० एफ13(3)/73-ट्रांसपोर्ट, दिनांक 24 अगस्त, 1973 की एक प्रति संलग्न है। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 5919/73]

(ख) एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 5919/73]

(ग) जी, हां।

(घ) पिछले पांच वर्षों में दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों से भिन्न अन्य कर्मचारियों को नौ कारें तथा पन्द्रह स्कूटर, आवंटित किए गए है, अनिवार्यता, स्वास्थ्य, अनुकम्पा और विकट परिस्थिति के आधार पर आवंटित किय गये हैं।

यूनाइटिड आयरन एण्ड स्टील वर्कस यूनियन से अभ्यावेदन

3619. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री एस० एन० मिश्र :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, बर्नपुर के उच्च अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में यूनाइटेड आयरन एण्ड स्टील वर्कस यूनियन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो आरोपों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस बीच कोई जांच करवाई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) इस यूनियन से भ्रष्टाचार के सामान्य आरोपों के बारे में अप्रैल, 1973 में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ग) कम्पनी के कार्यकरण की समीक्षा करते समय कम्पनी का अपिरक्षक कार्मिकों के बारे में, यथावश्यक कारवाई करता रहा है। इस बात को देखते हुए अलग से कोई कारवाई करने की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

रूसी "रौम प्रक्षेपणास्त्र"

3620. **श्री मधु लिमये :**
श्री शंकर राव सावन्त :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम एशियाई युद्ध में रूस द्वारा निर्मित "रोम-6" और अन्य "रोम" प्रक्षेपणास्त्रों के प्रभावी रोल को ध्यान में रखते हुए, सरकार का विचार रूस सरकार से ऐसे आधुनिकतम किस्म के प्रक्षेपणास्त्र सप्लाई करने के लिए अनुरोध करने का है; और

(ख) क्या "रोम" प्रक्षेपणास्त्रों का दूर तक मार करने वाले विमानों के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) इस विषय पर सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

(ख) "रोम" एक रक्षात्मक हथियार है जबकि दूर तक मार करने वाला विमान एक आक्रमक हथियार है। अतः एक को दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता ।

स्टाकहोम में भारतीय मिशन के दूसरे सचिव के लिए नया निवास

3621. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टाकहोम मिशन में दूसरे सचिव ने हाल ही में अपना निवास स्थान बदला है जिसका किराया पहले से अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे परिवर्तनों को स्वीकृति देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार निवास स्थानों के ऐसे परिवर्तनों पर प्रतिबंध लगाने का है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस अधिकारी को मकान इसलिए बदलना पड़ा क्योंकि राजदूतावास के मान्य डाक्टर की राय में इस अधिकारी की पत्नी के स्वास्थ्य के लिए उसका पहला मकान हानिकारक था। कारोलिन्सका के इन्स्टींट्यूट आफ डाक्टर्स का भी यही मत था ।

(ग) सामान्य रूप से किसी अधिकारी के कार्यकाल के दौरान आवास के ऐसे परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाती जिससे अतिरिक्त खर्च करना पड़ता हो। आवासों के पट्टे के बारे में मिशनों के अधिकार स्पष्ट रूप से बताए हुए हैं और जब कभी आकस्मिक कारणों से परिवर्तन आवश्यक हो जाए, जैसे—चिकित्सा संबंधी कारण, मकान मालिक द्वारा किराया बढ़ाकर मांगना आदि, तो सरकार की पूर्व स्वीकृति लेनी जरूरी होती है।

गैर-कोककर कोयला खानों के राष्ट्रीकरण किये जाने की तिथि को 500 अंशधारियों वाली खनन कम्पनियों की संख्या

3622. **श्री श्याम नन्दन मिश्र :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-कोककर कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण किये जाने की तिथि को 500 से अधिक अंशधारियों वाली खनन कम्पनियों के नाम क्या थे ।

(ख) उनमें से कौन-कौन सी कम्पनियों ने न्यायालयों में "रिट" दायर की है ;

(ग) 1 अप्रैल, 1968, 1 अप्रैल, 1970, 1 अप्रैल, 1972, 11 मार्च, 1973 और 1 अक्तूबर, 1973 को उनकी अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी कितनी-कितनी थी और उनके शेयरों का बाजार मूल्य कितना-कितना था; और

(घ) सरकार को उपलब्ध अद्धेयतन ब्योरे के अनुसार अंशधारियों को कितना मुआवजा मिलेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (घ) : विभिन्न कोयला कम्पनियों द्वारा, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के विरुद्ध कुल मिलाकर 155 "रिट" याचिकाएं दायर की गई हैं। बाकी की जानकारी न तो तत्काल उपलब्ध है न इस बारे में कुछ बतलाना लोक हित में होगा।

अजीक्कल पतन केरल का जलवैज्ञानिक सर्वेक्षण

3624. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री सी० जनार्दनन् :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय केरल के अजीक्कलन पत्तन का जलवैज्ञानिक सवक्षण किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का ब्योरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकार द्वारा केरल के अजीक्कल में अब कोई जल वैज्ञानिक सर्वेक्षण नहीं किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पांचवी योजना के दौरान लद्दाख में सड़कों के लिये धनराशि का आवंटन

3625. **श्री कुशोक बाकुला :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लद्दाख में सड़कों के विकास **और** निर्माण के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ;

(ख) उक्त अवधि में किन-किन सड़कों पर कार्य आरम्भ किया जायेगा; **और**

(ग) क्या प्रस्तावित कार्यक्रम के अन्तर्गत लद्दाख में सब गावों में सड़क सुविधाएं उपलब्ध हो जायेंगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग): इस नाजुक क्षेत्र की सड़कों के संबंध में सूचना देना लोकहित में नहीं होगा ।

आर्थर एण्ड बटलर वैगन मैन्युफेक्चरिंग यूनिट, मुजफ्फरपुर और कलकत्ता तथा मोकामाह स्थित ब्रिटेनिया के कारखानों को सरकारी नियंत्रण में लाने के बारे में समझौता

3627. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल और भारी उद्योग मंत्रालयों में मुजफ्फरपुर (बिहार) के आर्थर एण्ड बटलर वैगन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और कलकत्ता और मोकामोह के विकट ब्रिटेनिया के दो कारखानों के सरकारीकरण के बारे में मूल्य निर्धारण पर कोई समझौता हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) : मूल्य निर्धारण का कोई पहलू अन्तर्गस्त नहीं है और इसलिए इस पर अन्तर-मंत्रालय समझौते का कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हड़तालों पर रोक

3628. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में सभी उपक्रमों में उत्पादन में वृद्धि करने के उपाय के रूप में तीन वर्ष तक हड़तालों पर रोक लगाने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : सरकार का आम रूप से हड़तालों पर सामान्यतः रोक लगाने का विचार नहीं है ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की परामर्शदात्री सेवायें

3629. **श्री के० मालन्ना :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क). हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा विदेशों में बनाये बहुत से एजेंटों का ब्योरा क्या है ; और

(ख) क्या विदेशों ने मशीन टूल्स उद्योगों की स्थापना के बारे में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की परामर्शदात्री सेवाएं मांगी हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने अपने उत्पादों की बिक्री का प्रबन्ध करने के लिए ब्रिटेन, हालैंड, डेनमार्क, पश्चिम जर्मनी बेल्जियम. श्री लंका जापान, साउथ कोरिया, नेपाल तथा मलेशिया में एजेन्ट नियुक्त किए हैं।

(ख) जी, हां ।

पत्रकारों के लिए सांविधिक सुरक्षा

3630. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पत्रकारों को सांविधिक सुरक्षा प्रदान करने संबंधी सुझाव पर विचार कया है ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने पत्रकारों को सांविधिक सुरक्षा प्रदान करने के बारे में सम्बन्धित राजय से परामर्श किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

श्रम मत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : **(क) से (ग)** श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध अधिनियम, 1955, श्रमजीवी पत्रकारों की सेवा शर्तो विनियमित करता है और सरकार उनके लिए एक मजदूरी बोर्ड स्थापित करने का विचार रखती हैं। गैर-पत्रकारों के लिए मजदूरी बोर्ड स्थापित करनें सम्बन्धी अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश में ट्रेक्टर कारखाना

3631. **श्री दिनेश सिंह** : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतापगढ़ जिले (उत्तर प्रदेश) में ट्रेक्टर कारखाना लगाने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा और कारखाना कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह): **(क) तथा (ख)** : इच्छुक निर्माताओं ने उत्पादन और संयोजन सुविधाओं के स्थान निर्धारण के लिए एक योजना प्रस्तुत की है। यह सरकार के विचाराधीन है ।

गुजरात में बॉक्साइट का पता लगाना

3632. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में अच्छे किस्म के बॉक्साइट का पता लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गुजरात में एल्यूमीनियम संयंत्र स्थापित करके इस बॉक्साइट का उपयोग करने का है और यदि हां, तो कब ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) गुजरात सरकार ने, निर्यात-प्रवण ऐल्यूमिनायम संयंत्र की स्थापना के लिए बाक्साइट के प्रयोग का प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव विचाराधीन है।

Setting up a Tractor Factory in Rewa

3633. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

Whether any scheme is under consideration to set up a tractor factory in Rewa division of Madhya Pradesh with the electricity and other facilities provided by the Ban Sagar Project in the intial stage ?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh) : No, Sir.

Engine for small car by Maruti Limited

3634. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) Whether in accordance with the initial plans of the Maruti Limited, a two-stroke engine for small car was to be manufactured, but this car will now be of four-stroke engine

(b) the extent to which its cost is likely to go up and the period for which its production date will be deferred as a result thereof ; and

(c) the distinction among this small car, after it is fitted with four-stroke engine and the Ambassador, Fiat and Standard Cars ?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) This is likely to be a marginal increase in the price. There will, however, be no effect on the production schedule which will be framed after the prototype of the car has been tested and certified to be roadworthy.

(c) The information is given in the attached statement.

[Placed in Library See No. C.T. 5920/73]

रत्नागिरि एल्यूमीनियम परियोजना के लिये निर्धारित धन राशि का कोरबा एल्यूमीनियम परियोजना को दिया जाना

3635. **श्री एस० एल० पेजे** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रत्नगिरि एल्यूमीनियम परियोजना के लिये निर्धारित धनराशि को कोरबा एल्यूमीनियम परियोजना को देने के बारे में भारत एल्यूमीनियम कम्पनी का प्रस्ताव था; और

(ख) इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अल्जीयर्स में गुट-निरपेक्ष-राष्ट्रों के सम्मेलन में भारत द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव

3636. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री के० लकप्पा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अल्जीयर्स में गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन में भारत ने कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) सितम्बर, 1973 में अल्जीयर्स में आयोजित निर्गुट देशों के राज्याध्यक्षों और सरकार प्रमुखों के चौथे सम्मेलन में एक सामान्य राजनीतिक घोषणा-पत्र, एक आर्थिक घोषणा-पत्र और आर्थिक सहयोग के लिए एक क्रियात्मक कार्यक्रम स्वीकार किया। विशिष्ट राजनीतिक और आर्थिक विषयों पर कई प्रस्ताव भी स्वीकार किए गए। इन प्रलेखों में सम्मेलन में लिए गए निर्णय थे और वे सम्मेलन की आम राय द्वारा पारित किए गए थे जो कि निर्गुट देशों की बैठकों की परम्परा के अनुकूल थे।

भारत ने इन घोषणाओं की तैयारी के लिए बातचीत तथा परामर्श में सक्रिय भाग लिया। जिन विभिन्न विषयों पर उन्होंने चर्चा की, उन पर भारत ने भी अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और जहां कहीं आवश्यक हुआ, आम राय के लिए प्रस्ताव भी रखे।

चूंकि निर्गुटता कीं भावना के अनुकूल आम राय द्वारा ये सम्मेलन-प्रलेख स्वीकार किए गए थे, इसलिए, उन अलग-अलग देशों द्वारा रखे गए प्रस्तावों का उल्लेख करना उचित न होगा जिनके योगदान से आम राय तैयार हुई।

चौथे शिखर सम्मेलन द्वारा पारित प्रस्तावों और घोषणाओं की प्रतियां सदन के पुस्तकालय में सुलभ हैं।

हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा मीटर गैज-डीजल विद्युत इंजनों के लिये 'ट्रांजिशन रिले' का निर्माण

3637. **श्री श्रीकिशन मोदी : श्री के० लकप्पा :** क्या **भारी उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में हैवी इलैक्ट्रिकल्स इण्डिया लिमिटेड में पहली बार मीटर गैज डीज़ल विद्युत इंजनों के लिये, 'ट्रांजिशन रिले' तैयार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस प्रकार के निर्माण से कितनी विदेशी मुद्रा की बजत होगी।

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यह विद्युत-चुम्बकीय रिले फील्ड को बदलने के लिए आवश्यकरूप से इस्तेमाल किया जाता है जिससे विभिन्न गतियों पर इंजन का वांछित कार्य उपलब्ध हो सके। इस रिले से परिवर्तशील करेंट और वोल्टेज पर सन्तोषजनक कार्य भी हो सकता है :

(ग) 1973-74 में 50,000 रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

स्पंज लौह संयत्र

3638. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री के० लकप्पा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'राज्य क्षेत्र' द्वारा स्पंज लौह संयंत्र स्थापित किये जायेंगे; **और**

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उन्हें वित्तीय सहायता देने का है और यदि हां, तो कितनी सहायता करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) (क) स्पंज आयरन के कारखाने स्थापित करने के लिए तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा, अन्ध्र प्रदेश और गुजरात की राज्य औद्योगिक विकास निगमों को आशय-पत्र दिए गए हैं।

(ख) इन प्रयोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने को कोई विशेष योजना नहीं है।

केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक!।निजी क्षेत्रों में सैनिक सेवा के अधिकारियों को रोजगार

3639. **श्री आर० एन० वर्मन :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में अब तक कितने सैनिक सेवा के अधिकारियों को रोजगार दिया गया है; और

(ख) वाकी बेरोजगार सैनिक सेवा के अधिकारियों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) (क) और (ख) 1956 से अब तक 1362 नियमित सेवा निवृत सैनिक अधिकारियों और 1967 से 1118 आपतकालीन कमीशन और 136 अल्पकालीन सेवा कमीशन निर्मुक्त अधिकारियों को रोजगार दिया गया है। आपतकालीन कमीशन और अल्प कालीन सवा कमीशन स निमूंतन अधिकारियोंरोजगार दिया गया है। आपातकालीन कमीशन और अल्प कालीन सेवा कमीशन से निर्मुक्त अधिकारियों के लिए केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत श्रेणी I और श्रेणी II के विभिन्न पदों में 20 प्रतिशत से 27 प्रतिशत तक का आरक्षण किया गया है। इसी प्रकार अधिकतर राज्य सरकारों ने भी आपात कालीन कमीशन और अल्पकालीन सेवा कमीशन से निर्मुक्त अधिकारियों के लिए श्रेणी I अतुर श्रेणी II के पदों में कुछ प्रतिशत का आरक्षण किया है। देश में बेरीजकारी की सामान्य स्थिति को देखते हुए सेवा निवृत अथवा निर्मुक्त सभी सैनिक अधिकारियों को सीधे नौकरी दिये जाने की सीमित गुंजाइश है। अतः निजी रोजगार की योजनाओं पर अधिक बल दिया जा रहा है। भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों के लिए निजी रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए कई प्रशिक्षण कोर्सों को चलाया जा रहा है।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयोग, पटना द्वारा बरौनी तेल-शोधन कारखाने के आस-पास के प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण

3640. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, पटना ने वेगुसराय जिले में बरौनी तेल-शोधन कारखाने के आस-पास स्थित प्रतिष्ठानों के बारे में कोई व्यापक सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके अन्तर्गत कौन से प्रतिष्ठान आते हैं और वे किस अनुसूचित शीर्षक के अन्तर्गत आते हैं; और

(ग) इन्फेन्ट तथा मार्जिनल रजिस्टरों में ऐसे कितने प्रतिष्ठानों की सूची अंकित की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) (क) से (ग) : सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और एकत्र की जा रही है। यह यथासमय सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

झुमरीतिलैया, जिला हज़ारीबाग के अभ्रक खानों के श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी का भुगतान न करना

3641. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि हज़ारीबाग ज़िले के झुमरीतिलैया के अभ्रक खानों के श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अधीन निर्धारित न्यूनतम मजूरी नहीं दी जा रही है; और

(ख) क्या क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, धनबाद द्वारा कानून का प्रवर्त्तन ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है और प्रवर्तन अधिकारी कठोरता से निरीक्षण नहीं कर रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) (क) : क्षेत्राधिकारियों से प्राप्त सूचनानुसार, अभ्रक खनिकों को निर्धारित न्यूनतम दरों से अधिक का भुगतान किया जाता है।

(ख) क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय धनबाद में स्थित है, परन्तु निरीक्षणों और प्रवर्तन के उद्देश्य के लिए एक श्रम प्रवर्तन अधिकारी कोडर्मा में, जो कि अभ्रक खानों के केन्द्र में स्थित है, नियुक्त किया गया है।

झुमरीतिलैया, रामगढ़ और आसनसोल क्षेत्र स्थित खानों में सुरक्षा उपायों को लागू करना

3642. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि झुमरीतिलैया, रामगढ़ और आसनसोल क्षेत्र स्थित खानों के निदेशक, भारतीय खान अधिनियम को दृढ़ता से लागू नहीं कर रहे हैं तथा इन खानों में पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं अपनाये गये हैं;

(ख) क्या इन खानों में अनेक दुर्घटनायें हो चुकी हैं; और

(ग) क्या मृतकों द्वारा मनोनीत व्यक्तियों को मुआवजा देने के दायित्व से भी ये खान मालिक बच गये हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) (क) : खान सुरक्षा महानिदेशक ने सूचित किया है कि यह आरोप कि झुमरीतिलैया, रामगढ़ और आसनसोल के खान सुरक्षा निदेशक खान अधिनियम का दृढ़ता से प्रवर्तन नहीं कर रहे हैं, गलत है। खान सुरक्षा निदेशक, दक्षिण-पूर्वी अंचल जिनका मुख्यालय रांची में है, के क्षेत्राधिकार में झुमरीतिलैया और रामगढ़ शामिल हैं और खान सुरक्षा निदेशक, पूर्वी अंचल जिनका मुख्यालय सीतारामपुर में है, के क्षत्राधिकार में आसनसोल शामिल है।

(ख) 1971, 1972 और 1973 में इस तारीख तक दक्षिण पूर्वी अंचल की सभी खानों में घातक दुर्घटनाओं की संख्या क्रमशः 40, 38 और 41 है। पूर्वी अंचल के लिए तत्सम आंकड़े 47, 55 और 43 हैं।

(ग) प्रबन्धकों द्वारा प्रतिकर, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत देय हैं, जिसका प्रशासन राज्य के कार्यक्षेत्र में आता है।

मैसर्ज बोकारो स्टील लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

3643. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसर्स बोकारो स्टील लिमिटेड, डाकघर बोकारो, धनबाद के कर्मचारी हड़ताल पर थे, और यदि हां, तो कर्मचारियों और संघों की मांगें क्या हैं ?

(ख) क्या ये सभी संघ मान्यताप्राप्त हैं; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस हड़ताल के कारण कितनी हानि हुई है, और इस हड़ताल को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) (क) से (ग) : यह मामला अवाश्यक रूप से राज्य के कार्य-क्षेत्र में आता है। उपलब्ध सूचनानुसार, बोकारो स्टील लिमिटेड के श्रमिकों ने सवारी भत्ते, उत्पादन बोनस आदि से सम्बन्धित अपनी मांगों के समर्थन में नवम्बर, 8 से हड़ताल की थी। सूचित किया गया है कि राज्य औद्योगिक सम्बन्ध तन्त्र की मध्यस्थता पर एक समझौते को मानते हुए नवम्बर, 16, 1973 को हड़ताल वापस ले ली गई है।

Sanctioned Staff for Translation and Revision Work for Training Armed Personnel

3644. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the posts (class I to III) sanctioned for translation and revision work of manuals/ reference books/Military Publication and other training literature and the incumbents actually working against them ;

(b) whether additional staff is needed for the work and if so, how much (Class I to III) and

(c) the reasons for not appointing Hindi Officers in these organisations despite clear directions from the Home Ministry ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

चीन और पाकिस्तान के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान

3645. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चीन के साथ पूर्ण स्तर के राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने से पूर्व उसके साथ कुछ सांस्कृतिक आदान-प्रदान करने का है; और

(ख) क्या शिमला समझौते की भावना के अनुसरण में पाकिस्तान के साथ भी कुछ सांस्कृतिक आदान-प्रदान किये जाने की सम्भावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत और चीन परस्पर एक-दूसरे के साथ राजनयिक सम्बन्ध बनाये हुए हैं, चाहे ये सम्बन्ध कार्यकारी दूत के स्तर तक ही हैं। सांस्कृतिक आदान-प्रदान अनिवार्य रूप से राजनयिक सम्बन्धों से जुड़ा नहीं होता परन्तु उसके लिए परस्पर सहमति की आवश्यकता होती है। सरकार संस्कृति एवं खेल-कूद के क्षेत्र में सम्पर्क बढ़ाने के पक्ष में है। हमने अक्तूबर-नवम्बर, 1971 में पीकिंग में आयोजित एफ्रो-एशियाई आमंत्रणी खेल-कूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एक टेबल टेनिस टीम भेजी थी और ऐसी ही एक दूसरी टीम ने अगस्त, 1973 में पीकिंग में आयोजित एशिया-अफ्रीकी-लातीनी अमरीका मैत्री आमंत्रणी खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया था। हमने चीन की टेबल टेनिस टीम को भारत आने के लिए आमंत्रित किया था परन्तु अभी तक उस आमंत्रण का कोई उत्तर नहीं मिला।

(ख) शिमला समझौते में पाकिस्तान के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान की व्यवस्था की गई थी। ये सांस्कृतिक आदान-प्रदान सम्बन्धों को सामान्य बनाने के साधनों के अंग हों जिन्हें दोनों देशों को एक के बाद दूसरे कदम, के रूप में क्रियान्वित करना है।

शिमला समझौते की व्यवस्था के अनुसार, सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए बातचीत करने की दिशा में हमने जो पहलकदमी की थी, उसका पाकिस्तान ने अभी तक सकारात्मक उत्तर नहीं दिया है। पाकिस्तान की दलील यह है कि इन बातों पर अमल करने के लिए युद्धबन्दियों तथा नागरिक नज़रबन्दों के भारत से पाकिस्तान प्रत्यावर्तित हो जाने तक रुकना होगा। यदि पाकिस्तान वास्तव में भारत के साथ सम्बन्ध सामान्य बनाना चाहता है तो शिमला समझौते की शर्तों के अनुसार दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को आसानी से फिर आरम्भ किया जा सकता है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र में उत्पादन

3646. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष को देखते हुए राउरकेला इस्पात संयंत्र में उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार का विचार क्या अतिरिक्त उपाय करने का है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उड़ीसा राज्य में कुछ और कर्मचारियों को राउरकेला इस्पात संयंत्र में प्रतिनियुक्ति पर लगाने का है जिससे राज्य सरकार के साथ उसके अच्छे सम्बन्ध हो जायें ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) यद्यपि मालिक-मज़दूर सम्बन्धों के बारे में कुछ समस्या रही है तथापि कर्मचारियों में लगातार असन्तोष नहीं है। जहां तक उत्पादन बढ़ाने हेतु कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने का सम्बन्ध है, उत्पादन तथा बेहतर मालिक मज़दूर सम्बन्ध बनाने में कर्मचारियों का योगदान बढ़ाने हेतु आवश्यक उपायों के बारे में राउरकेला इस्पात कारखाने के प्रबन्धक तथा मान्यताप्राप्त यूनियन समय-समय पर एक दूसरे से परामर्श करते रहते हैं उत्पादन प्रोत्साहन योजनाएं कारखाने के प्रबन्धकों और मान्यता प्राप्त यूनियन द्वारा मिलकर बनाई गई हैं।

(ख) जी, नहीं

Arms Used in Arab-Israel Army

3647. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri P. Narasimha Reddy :

Will the **Minister of Defence** be pleased to state :

(a) the names of the most sophisticated weapons used in the recent West-Asian war fought between Israel and Arab countries ;

(b) whether India possesses those weapons ; and

(c) if not, whether Government of India propose to have them by setting up factories in the country or by way of imports ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) According to information available, the most sophisticated weapons used by Israel were Maverick Air-to-Surface TV Guided Tactical Missiles and Walleys Air-to-Surface Guided Bombs besides improved version Mirage-III aircraft. The Arab countries have used Strela (SA 7) Ground to Air Guided Missile and Sam-6 Ground-to-Air Guided Missiles and also Sapper/Sagger Anti-tank missiles.

(b) and (c) The weapon system of our Armed Forces has been determined with reference to our peculiar and specific requiremnets. However, the weapons, tactics etc used in various conflicts in various regions are evaluated, as a matter of normal exercise, to draw lessons for our own defence. Similar exercise is in progress with regard to the recent Arab-Israeli war.

अरब देशों को भारतीय समर्थन के सिद्धान्त

3648. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ने 20 अक्तूबर, 1973 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के खैर नामक स्थान पर 'किसान मेले' में भाषण करते हुये कहा था कि अरब देशों को भारतीय समर्थन सिद्धान्तों पर आधारित है;

(ख) यदि हां, तो उन सिद्धान्तों की मुख्य बातें क्या हैं जिनके आधार पर प्रधान मंत्री ने अरब देशों के भारत के प्रति पूर्ण सहानुभूति पर बल दिया; और

(ग) ऐसे किन मामलों तथा विशेष अवसरों पर अरब देशों ने भारत तथा भारतीय मामलों का समर्थन किया ।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह): (क) जी हां ।

(ख) जैसा कि प्रधान मंत्री ने उसी भाषण में स्पष्ट कर दिया था कि इस मामले में सिद्धान्त की बात यह है कि शक्ति द्वारा किसी भू-भाग पर अधिकार को मान्यता नहीं दी जा सकती ।

(ग) अरब देशों ने कई मसलों पर भारत का और भारत के रुख का समर्थन किया है । परन्तु भारत सरकार यह आवश्यक नहीं समझती कि भारत और प्रत्येक अरब देश के बीच एक-दूसरे के समर्थन के कार्यों के तुलन-पत्र तैयार किए जायें ।

Utilisation of Erstwhile Resident Office at Raxaul (Bihar)

3649. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the erstwhile Resident Office at Raxaul in East Champaran (Bihar) is not being utilized for any purpose ; and

(b) if so, whether Government purpose to make some good use of that Office and the garden attached thereto ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri SurendraPal Singh) (a) and (b) : The erstwhile Resident's Office at Raxaul is now used as transit Rest House by officials of the Embassy of India, Kathmandu, the Indian Cooperation Mission and officers working on various Cooperation Projects in Nepal. The fruit-bearing trees in the garden yield and average annual revenue of Rs. 1,000. A portion of the land belonging to the Rest House was transferred last year to the Central Excise and Land Customs Department for construction of office and residential accommodation. Government also have under consideration the construction of other offices and buildings on the site.

Land Ownership Right to East Pakistan Refugees in Champaran, Bihar

3650. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether refugees from East Pakistan rehabilitated in Champaran (Bihar) have not been given the ownership rights on the land allotted to them ;

(b) whether in the absence of ownership rights of the land, they are not able to get loans from the Government and private sources for the development of their lands; and

(c) if so, whether Government propose to give them ownership rights of the land allotted to them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Supply and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : (a) The cost of land allotted to refugees from former East Pakistan rehabilitated in Bihar as well as in other States has been treated as a loan to each individual family who can become owner of the land after repayment of the loan and interest thereon. Till then the land remains mortgaged to the Government.

(b) Yes, Sir.

(c) In view of the position explained in (a) above, the question does not arise.

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में इन्गोट्स का उत्पादन

3651. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में 1972-73 वर्ष के दौरान 'इन्गोट्स' का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार संयंत्र की 'इन्गोट्स' की वर्तमान उत्पादन क्षमता में निकट भविष्य में विस्तार करने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो कितना विस्तार किया जाना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) 7.22,777 टन ।

(ख) और (ग) : कारखाने की क्षमता का विस्तार करने की सम्भावना पर विचार किया जा रहा है ।

पांचवीं योजना में ट्रैक्टर बनाने के कारखाने

3652. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **भारी उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में सरकारी और निजी क्षेत्र में ट्रैक्टर बनाने वाले कारखानों की कुल संख्या कितनी है और इनमें कुल कितना वार्षिक उत्पादन होता है ; और

(ख) आगामी तीन वर्षों में कितने ट्रैक्टर कारखाने स्थापित किये जायेंगे और वे कहां-कहां पर होंगे तथा इसके परिणामस्वरूप अनुमानतः कितना उत्पादन बढ़ने की सम्भावना है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) इस समय ट्रैक्टरों का निर्माण कर रहे सात एककों में उत्पादन हो रहा है, इनमें से एक सरकारी क्षेत्र में है । वर्ष 1972-73 में कुल उत्पादन 20,802 और वर्ष 1973-74 में 12,062 (अप्रैल से अक्तूबर, 1973) था ।

(ख) आगामी तीन वर्षों में 6 और एककों में उत्पादन आरम्भ हो जाने की आशा है । इनमें से दो महाराष्ट्र, दो पंजाब, एक आन्ध्र प्रदेश और एक उत्तर प्रदेश में स्थापित होंगे । जब इन सब एककों में उत्पादन होने लगेगा तो कुल उत्पादन 50,000 ट्रैक्टर प्रति वर्ष बढ़ जाने की आशा है ।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पत्रकारों के लिए मंजूरी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करना

3653. **श्री मुहम्मद शरीफ : श्री बसन्त साठे** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय श्रमजीवी पत्रकार फेडरेशन ने पत्रकारों के लिए प्रस्तावित मजूरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को नियुक्त करने की मांग की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) (क) जी हां

(ख) सुझाव पर विचार किया जा रहा है ।

बर्न श्रमिक यूनियन हावड़ा से प्राप्त ज्ञापन

3654. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **भारी उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बर्न श्रमिक यूनियन, हावड़ा से 20 सितम्बर, 1973 को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) प्रबन्ध अधिग्रहण करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत कर दिया गया है ।

श्रम मंत्रालय में आर्थिक /सांख्यिकीय अन्वेषकों को स्थायी करना

3655. **श्री बसन्त साठे** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1973 को श्रम मंत्रालय एवं इसके सम्बद्ध कार्यालयों में कितने कनिष्ट/वरिष्ठ आर्थिक/सांख्यिकीय अन्वेषक कार्य कर रहे थे;

(ख) उनमें से कितने स्थायी हैं;

(ग) क्या और अधिक कर्मचारियों को निकट भविष्य में स्थायी घोषित किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (घ) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

श्रम ब्यूरो के कम्प्यूटरों की ओर से अभ्यावेदन

3656. **श्री बसन्त साठे** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम ब्यूरो के कम्प्यूटरों की ओर से इन्वेस्टीगेटर ग्रेड दो के पदों पर उनकी पदोन्नति के लिए उनके साथ भेदभाव बढ़ते जाने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं तथा इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है;

(ग) क्या भर्ती संबंधी नियमों के आशय तथा उपबन्धों का उल्लंघन करके क्लेरीकल केडर से तकनीकी कैडर में बड़ी संख्या में पदोन्नतियां की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार पूरी समस्या पर विचार कर रही है तथा तकनीकी कैडर के कर्मचारियों में कुंठाएं उत्पन्न न होने देने के लिए भर्ती संबंधी नियमों को युक्तिसंगत कर रही है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) (क) जी हां, तकनीकी स्टाफ एसोसिएशन, श्रम ब्यूरो, शिमला से।

(ख) अभ्यावेदन में मुख्य आशय यह है कि ऐसे गैर-स्नातक संगणकों को भी, जो इस समय वर्तमान भर्ती नियमों के अनुसार अन्वेषक ग्रेड II के पद पर पदोन्नति के पात्र नहीं हैं, इस पद पर पदोन्नति के लिए पात्र बनाया जाना चाहिए। मामले की जांच की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) तकनीकी स्टाफ एसोसिएशन द्वारा भेजे गए अभ्यावेदन की जांच की जा रही है।

इच्छापुर आयुध कारखाना मजदूर यूनियन से वियुअर्स ग्रेड 'बी' के संबंध में ज्ञापन

3657. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मंत्रालय को इच्छापुर आयुध कारखाना मजदूर युनियन से मेटल एण्ड स्टील फैक्टरी, इच्छापुर के 21 'वियुअर्स' ग्रेड 'बी' के वेतन नीयत करने में विलम्ब के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसका सार क्या है; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी हां श्रीमन्। 2 अगस्त 1973 के ज्ञापन में संघ ने 21 'वियुअर्स' ग्रेड 'बी' का उनके परीक्षकों के रूप में पुनः पदनिर्धारण/पदोन्नति पर शीघ्र वेतन नियत करने का अनुरोध किया है।

(ग) आर्डनेंस फैक्टरी के महानिदेशक ने यह मामला संबंधित लेखा प्राधिकारियों के साथ उठाया है और शीघ्र ही निर्णय हो जाने की आशा है।

गौरेपुर कन्टेनर्स एण्ड कलोजर्स लिमिटेड, नई हट्टी के कर्मचारियों की बकाया राशि की अदायगी

3658. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी नियंत्रण में ली गई कम्पनी गौरेपोर कन्टेनर्स एण्ड कलोजर्स लिमिटेड, नई हट्टी, 24 परगना के श्रमिकों की बकाया राशियों की अदायगी अभी भी नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने शीघ्रता से भुगतान करने के लिए क्या कार्यवाही की है?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) (क) पश्चिम बंगाल की सरकार से विदित हुआ है कि भारत सरकार द्वारा 29 नवम्बर, 1972 को गोरेपोर कन्टेनर्स एण्ड कलोजर्स लि० का उत्तर-दायित्व लेने के बाद, उस तारीख से श्रमिकों की सभी बैध देय राशियों के भुगतान कर दिए गए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कलकत्ता श्रमिक बोर्ड के अधीन गोदी श्रमिकों के मजूरी नियत करने विषयक समिति का प्रतिवेदन

3659. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता श्रमिक बोर्ड के अधीन पंजीकृत गोदी श्रमिकों के कुछ वर्गों की मजूरी नियत करने के लिए नियुक्त एन० एम० चटर्जी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5921/73]

भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा युगांडा में छोड़ी परिसम्पत्तियों का मूल्य

3660. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** :
डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा युगांडा में छोड़ी परिसम्पत्तियों के निपटान के संबंध में वहां की सरकार के साथ इस बीच कोई बातचीत हुई है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय राष्ट्रिकों के दावों के अनुसार परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य क्या है और युगांडा सरकार ने परिसम्पत्तियों का क्या मूल्य माना है; और

(ग) उपरोक्त बातचीत के परिणामस्वरूप क्या निर्णय किया गया और परिसम्पत्तियों का निपटान कब तक हो जायेगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ग) जैसा कि सदन को ज्ञात है, भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा छोड़ी गई परिसम्पत्तियों के उचित और न्यायपूर्ण मुआवजे के मूल्यांकन और अदायगी के लिए भारत सरकार उगांडा सरकार से निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए है। उगांडा सरकार ने जब्ती के विरुद्ध सामान्य आश्वासन तो दिए हैं किन्तु मुआवजे के संबंध में अपनी नीति स्पष्ट नहीं की है। उगांडा सरकार ने हमें सूचित किया है कि परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन के लिए एक समिति नियुक्त की गई है और यह कि वे भारत से अधिकारियों का एक उच्चस्तरीय दल आमंत्रित करेंगे। अभी तक कोई निमंत्रण नहीं मिला है हालांकि कम्पाला स्थित हमारे हाई कमिश्नर उगांडा सरकार से सम्पर्क बनाए हुए हैं।

(ख) कुछ दावे सीधे उगांडा के अधिकारियों के पास ही किए गए हैं कुछ हमारे हाई कमीशन के पास दर्ज किए गए हैं और अभी भी कुछ मामले बाकी हो सकते हैं जिनको शीघ्र दाखिल करने के लिए रेडियो और समाचार पत्रों के माध्यम से अनुरोध किया गया है। इसलिए, इस समय दावों के कुल मूल्य के बारे में कोई आंकड़े देना न तो वास्तविक होगा और न उपयोगी।

सिन्ध से आये शरणार्थियों की जीवन निर्वाह परिस्थितियां

*661. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पाक संघर्ष के दौरान सिंध से भारत की ओर आने वाले शरणार्थी खुले आकाश के नीचे बहुत कठिनाई का जीवन काट रहे हैं और उन्हें पर्याप्त राशन भी नहीं दिया जाता; और

(ख) यदि हां, तो इन शरणार्थियों को कितना राशन दिया जा रहा है और उन्हें तम्बुओं अथवा अस्थायी मकानों में स्थान न देने के क्या कारण हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) इन व्यक्तियों को दिए जाने वाले राशन की मात्रा तथा अन्य राहत सहायता, संलग्न विवरण में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5922/73] उन्हें पर्याप्त राशन दिया जा रहा है। राजस्थान में झोंपड़ों के निर्माण के लिए प्रति परिवार 100 रु० की सहायता मंजूर की गई थी और गुजरात में वर्षा ऋतु के दौरान घास से बनी इन शरणार्थियों की झोंपड़ियों को त्रिपालों से ढक दिया गया था इसलिए अपर्याप्त आश्रय स्थान का प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता पत्तन के छंटाई और रंग रोगन कर्मचारियों से प्राप्त ज्ञापन

3662. **श्री सरदीश राय :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें कलकत्ता पत्तन के छंटाई और संरंग-रोगन कर्मचारियों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उनकी शिकायतें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा):(क) से (ग) दिसम्बर, 1972 में कलकत्ता पत्तन आयुक्तों, कलकत्ता के चीफ मकैनिकल इंजीनियर और मेरीन विभाग के अन्तर्गत नियोजित चिप्पिंग, पेंटिंग और बायलर क्लीनिंग श्रमिकों और उन के टिंडलों, सेरांगों और भूतपूर्व पर्यवेक्षी कर्मचारी वर्ग की ओर से निम्नलिखित मांगों के संबंध में एक औद्योगिक विवाद उठाया गया था :—

(1) चिप्पिंग और पेंटिंग श्रमिकों का मासिक आधार पर नियोजन;

(2) सवेतन रोस्टर आफ डे;

(3) पत्तन और गोदी श्रमिकों संबंधी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार मजुरियों का भुगतान;

(4) कचरा और गियर भत्ता;

(5) श्रमिकों पर कर्मचारी भविष्य निधि योजना का लागू होना;

(6) अस्पताल की सुविधायें;

(7) अर्जित, बीमारी और आकस्मिक छुट्टी स्वीकृत करना;

(8) उपदान नियमों के अनुसार उपदान;

(9) सवेतन निर्धारित साप्ताहिक छुट्टी;

(10) महीने में 20 दिनांक की गारण्टीकृत न्यूनतम मंजूरी।

विवाद को सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), कलकत्ता द्वारा संराधन में लिया गया था जोकि असफल रहा। जब कि संराधन की असफलता की रिपोर्ट की जांच की जा रही थी, कलकत्ता पत्तन के 296 नैमित्तिक चिप्पिंग, पेंटिंग पूल श्रमिक, 24 मार्च, 1973 से हड़ताल पर चले गये। कलकत्ता पत्तन आयुक्तों और डॉक श्रमिक एसोसिएशन (सी० आई० टी० यू०) के बीच किए गए द्विपक्षीय समझौते को मानते हुए 1-6-73 को हड़ताल वापस ले ली गई थी। तथापि, वेतनमानों में संवृद्धियों, टिंडलों के उच्चतर वेतनमान, भविष्य निधि या पेंशन की सुविधाओं के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका।

2. ऊपर उल्लिखित शेष मांगों को न्यायनिर्णय के निर्देशित करने हेतु कलकत्ता पत्तन आयुक्तों के चिप्पिंग और पेंटिंग श्रमिकों की ओर से ज्ञापन प्राप्त हुए थे। 12-6-73 को ज्ञापन के प्राप्त होने पर, मामले को पत्तन प्राधिकारियों के साथ उठाया गया था। इसके फलस्वरूप पत्तन प्राधिकारियों और संबंधित संघ के बीच आपसी विचार-विमर्श हुए थे। यह मामला अभी तक भी कलकत्ता पत्तन आयुक्तों के विचाराधीन है।

आयुध डिपो, अलीपुर-कलकत्ता के अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोप

3663. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :**
श्री रानेन सेन :

क्या **रक्षा** मंत्री आयुध डिपों, अलीपुर, कलकत्ता के अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के संबंध में दिनांक 23 अगस्त, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 414 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या जांच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) आरोपों की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है।

राज्य सरकारों द्वारा बागानों में कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति

3664. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री सी० जनार्दनन :

क्या **श्रम** मंत्री राज्य सरकारों द्वारा बागानों में कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में दिनांक 23 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3978 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के निर्देशन के लिए नियम बनाने के संबंध में निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बैलाडिला खानों की पेलेटाइजेशन की योजना

3665. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैलाडिला खानों के पेलेटाइजेशन की योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) मैसर्स दस्तूर एण्ड कंपनी को उक्त योजना के बारे में तकनीकी, आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तैयार करने के लिये कुल कितनी धनराशि अदा की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) बैलाडिला लौह अयस्क के चूरे के पेलेट बनाने तथा उसकी ढुलाई के तरीके के बारे में अध्ययन किए जा रहे हैं।

(ख) 1.10 लाख रुपये।

दोनिमलई खानों की पेलेटाइजेशन की योजना

3666. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोनिमलई खानों के लिये पेलेटाइजेशन की योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) मैसर्स दस्तूर एण्ड कंपनी को उक्त योजना के बारे में तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तैयार करने के लिये कुल कितनी धनराशि अदा की गई और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने प्रतिवेदन को उद्धतन बनाने पर कितना व्यय किया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं। अब इस योजना पर सार्वजनिक पूंजी निवेश बोर्ड द्वारा पूंजी लगाने के बारे में कार्यवाही की जा रही है।

(ख) 1.10 लाख रुपये। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने अपने इंजीनियरी कर्मचारियों द्वारा इस रिपोर्ट को अद्यतन कराया था। इस बारे में व्यय के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

किरिबुरु खान का विस्तार

3667. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र को अयस्क की सप्लाई के लिये किरीबुरु खान के विस्तार एवं उसमें फेरबदल की योजना को सरकार ने कब स्वीकृति दी थी और इसका निष्पादन कार्य कब प्रारंभ हुआ;

(ख) क्या संयंत्र का प्रथम चरण पूरा हो गया है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त खानों के विस्तार और फेर-बदल की योजना से किन परामर्शदाताओं को सम्बद्ध किया गया था और उन्हें अब तक कितनी धनराशि अदा की गई है; और

(घ) क्या सारा संयंत्र जनवरी, 1974 तक तैयार हो जायेगा और उसमें कार्य प्रारंभ हो जायेगा, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) सरकार द्वारा किरिबुरु लौह अयस्क खान के विस्तार तथा फेर-बदल का अनुमोदन अगस्त, 1969 में किया गया था। सरकार द्वारा 29-5-1970 को परियोजना के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति की स्वीकृति देने के बाद, जून, 1970 में इस प्रायोजना के निष्पादन कार्य कार्यान्वित करने का काम शुरु किया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) इस प्रायोजना के परामर्शदाता मैसर्स डब्ल्यू एस० एटकिन्स लिमिटेड, कलकत्ता हैं, जो जापान के मैसर्स निटेटसू माइनिंग कन्सेलटेंटस के सहयोग से यह काम कर रहे हैं।

अब तक परामर्शदाताओं को कुल लगभग 21.82 लाख रुपये दिये हैं।

(घ) जी, नहीं। संयंत्र के पूरा होने में विलम्ब का मुख्य कारण यह है कि भारी इंजीनियरी निगम को चल उपस्करों के लिए जो आर्डर दिए गये थे उनका माल समय पर नहीं दिया गया है।

बैलाडिला लौह-अयस्क परियोजना निक्षेप संख्या 5 (मध्य प्रदेश) की प्राप्ति

3668. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेलाडिला लौह-अयस्क परियोजना निक्षेप 5 (मध्य प्रदेश) के निष्पादन में अब तक कितनी प्रगति है;

(ख) परियोजना से सम्बद्ध किए गये परामर्शदाताओं का नाम क्या है और अब तक कुल कितनी अदायगी की है;

(ग) क्या उक्त परियोजना में प्रतिष्ठापन कार्य प्रारंभ हो गया है; और

(घ) जिस सुरंग से परियोजना का 'कन्वेयर सिस्टम' गुजरेगा उसके खोदने में कितनी प्रगति हुई है और यह कार्य कब तक पूरा होगा?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) सितम्बर, 1973 के अन्त तक विभिन्न कार्यों की प्रगति नीचे दी गई है :—

1. बस्ती, सड़कों और जल आपूर्ति सहित सिविल और संरचनात्मक कार्य	50% से 60%
2. एच० टी० पावर वितरण	60%
3. उपस्करों की प्राप्ति तथा उनकी स्थापना	
1. खनन उपस्कर	80%
2. ओर ड्रेसिंग और लोडिंग उपस्कर	25%
4. सुरंग का कार्य	71%

(ख) ओर प्रोसेसिंग प्लान्ट के लिए मुख्य सलाहकार राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम है और विदेशी सलाहकार जापान के मैसर्स निटिट्स माइनिंग कन्सलटेन्टस हैं। अब तक राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम को लगभग 67 लाख रुपये की अदायगी की गई है।

(ग) ढांचे स्थापित करने का कार्य आरंभ हो चुका है। आशा है कि उपस्करों की स्थापना का कार्य फरवरी, 1974 में आरंभ हो जाएगा।

(घ) सुरंग की कुल 2025 मीटर खोदाई में से नवम्बर, 1973 के अन्त तक लगभग 1600 मीटर खोदाई की जा चुकी थी। सुरंग की खोदाई का संपूर्ण कार्य 1974 की दूसरी तिमाही तक पूरा हो जाने की संभावना है।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को कुल हानि

3669. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को अब तक कुल कितनी हानि हुई है;

(ख) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और इसके एककों के पूंजीगत ढांचे का पुनर्निर्माण करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर कितना वित्तीय खर्च होने का अनुमान है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) मूल्यह्रास के लिए पूर्ण रूप से व्यवस्था करने के पश्चात 31 मार्च, 1973 को हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की संचित हानि 250.88 करोड़ रुपये थी।

(ख) और (ग) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का पुनर्गठन करने का प्रश्न विचाराधीन है।

आन्ध्र प्रदेश में भारी उद्योग

3670. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी :** क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में स्थित जिलावार ऐसे उद्योगों के नाम तथा संख्या क्या है जो उनके विभाग के अधीन है; और

(ख) श्रमिक एककों में कितनी पूंजी लगी है, उनकी उत्पादन क्षमता और रोजगार क्षमता क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) : मंत्रालय में जो जानकारी तत्काल उपलब्ध है उसे देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी 5923/73]**

आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में रोजगार से निकाले गये खान मजदूर

3671. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में अनेक खान मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार किन उपायों पर विचार कर रही है।

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

भारत गोल्ड माइन्स का विविधिकरण कार्यक्रम

3672. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत गोल्ड माइन्स ने अपना विविधीकरण कार्यक्रम आरंभ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आरंभ किये गये कार्य का स्वरूप क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित विविधीकरण कार्यक्रम में निम्नलिखित का समावेश है :—

(i) खनन उपस्कर तथा मशीनरी, कूपक उपस्कर डुबाब आदि लगाने के संबंद्ध ठेका कार्य करने के लिए ठेका-प्रभाग की स्थापना। इस दिशा में कार्य आरंभ किया जा चुका है तथा भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड द्वारा हिन्दुस्तान तांबा लिमिटेड की खेतड़ी खानों में कूपक डुबाब संबंधी करार दिए जा रहे हैं।

(ii) विनिर्माण प्रभाग की स्थापना, जो मध्यम श्रेणी की मशीनरी और उपकरणों का निर्माण करेगी तथा विद्यमान यांत्रिक व वैद्युत कारखानों में उनकी मरम्मत का कार्य करेगी तथा सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को उपस्करों की पूर्ति करेगी। हिन्दुस्तान तांबा लिमिटेड, हिन्दुस्तान जस्ता लिमिटेड और चित्रदुर्ग तांबा लिमिटेड को पहले ही कुछ उपस्करों की पूर्ति की जा चुकी है।

(iii) कोलार स्वर्ण क्षेत्रों के बाहर के खनन कार्य। आन्ध्र प्रदेश की रामगिरि स्वर्ण खानों में पहले ही कार्य आरंभ हो चुका है तथा तमिलनाडु के धामन्दूर (बहु-धात्विक निक्षेप) में समन्वेषण कार्य प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। कोलार स्वर्ण खानों में तथा उसके आस-पास ग्रेफाइट के लिए भी अन्वेषण कार्य जारी है। कोलार में तथा इसके आस-पास अछूती पड़ी स्वर्ण खानों को पुनः खोलने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(iv) गहन भूमिगत खनन कार्य से संबद्ध विभिन्न समस्याओं पर सरकारी।गैर-सरकारी उपक्रमों को सलाह देने के विचार से परामर्श-प्रभाग गठित किया जा रहा है।

लौह-स्क्रैप पर आधारित इलैक्ट्रिक-आर्क-फरनेस

3673. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**
श्री स्वर्ण सिंह सोखी :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लौह-स्क्रैप पर आधारित इलैक्ट्रिक आर्क फरनेस, इस्पात पुनर्वेलन कारखानों और इस्पात के तार बनाने वाले कारखानों की, जिनके लिये लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, क्षमता को तुरन्त स्थिर करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) सरकार ने 31 अक्तूबर, 1973 को आदेश जारी किए हैं जिनके अनुसार निम्नलिखित को औद्योगिक लाइसेंस देने की उदार नीति के क्षेत्राधिकार से निकाल दिया गया है :—

(1) स्क्रैप पर आधारित विद्युत भट्टियों द्वारा निर्मित्त सभी प्रकार का इस्पात;

(2) साधारण इस्पात, विशेष इस्पात और मिश्रित इस्पात के कोट किए हुए और बिना कोट किए हुए तार; और

(3) इस्पात का पुनर्वेलन

अब उपरोक्त मदों के निर्माण के लिए इकाइयां स्थापित करने से पहले औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है।

पहले स्थापित/स्थापित की जा रही विद्युत इकाइयों के लिए भी लौह स्क्रैप की पर्याप्त मात्रा आसानी से उपलब्ध नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, अधिकतर राज्यों में बिजली की कमी है। अतः लौह स्क्रैप, विद्युत शक्ति, उष्मसह और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जैसी, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इस उद्योग की वृद्धि को विनियमित करना आवश्यक समझा गया है। जहां तक तार बनाने की इकाइयों और इस्पात के पुनर्वेलन मिलों का संबंध है इनकी पर्याप्त क्षमता पहले ही स्थापित की जा चुकी है। अतः मांग के पूर्वानुमान पहिले से स्थापित क्षमता तथा कच्चे मालों की उपलब्धता के आधार पर इन उद्योगों की और वृद्धि को विनियमित करने का निश्चय किया गया है।

आत्मनिर्भरता के लिये नौसैनिक आयोजनाओं का विस्तार

3674. **श्री नवल किशोर शर्मा :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसैनिक आयोजनाओं के विस्तार के पुनरीक्षण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो पांचवीं योजनावधि के दौरान नौसेना संबंधी आत्मनिर्भरता की दृष्टि से आवश्यकता किस सीमा तक पूरी हो जायेगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) (क) और (ख) नौसैनिक योजनाओं की बराबर समीक्षा होती रहती है और उन्हें आवश्यकतानुसार अद्यतन बनाया जाता है। सरकार की यह नीति है कि देश में उपलब्ध साधनों/औद्योगिक आधार को ध्यान में रखते हुए, रक्षा संबंधी आवश्यकताओं के संबंध में अधिकतम आत्मनिर्भरता प्राप्त की जाये। अत्यन्त परिष्कृत लिएन्डर फ्रिगेटों सहित अनेक प्रकार के नौसैनिक जहाजों का भारत में ही निर्माण हो रहा है। माननीय सदस्यगण सहमत होंगे कि इस बारे में इससे अधिक सूचना देना जनहित में नहीं होगा।

वस्तु--विनिमय--पद्धति के आधार पर इस्पात का आयात

3675. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से इस्पात का प्रस्तावित आयात वस्तु-विनिमय पद्धति के आधार पर किया जायेगा अथवा नकद भुगतान के आधार पर;

(ख) वे परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं जिसके लिये इस्पात का उपयोग किया जायेगा; और

(ग) राजस्थान को कितना इस्पात सप्लाई किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) आजकल इस्पात का आयात नकदी के आधार पर किया जाता है और वस्तु-विनिमय की व्यवस्था नहीं है। आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अन्तर्गत आयातित इस्पात वास्तविक उपभोक्ताओं तथा पंजीकृत निर्यातकों को मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी किये गये रिलीज़ आर्डरों पर दिया जाता है और इसे किसी प्रायोजना अथवा राज्य के लिए विशेषरूप से अलग से नहीं रखा जाता है। कुछ श्रेणियों के मामले में, आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अन्तर्गत वास्तविक उपभोक्ताओं को सीधे आयात के लिए आयात लाइसेंस दिए जाते हैं।

पंजाब में कोयले की कमी

3676. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि पंजाब में कोयले की बहुत अधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या पंजाब सरकार राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कोयले की पर्याप्त मात्रा की सप्लाई के लिये मांग करती रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का उस पर क्या निर्णय है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा)) : (क) से (ग) पंजाब सहित देश के मुख्य भागों में भी कोयले की कमी की सूचना मिली है। पंजाब सरकार को भी राज्य में ईंट-भट्टों के लिए कोयला पूर्ण सुलभ कराने में कठिनाई का सामना करना पड़ा है। इसके तथ्य के बावजूद कि सारे देश में कम प्राथमिकता वाले उपभोक्ताओं जैसे ईंट भट्टों उद्योग को हाल ही के महीनों में कोयले की कमी का सामना करना पड़ा है, कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा रेल मंत्रालय के सहयोग से, पंजाब राज्य में ईंट-भट्टों के लिये कोयले की पूर्ति में वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है।

आन्ध्र प्रदेश में कम तापमान वाला कारबोनाईजेशन संयंत्र

3677. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करने कि :

(क) क्या घरेलू ईंधन (साफ्ट कोक) के उत्पादन के लिये सिंग्रेनी कोयले पर आधारित कम तापमान वाला कारबोनाइजेशन संयंत्र आन्ध्र प्रदेश के अदिलाबाद ज़िले में रामकृष्णपुर में स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) : जी, हां।

(ग) उत्पादन के लगभग 30 महीने के अन्दर चालू हो जाने की संभावना है।

लौह-अयस्क का उत्पादन

3678. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लौह-अयस्क का वर्तमान वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) क्या भारत में लौह-अयस्क के निर्यात में शीघ्र काफी वृद्धि होने वाली है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) लौह-अयस्क का वर्तमान उत्पादन निम्नलिखित है :--

1972 . .	352.00 लाख टन
1973	256.00 लाख टन

(जनवरी से सितम्बर अनुमानित)

(ख) और (ग) अनुमान है कि वर्ष 1973-74 और 1974-75 में भारत से लौह-अयस्क का निर्यात क्रमशः लगभग 235 लाख टन तथा 270 लाख टन तक पहुंच जायेगा।

मजदूरी तथा लाभ को उत्पादिता के साथ सम्बद्ध करना

3679. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मजूरी तथा लाभ को उत्पादिता के साथ सम्बद्ध किये जाने के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) अभी इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कोयले के नये निक्षेप

3680. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्थान द्वारा हाल में किये गए सर्वेक्षण के दौरान कोयला के भारी निक्षेप होने का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान इन निक्षेपों का कहां-कहां पता लगा है; और

(ग) इन निक्षेपों को निकालने का कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) विगत एक वर्ष के दौरान भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा बिहार के राजमहल कोयला क्षेत्र में 8740 लाख टन कोयले के तथा मध्य प्रदेश के पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र में 340 लाख टन कोयले के भण्डार होने का अनुमान लगाया गया है। उपर्युक्त दोनों स्थानों का कोयला सामान्यतः घटिया किस्म का है।

(ग) पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र का पहले से ही समुपयोजन हो रहा है। पांचवीं योजना इसके उत्पादन में और अधिक वृद्धि होगी। राजमहल कोयला क्षेत्र के लिये अभी तक कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं बनाया गया है, किन्तु पर्याप्त व व्यापक भूवैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध होने पर इस क्षेत्र का समपयोजन भी शीघ्र आरम्भ हो जायेगा। यह नया कोयला क्षेत्र है। इसके विकास के लिये बड़ी रेल लाइन बनानी होगी।

जबलपुर आर्डनेंस डिपो को सरकारी क्षेत्र की फर्म के रूप में बदला जाना

3681. **श्री वनमाली पटनायक :**

श्री पीलू मोदी :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम जर्मनी के साथ सहयोग करके भारी मोटर गाड़ियों का उत्पादन कराने के लिये सरकार का विचार जबलपुर आर्डनेंस डिपो को सरकारी क्षेत्र की एक फर्म के रूप में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है; और

(ग) इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है तथा निर्णय किये जाने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) अनुमानतः, माननीय सदस्य का मतलब व्हीकल फैक्टरी जबलपुर से है और जबलपुर आर्डनेंस डिपो से नहीं।

पांचवीं योजना के दौरान भारी मोटर गाड़ियों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जबलपुर की व्हीकल फैक्टरी की क्षमता का विस्तार करने के लिये एक योजना सरकार के विचाराधीन है। इस प्रयोजन के लिये एक व्यवहार्यता अध्ययन चालू किया गया है। इस मामले पर सभी पहलूओं से विचार कर लेने के पश्चात् यथासमय निर्णय किया जायेगा।

पुनर्वास निदेशालय द्वारा आत्मनिर्भरता के लिये वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं को दी गई सुविधाएं

3682. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971 के युद्ध में वीरगति प्राप्त सनिकों की कितनी विधवाओं ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिये पुनर्वास निदेशालय द्वारा दी गई सुविधाओं को ग्रहण किया है तथा उससे लाभ उठाया है; और

(ख) इससे उन्हें जीवन व्यतीत करने तथा भरपेट भोजन पाने में कितनी सहायता मिली है?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) 1971 के संघर्ष की 2570 युद्ध-विधवाएं हैं। 1971 के संघर्ष के तुरन्त बाद, युद्ध-विधवाओं के पुनःस्थापना के लिये उदार पेंशन लाभों की घोषणा की गई थी। इन लाभों के परिणामस्वरूप ही, आशा है, युद्ध-विधवाएं आत्मनिर्भर हो जायेंगी। इसके अलावा, इन युद्ध-विधवाओं के बच्चों को स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा की रियायत भी दी गई है। इन रियायतों का 1,396 बच्चों को लाभ मिला है। इसके अतिरिक्त, अपने स्वयं के रोज़गार के रूप में, 1971 के संघर्ष की 251 युद्ध-विधवाओं को भारतीय तेल निगम की एजेंसियां दी गई हैं और 36 युद्ध-विधवाओं को सिलाई, कटाई और कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया गया है।

श्री लियोनिद ब्रेजनेव की नई दिल्ली की यात्रा

3683. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री लियोनिद ब्रेजनेव ने नवम्बर, 1973 की अन्तिम सप्ताह में सरकारी स्तर पर सद्भावना यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में भारत-रूस सम्बन्धों के बारे में किन-किन मामलों पर विचार-विमर्श किया गया; और

(ग) क्या निष्कर्ष निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) बातचीत के दौरान भारत-सोवियत द्विपक्षीय संबंधों, उनके भविष्य में सर्वतोमुखी विकास की संभावना तथा समान हित से संबद्ध सामयिक अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर भी चर्चा हुई। लेकिन इस प्रकार की वार्ता निश्चित रूप से गोपनीय थी और सरकार ऐसी वार्ता के ब्यौरे नहीं बताया करती है।

(ग) इस बातचीत का जो परिणाम निकला, उसकी झलक निम्नलिखित दस्तावेज़ों में मिलती है, जो कि 30 नवम्बर, 1973 को सदन की मेज़ पर रख दिये गए हैं:—

(1) भारत-सोवियत संयुक्त घोषणा-पत्र

(2) भारत और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के बीच आर्थिक एवं व्यापार सहयोग के और विकास के संबंध में करार।

(3) भारत सरकार और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की सरकार के बीच कोंसली अधिसमय।

(4) भारत के योजना आयोग और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के राज्य योजना आयोग के बीच सहयोग पर करार।

युगांडा से आये भारतीय नागरिकों द्वारा दर्ज किये सम्पत्ति सम्बन्धी दावे

3684. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, 1972 की डिग्री के कारण जिन भारतीय नागरिकों को युगांडा से निकलना पड़ा उन्होंने दावे की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर, 1973 तक सम्पत्ति संबंधी कितने दावे दर्ज किये?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : उगांडा छोड़ने से पहले भारतीय राष्ट्रिकों से कहा गया था कि वे निर्धारित फार्मों पर उगांडा में अपनी आस्तियों और देयताओं का विवरण प्रस्तुत करें। चूंकि ये विवरण सीधे ही उगांडा प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया गया था, इसलिये उनकी संख्या की जानकारी नहीं है। लेकिन, उगांडा छोड़कर जाने वाले भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर कम्पाला स्थित हमारे हाई कमीशन ने दावों का रजिस्टर तैयार किया है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि वह रजिस्टर हर तरह से पूर्ण हो, हमारा हाईकमीशन संबद्ध भारतीय राष्ट्रिकों को प्रेस, रेडियो और पत्रों के जरिये यह सलाह देता रहा है कि वे अपने दावे दायर कर दें, यदि उन्होंने पहले न किये हों, अथवा कोई ब्यौरे देने से रह गये हों तो उन्हें भी भेज दें। हाईकमीशन के पास रजिस्टर-दर्ज इन दावों की संख्या 1340 है।

Stoppage of work in Orissa Iron Mines for want of Railway Wagons.

3685. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether seven thousand labourers of iron mines of Orissa had to stop work recently due to shortage of Railway wagons; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard and the outcome thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Lok Sabha.

Scooter Factory in Bihar.

3686. **Shri Ramavtar Shastri**: Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) whether Government have accorded permission for the setting up of a scooter factroy in Bihar ;

(b) if so, the name of the party, the place where this factory will be located and other salient features thereof ; and

(c) the time by which production of scooter will commence ?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh): (a) to (c) M/s. Hathwa Automobiles Ltd., Patna have been grant a letter of intent [for setting up a new industrial undertaking in Bihar State for manufacture of scooters. The project is proposed to be located at Patna and envisages a capacity of 24,000 scooters per year. the investment proposed for land, building and machinery is Rs. 168 lakhs, and employment potential is stated to be about 645 persons. It is not possible at this stage to forecast with any degree of exactness when production will commence.

खनिज पदार्थों का कम उत्पादन

3687. **श्री कमल मिश्र मधुकर :**
श्री चन्द्र शेखर प्रसाद सिंह :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में खनिज पदार्थों का कम उत्पादन हुआ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसके कारण अभ्रक के निर्यात पर कितना बुरा प्रभाव पड़ा है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) वर्ष 1970, 1971 और 1972 के दौरान खनिज़ों के उत्पादन का ब्योरा सभा पटल पर रखा जाता है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 5924/73]।

कुल 19 खनिजों में से 12 के उत्पादन में वर्ष 1970 की तुलना में वर्ष 1971 में वृद्धि हुई। एपेटाइट, क्रोमाइट, कोयला, मैग्नेजाइट, कायनाइट, अभ्रक तथा जस्ता सांद्रों के उत्पादन में कुछ गिरावट आई जिनके खनिजवार कारण अनुवर्धन में दिये गए हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 5924/73]।

1972 के दौरान सोना, मैग्नेजाइट, मैंगनीज, अयस्क, अभ्रक तथा फास्फोराइट को छोड़कर, जिनके उत्पादन में कमी के कारण अनुवर्धन में दिये गए हैं, खनिजों के उत्पादन में वृद्धि हुई। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 5924/73]।

(ग) अभ्रक तथा अभ्रक-उत्पादों का निर्यात मूल्य 1970-71 में 17.16 करोड़ रुपये से बढ़कर 1972-73 में 19.83 करोड़ रुपये हो गया।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का विस्तार

3688. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील ने दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का विस्तार किये जाने के बारे में सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी तथा सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला खानों का पुनर्गठन

3689. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**
श्री बेकारिया :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा अपने हाथ में ली गई कोयला खानों के सम्बन्ध में पुनर्गठन और पुनर्निर्माण संम्बन्धी प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : सरकार द्वारा अपने हाथ में ली गई कोयला खानों के पुनर्गठन और पुनर्निर्माण संबंधी प्रस्तावित योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:—

(i) वर्तमान उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिये छोटी इकाईयों का बड़ी इकाईयों के रूप में एकीकरण/पुनर्गठन। (ii) नई खानों के लिये साध्यता/परियोजना रिपोर्ट तथा विस्तार योजनाएं तैयार करना। (iii) विद्यमान खानों में उन्नत विधियों और तकनीकों का प्रयोग तथा संयंत्र एवं उपकरण की समय से अधिप्राप्ति। ((iv) चालू खानों के समीपस्थ क्षेत्रों का पूर्वेक्षण तथा अछूते क्षेत्रों का व्यापक पूवक्षण। (v) वर्तमान कार्मिकों को अधिक दक्ष कार्यों में प्रशिक्षण देना। (vi) महत्वपूर्ण सामान की सामयिक अधिप्राप्ति के लिये सही-सही मूल्यांकन और कार्यवाही करना। (vii) रेल, सुविधाओं और क्षमता के विस्तार कार्यक्रम के साथ-साथ तुरन्त समन्वय का कार्यक्रम बनाना।

जनसंख्या के आधार पर रक्षा कर्मचारियों की राज्यवार भर्ती

3690. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **रक्षा** मंत्री जनसंख्या के आधार पर रक्षा कर्मचारियों की राज्यवार भर्ती के सम्बन्ध में 3 मई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8970 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा कर्मचारियों की भर्ती सम्बन्धित नीति के पुनर्निर्धारण संबंधी प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ताकि इस समय जिन क्षेत्रों में भर्ती बहुत कम होती है उन क्षेत्रों से भर्ती की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) अभी नहीं श्रीमन्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत कोयला उद्योग के लिये पोलेण्ड से मशीनें

3691. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि सी० सी० सैकफील्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड के एक भूतपूर्व कर्मचारी श्री सेलाबोंस ने एक अन्य व्यक्ति के सहयोग से "वृपति ट्रेडर्स" नामक एक कम्पनी बनाई है;

(ख) क्या इस कम्पनी को कापेक्स, पोलैण्ड के राष्ट्रीयकृत निर्यातकर्ता के माध्यम से राष्ट्रीकृत कोयला उद्योग के लिए पोलैण्ड से मशीन आयात करने की अनुमति दी गई है अथवा दी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और उक्त कम्पनी के साझीदारों के नाम तथा अन्य विवरण क्या हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

इस्पात के उत्पादन में वृद्धि तथा कमी

3692. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस्पात उत्पादन कुल निर्धारित क्षमता से 40 प्रतिशत कम है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में वर्षवार प्रत्येक इस्पात संयंत्र में उत्पादन में वृद्धि अथवा कमी की मात्रा तथा प्रतिशतता क्या है; और

(ग) प्रत्येक संयंत्र में उत्पादन में वृद्धि अथवा कमी के कारण क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) अप्रैल-अक्तूबर, 1973 की अवधि में पांच मुख्य उत्पादकों (भिलाई दुर्गापुर, और राउरकेला इस्पात कारखाने तथा टिस्को और इस्को) का इस्पात पिण्ड तथा विक्रेय इस्पात का उत्पादन कुल निर्धारित क्षमता का क्रमशः 64.7 प्रतिशत तथा 62.5 प्रतिशत था।

(ख) वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 में भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, टिस्को इस्को के सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में इस्पात पिण्ड तथा विक्रय इस्पात का उत्पादन तथा 1970-71 के उत्पादन की तुलना में 1971-72 के उत्पादन में तथा 1971-72 के उत्पादन की तुलना में 1972-73 के उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि/कमी संलग्न तालिका में दिखाई गई है। [ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल०टी० 5925/73]।

(ग) राउरकेला इस्पात कारखाने में 1971-72 में उत्पादन में कमी मुख्यतः 11 जुलाई, 1971 को स्टील मेल्टिंग शाप के एल० डी० सेक्शन की छत के गिर जाने के कारण हुई, जिसके कारण कई महीनों तक समस्त कारखाने के परिचालन पर प्रभाव पड़ा।

एक अतिरिक्त कठिनाई यह थी कि कोक ओवन बैटरियां सामान्यतः ठीक रूप से कार्य नहीं कर रही थी जिसके परिणाम-स्वरूप कोक और गैस की सप्लाई में कमी हो गई।

टिस्को में इस्पात पिण्ड के उत्पादन में मामूली कमी रही। 1971-72 में कोक और फर्नेश आयल की कमी तथा कोक भट्टियों की परिचालन कठिनाइयों के कारण उत्पादन पर प्रभाव पड़ा। 1972-73 में कोक की कमी कोयले तथा तेल की ढुलाई के लिए रेल डिब्बों की अपर्याप्त सप्लाई और बिजली की सप्लाई में रूकावट/कमी के कारण उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

इस्को के उत्पादन में कमी मुख्य रूप से मरम्मत और संधारण तथा प्रतिस्थापन/पुनः स्थापन कार्यक्रमों की उपेक्षा के परिणामस्वरूप संयंत्र तथा उपस्करों की हालत में काफी गिरावट आने के कारण हुई।

प्रबन्धकों द्वारा अधिकाधिक उत्पादन करने के रास्ते में आने वाली विभिन्न कमियों और अड़चनों को दूर करने के लिए किए गए उपायों के फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुई है।

रक्षा मंत्रालय द्वारा सामान की खरीद

3693. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने तथा मंत्रालय के अधीन संगठनों ने गत तीन वर्षों में वर्ष-वार (1) विदेशों (2) भारत स्थित बड़े उद्योगों तथा (3) लघु उद्योगों से कितने मूल्य का सामान खरीदा;

(ख) रक्षा कार्यों तथा सैनिकों के लिए सामान खरीदने सम्बन्धी सरकार की नीति की रूप रेखा क्या है; और

(ग) क्या गत तीन वर्षों में इस नीति का दृढ़ता से पालन किया गया है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) पूछी गई सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों में 1972-73 में नए नाम दर्ज कराने वाले बेरोजगार व्यक्ति तथा उनको रोज़गार की व्यवस्था

3694. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में 1972-73 में कितने नये व्यक्तियों ने रोज़गार कार्यालयों में नाम लिखाए; और

(ख) नये नाम लिखाने वाले व्यक्तियों में से रोज़गार पाने वालों का अनुपात क्या है?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। (ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 5926/73)

(ख) इस सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि नियुक्तियों के बारे में आंकड़े पंजीकरण की तारीखों के अनुसार एकत्र नहीं किए जाते।

इस्पात मूल्य निर्धारण सम्बन्धी नई नीति से इस्पात उपभोक्ताओं को लाभ

3695. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस्पात मूल्य निर्धारण सम्बन्धी नई नीति से इस्पात उपभोक्ताओं को यदि कोई लाभ होने की संभावना है तो वह क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : नई मूल्य नीति में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस्पात उद्योग द्वारा उत्पन्न किए गए अतिरिक्त साधनों का उपयोग बिचौलियों के लाभ की बजाय कारखाने का आधुनिकीकरण करने तथा इस्पात उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाए।

46 LSS/73—6

महाराष्ट्र के सिंचाई और विद्युत् विभाग के लिए इस्पात

3696. **श्री अण्णा साहिब गोटखिंडे** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के सिंचाई और विद्युत विभाग द्वारा वर्ष 1973 की तीसरी और चौथी तिमाहियों के लिए संयंत्र समिति से कितने मीटरी टन इस्पात की मांग की गई थी;

(ख) उक्त तिमाहियों के लिए कितना इस्पात आवंटित किया गया;

(ग) क्या राज्य सरकार को जब कभी इस्पात की आवश्यकता होती है तो वह उसे उपलब्ध नहीं होता;

(घ) यदि नहीं; तो क्या इस कारण निर्माण कार्यों में बाधा पड़ी है; और

(ङ) क्या राज्य सरकार को अपेक्षित मात्रा में इस्पात का आयात करने की अनुमति दी जाएगी?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ङ) जहां तक सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं का सम्बन्ध है, ये प्रायोजनाएं सामान्यतः केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा भेजी जाती है। इस्पात प्राथमिकता समिति प्रत्येक तिमाही में केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को बड़ी मात्रा में आवंटन कर देती है और आयोग प्रायोजना विशेष के महत्व, उसका कितना काम पूरा हो गया है, काम के मौसम आदि को ध्यान में रख कर देश की विभिन्न प्रायोजनाओं को आगे आवंटन करता है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को काफी मात्रा में आयात करने की अनुमति दी गई है। वास्तविक उपयोक्ताओं, विशेषतः सरकारी विभागों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए वर्तमान आयात नीति भी काफी उदार है।

पुलों तथा इमारतों के लिये महाराष्ट्र को इस्पात का आवंटन

3697. **श्री अण्णा साहिब गोटखिंडे** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार पुलों और इमारतों के लिए अतिरिक्त इस्पात की मांग कर रही है;

(ख) क्या मांग की तुलना में इस्पात के मामूली आवंटन के कारण कार्यों में बाधा पड़ी है; और

(ग) यदि हां, तो समूची मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी हां।

(ख) बहुत सी श्रेणियों के इस्पात की उपलब्धि मांग से कम रही है तथा संभवतः इसलिए इस राज्य सरकार को भी अन्य उपभोक्ता क्षेत्रों की तरह अपर्याप्त आपूर्ति की समस्या का सामना करना पड़ा है।

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए किए गए उपायों में प्रौद्योगिक सुधार, बेहतर मालिक-मजदूर सम्बन्ध, संयंत्रों और मशीनरी का बेहतर रख-रखाव, अनुपूरक सुविधाओं की व्यवस्था नवीकरण तथा पूंजीगत मरम्मत कार्यक्रम, बेहतर संयंत्र उपलब्धि द्वारा उत्पादन बढ़ानी; आयात नीति को उदार बनाना विशेषतया कमी वाली श्रेणियों के इस्पात के मामले में उदार आयात नीति अपनाना; निर्यात का विनियमन और वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाना शामिल है।

पश्चिमी बंगाल में डालमिया समूह की कोयला खानों में तालाबन्दी

3698. **श्री रानेन सेन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में डालमिया समूह की कोयला खानों में 29 सितम्बर, 1973 से तालाबन्दी की घोषणा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इससे कितने श्रमिकों पर बुरा प्रभाव पड़ा; और

(ग) क्या सरकार ने तालाबन्दी को समाप्त करने के लिए कोई कार्यवाही की है?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) पश्चिम बंगाल में डालमिया युग के स्वामित्व वाली कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 29 सितम्बर, 1973 से इन कोयला खानों में कोई तालाबन्दी नहीं हुई

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

रत्नगिरि अल्यूमीनियम संयंत्र के लिये हंगरी की एक फर्म के साथ परामर्श करने सम्बन्धी करार

3699. **श्री शंकर राव सावंत** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रत्नगिरी स्थित अल्यूमीनियम संयंत्र के बारे में एक हंगरी की फर्म के साथ परामर्श करने सम्बन्धी करार हुआ था और क्या इस करार की अवधि समाप्त हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कारण यह है कि इस संयंत्र को करार अन्यत्र स्थानांतरित करना चाहती है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड ने हंगरी के मेसर्स कैपोकंप्लेक्स के साथ रत्नगिरी में एक समेकित ऐल्यूमीनियम संयंत्र की स्थापना के लिए एक तकनीकी परामर्श समझौता किया था। इस समझौते की अवधि समाप्त नहीं हुई है।

(ख) इस समय प्रस्तावित संयंत्र के स्थान को रत्नगिरी से बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अरब इजराइल युद्ध के दौरान भारत द्वारा अरब देशों की सहायता

3700. **श्री शंकर राव सावंत**: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने हाल के अरब-इजराइल युद्ध के दौरान मानवीय आधारों पर किसी अरब देश की कोई सहायता की है;

(ख) यदि हां, तो किस देश की और कितनी; और

(ग) क्या उन देशों द्वारा भी 1965 अथवा 1971 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान भारत की ऐसी ही सहायता की गई थी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) हाल के पश्चिम-एशिया संघर्ष के दौरान सरकार ने सीरिया और मिश्र दोनों ही देशों में एक मेडिकल दल, 20 टन औषधि तथा डाक्टरी सामान भेजा।

(ग) सीरिया और मिस्र उपर्युक्त दोनों ही देशों ने 1971 के संकट के दौरान बंगलादेश शरणार्थियों की सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों के माध्यम से सहायता सामग्री भेजी।

अन्य देशों के साथ भारत के राजनयिक सम्बन्ध

3701. **शंकर राव सावंत :**

श्री शंकर दयाल सिंह :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों से राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये क्या सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं;

(ख) किन देशों के साथ भारत के राजनयिक सम्बन्ध नहीं हैं; और

(ग) ऐसे देशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत के समूचे राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर ही किसी राज्य अथवा सरकार के साथ राजनयिक संबन्ध स्थापित किए जाते हैं।

(ख) केन्द्रीय अफ्रीकी गणराज्य, छाड, डोमिनिकन गणराज्य, कोरिया जनतंत्री लोक गणराज्य अल सल्साडोर, भूमध्य रेखाई गिनी, गिनी बिसाऊ गणराज्य, हंडूरास, हैटी, इसराईल, नाईजर, पाकिस्तान, पुर्तगाल कोरिया गणराज्य, वियतनाम गणराज्य और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य।

(ग) चूंकि उपर्युक्त देशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध रखने के कारण अलग-अलग है इसलिए सरकार प्रत्येक मामले की समीक्षा करती रहती है और वह जिस समय पर जैसा आवश्यक समझेगी समुचित कदम उठाएगी।

जिंक लोपित टिन की चादरों का वितरण

3702. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिंक लोपित टिन की चादरों को वितरित करने की क्या प्रक्रिया है;

(ख) क्या सरकार को इस वात की जानकारी है कि इन चादरों के वितरण में विलम्ब से काले वाजार में इनकी बिक्री में सहायता मिली है; और

(ग) क्या टिन की चादरों का कोटा प्रत्येक राज्य में विशेष जिलों को दिया जाता है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) सम्भवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय जस्ती नालीदार चादरों की वितरण प्रणाली से है। मुख्य इस्पात कारखानों से जस्ती नालीदार चादरों तथा अन्य प्रकार के इस्पात के प्रेषणों का विनियमन इस्पात प्राथमिकता समिति करती है जो इस्पात के अन्ततः उपयोग जिसके लिए इस्पात की आवश्यकता है विशिष्ट तिमाही में उपलब्धि तथा स्पर्धी मांगों को ध्यान में रखती है। कई बार शिकायतें प्राप्त होती है कि विशिष्ट कार्यों के लिए दिया गया इस्पात खुले बाजार में बिक रहा है। ऐसे मामलों की जांच की जाती है और आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

फिलिस्तीन स्वतंत्रता संगठन को मान्यता देने के बारे में अल्जीयर्स का संकल्प

3703. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अल्जीयर्स में गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में अपनाये गये संकल्प को देखते हुए सरकार का विचार फिलिस्तीन स्वतंत्रता संगठन को मान्यता देने का है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : 5 से 9 सितम्बर 1973 तक अल्जीयर्स में आयोजित निर्गुट देशों के राज्याध्यक्षों और सरकार प्रमुखों के चौथे सम्मेलन में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को फिलिस्तीनी जनता के न्यायोचित प्रतिनिधि के रूप में अपनी मान्यता प्रदान की थी और उनके सही संघर्ष का समर्थन किया था। भारत सरकार इस घोषणा से सहमत है ।

FILE STOLEN BY PAKISTAN SPY FROM INDIAN ARMY UNIT IN POONCH

3704. **Shri Rana Bahadur Singh :** Will the Minister of **Defence** be please to state :

(a) whether a file stolen from a unit of Indian Army stationed in Poonch area was recovered from a Pakistani spy; and

(b) if so, the facts thereof ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

रेक्टीफायर बनाने वाले उपकरणों तथा तकनीकी जानकारी का निर्यात

3705. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब भारत विकासशील देशों की सहायता के लिये रेक्टीफायर के निर्माण के लिये तकनीकी जानकारी और उपकरणों के निर्यात करने की स्थति में हैं;

(ख) यदि हां, तो भारत किन देशों को रसायन, धातुकमक जैसे उद्योगों तथा ट्रक्कन के लिये भी रेक्टीफायर सप्लाई कर रहा है; और

(ग) गत दो वर्षों में भारत द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

मजदूर एकता यूनियन, सुन्दरनगर, हिमाचल प्रदेश से ज्ञापन

3706. **श्री दशरथ देव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अगस्त के महीने में मजदूर एकता यूनियन, सुन्दरनगर, हिमाचल प्रदेश से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बात क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आयकर तथा श्रमिकों को देय छंटनी मुग्रावजे ग्रौर ग्रन्य मामलों के बारे में ग्रभ्यावेदन

3707. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रायकर, नौकरी से निकले जाने पर ग्रौद्योगिक विवाद ग्रधिनियम के ग्रन्तर्गत श्रमिकों को देय छंटनी मुग्रावजे ग्रौर कुछ ग्रन्य बातों के सम्बन्ध में उन्हें सितम्बर, 1973 में कोई ग्रभ्यावेदन दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने सारे मामले की जांच कर ली है; ग्रौर

(ग) क्या मंत्रालय ने ग्रौद्योगिक विवाद ग्रधिनियम में कुछ परिवर्तनों का सुझाव दिया है; ग्रौर यदि हां, तो किन परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) टैक्सटाइल लेबर एसोसियेशन, ग्रहमदाबाद ने फरवरी, 1973 में एक ग्रभिवेदन किया था कि छंटनी के फलस्वरूप श्रमिकों को देय मुग्रावजे को ग्राय कर से छूट दी जानी चाहिये। इस मामले की जांच की गई थी ग्रौर यह ग्रवलोकित किया गया है कि ग्राय कर ग्रधिनियम, 1961 के ग्रन्तर्गत, इस प्रकार के मुग्रावजे को ग्रधिनियम की सीमा से छूट नहीं दी जा सकती हैं। इस उद्देश्य के लिये ग्रौद्योगिक विवाद ग्रधिनियम, 1947 को संशोधित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

भविष्य निधि लेखों से धन निकालने के लिए नियमों का उदार बनाया जाना

3708. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **श्रम** मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम संगठनों ने भविष्य निधि लेखों से धन निकालने सम्बन्धी नियमों को उदार बनाये जाने की मांग की है;

(ख) धन निकालने सम्बन्धी वर्तमान नियम क्या है;

(ग) मांग को स्वीकाय करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; ग्रौर

(घ) इस बारे में ग्रन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है:—

(क) टैक्सटाइल लेबर ऐसोसियेशन, ग्रहमदाबाद से किसी सदस्य को सदस्यता के 20 वर्ष पश्चात् ग्रपने भविष्य निधि संचयनों को वापस लेने की ग्रनुमति देने सम्बन्धी एक प्रस्ताव प्राप्त हुग्रा था।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि से न लौटाया जाने वाला ग्रग्रिम निम्नलिखित मामलों में दिया जाता है :—

1. सदस्य की जीवन बीमा पालिसी में धन लगाने के लिये;

2. निवासगृह या निवास स्थान की खरीद के लिये या निवासगृह के निर्माण के लिये;

3. औद्योगिक श्रमिकों के लिये साहाय्यप्राप्त आवास सम्बन्धी योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित या निर्मित किये जाने वाले मकान के बण्टन के लिये;

4. कम आय ग्रुप आवास सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत मकानों के निर्माण के लिये;

5. कारखाने या अन्य प्रतिष्ठान को हड़ताल को छोड़ कर किन्हीं अन्य कारणों से 15 से अधिक दिनों के लिये ताला लगा दिया गया है या बन्द कर दिया गया है और उसके कर्मचारी बिना किसी प्रतिकर के बेरोजगार कर दिये जाते हैं ;

6. उपभोक्ता सहकारी आवास और साख समितियों का/के शेयर खरीदने के लिये;

7. कतिपय मामलों में बीमारी के लिये;

8. लड़कियों की शादी या बच्चों की मैट्रिकोत्तर शिक्षा के लिये;

9. जब सदस्य की चल या अचल सम्पत्ति को बाढ़ों, भूकम्पों और दंगों जैसे असाधारण स्वरूप की विपत्ति द्वारा क्षति पहुंची हो, और

10. जब विद्युत के सम्भरण में कटौती के परिणामस्वरूप सदस्यों की मजदूरियां प्रभावित हुई हों।

(ग) और (घ) ऊपर (क) पर प्रस्ताव के सम्बन्ध में कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की 5 मई, 1973 को नई दिल्ली में हुई 58वीं बैठक में विचार किया गया था, परन्तु बोर्ड ने उसे स्वीकार नहीं किया।

सुखाय-7 लड़ाकू बमवर्षक विमानों की मरम्मत तथा ओवरहालिंग

3709. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री पी० ए० रामिनाधन :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना में रूस के बने जो सुखाय-7 लड़ाकू बमवर्षक विमान हैं उनकी मरम्मत तथा ओवरहालिंग अब स्वयं भारत में ही की जायेगी;

(ख) क्या रूस के साथ इस बारे में कोई समझौता हुआ है;

(ग) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) सुखोय-7 विमान की मरम्मत आदि के लिये रूस की सहायता से सुविधायें स्थापित की जा रही हैं। इन सुविधाओं के 1974 के मध्य तक तैयार हो जाने की आशा है।

किरकी के गोला-बारूद कारखाने में हुये विस्फोट की जांच रिपोर्ट

3710. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री बी० मायावन :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किरकी के गोला-बारूद कारखाने में 14 अगस्त, 1973 को हुये विस्फोट की रिपोर्ट जांच समिति से प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उसकी सिफारिश मान ली हैं?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) किरकी के गोला-बारूद कारखाने में 11 अगस्त 1973 को एक विस्फोट हुआ था। जांच की रिपोर्ट अभी-अभी मिली है।

(ख) और (ग) रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है।

चीनी-श्रमिकों के मजूरी ढांचे में समानता लाया जाना

3711. श्री **मधु लिमये** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सहकारी, गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले चीनी श्रमिकों के मजूरी ढांचे में समानता लाने के बारे में कोई निर्णय किया गया है;

(ख) क्या कर्मचारियों और मालिकों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है;

(ग) इस विचार विमर्श का क्या परिणाम निकला है?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (घ) : द्वितीय चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अन्तर्गत, विभिन्न क्षेत्रों के लिये पृथक मजुरियों निर्धारित की गई थीं परन्तु प्रत्येक क्षेत्र की सीमा में सहकारी, निजी और सरकारी क्षेत्रों में श्रमिकों के लिये सिफारिश की गई मजूरियों एक समान हैं। वर्तमान मजूरी के ढांचे में सुधार और प्रतिधारण भत्ते के भुगतान के लिये मांगें की गई हैं। इन मामलों पर नियोजकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ 27 नवम्बर, 1973 को हुई एक बैठक में विचार-विमर्श किये गये थे और 6 दिसम्बर, 1973 को इन पर और आगे विचार-विमर्श किये जाने हैं।

वर्ष 1971 में जम्मू तथा काश्मीर में पाकिस्तान द्वारा अधिकृत भारतीय क्षेत्र से आये शरणार्थी

3712. **श्री मधु लिमये** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुये युद्ध में पाकिस्तान द्वारा जम्मू तथा काश्मीर के कब्जे में किये गये भारतीय क्षेत्र से कितने शरणार्थी आये थे;

(ख) वर्ष 1972-73 में उन्हें क्या सहायता दी गई थी; और

(ग) उनके स्थाई रूप से पुनर्वास के लिये क्या व्यवस्था की गई है?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) 18,422 व्यक्ति।

(ख) इन व्यक्तियों को जम्मू तथा कश्मीर के किशनपुर तथा मनवल शिविरों में रखा गया है जहां कि उन्हें तम्बुओं में आवास, नकद अनुदान, वस्त्र, बर्तन, शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधाओं आदि के रूप में आवश्यक राहत सुविधायें और उनके पशुओं के लिये चारा भत्ता दिया जा रहा है। इस प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था करने पर किया गया पूर्ण खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

(ग) जहां तक उनके तत्काल तथा प्रभावी पुनर्वास का सम्बन्ध है केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये गये संयुक्त दल ने समस्या का अध्ययन किया है और रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। यह रिपोर्ट सितम्बर, 1973 के अन्त तक प्राप्त हुई थी और सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

P.M's. APPEAL FOR INDUSTRIAL PEACE

3713. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether the Prime Minister appealed on the 11th November, 1973 for maintaining industrial peace in the country with a view to increase production during the present critical period; and

(b) the positive steps proposed to be taken by the Labour Department in this regard and the manner in which Government proposed to persuade the workers not to resort to unnecessary strikes?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) Yes, Sir.

(b) The steps envisaged include measures :

(a) to improve the conditions of work and education in order to create necessary motivation and promote the welfare of workers in general, and in the unorganised sectors of industry and agriculture in particular;

(b) to streamline and improve the procedures and machinery for the prevention and settlement of disputes, settlement of grievances, etc. so as to improve industrial relations and minimise disputes and work stoppages;

(c) to educate (under the Workers' Education Scheme and others), the working class to an awareness of their responsibilities in promoting production and productivity.

Strike in H.M.T. Pinjore Unit Haryana

3714. **Shri Hukam Chand Kachwai:**

Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state:

(a) whether the employees of the Hindustan Machine Tools, Pinjore Unit, Haryana went on strike during November, 1973;

(b) if so, the reasons thereof; and

(c) the action taken by Government in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh):

(a) & (b) A majority of supervisory staff of H.M.T. Pinjore, numbering about 350, have been on strike since 9th November, 1973, to press for the re-instatement of the services of an employee whose services have been terminated.

(c) Government are in close touch with the management and the Government of Haryana and discussions are in progress to bring the strike to an end.

Deposit of Arrears of E.P.F. by Ujjain Mills

3715. **Shri Hukam Chand Kachwai:**

Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) whether arrears of the Employees Provident Fund have since been deposited by the owners of Vinod, Deepchand, Vimal and Hira Mills (Ujjain); and

(b) if not, the arrears of provident fund to be deposited by each of these mill-owners at present and the action proposed to be taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgobind Verma):

The Provident Fund Authorities have intimated as under:

(a) and (b) Entire provident fund arrears have been deposited by the owners of Bimal, Binod and Deepchand Mills, Ujjain. The Hira Mills, Ujjain, are in arrears of Rs. 25.62 lakhs. They are paying rupees three lakhs every month (approximately) towards arrears and the outgoing members' claims. The Mills are progressively reducing the arrears of Provident fund from January, 1971. Current contributions are being paid regularly from April, 1972. Recovery certificate has been issued to the Collector for the entire arrears.

Deposit of Employees Provident Fund by Plantation Owners of Manipur and Tripura

3716. **Shri Hukam Chand Kachwai:**

Will the Minister of **labour** be pleased to state:

(a) the total amount of Employees Provident Fund still to be deposited by the tea plantation owners of Manipur and Tripura; and

(b) the proposed policy of Government to realise these arrears?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): The Provident Fund Authorities have intimated as under:—

(a) Rs. 3.35 lakhs in respect of 31 tea establishments in Tripura are in arrears. No tea establishment is covered in Manipur.

(b) Legal action has been taken to realise the arrears.

I.A.F. Plane Crash near Gorakhpur

3717. **Shri Hukam Chand Kachwai:**

Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1754 on the 22nd November, 1973 regarding the I.A.F. plane crash near Gorakhpur and state:

(b) whether the pilot was killed in the crash; and

(b) if so, the assistance given to the family of the deceased and the loss suffered by Government?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes, Sir.

(b) The loss suffered by the Government is estimated at Rs. 14,03,000.

The financial assistance given to the family of the deceased officer so far amounts to Rs. 1,800. The next-of-kin of the deceased officer is entitled to receive further assistance as follows:

(i) **Public Funds:**	**Entitlement**
Ex-gratia payment	Rs. 42,000
Dependent's pension	A maximum of Rs. 96 p.m. for single parent subject to means limit of Rs. 3600 p.a. (to be reviewed triennially).
Family gratuity.	Rs. 1,000
Death-cum-retirement gratuity.	Rs. 3,390
(ii) **Non-Public Funds:**	**Entitlement**
Death Grant:	Rs. 3,000
Maintenance allowance:	Rs. 100 p.m. for a period not exceeding 6 months on application.
Rehabilitation grant:	Rs. 150 p.m. upto a maximum period of 10 years under Family Assistance Scheme (Officers).

Manufacture of Submarines in Mazagon Dock Limited, Bombay

3718. **Shri Hukam Chand Kachwai:**
Shri C. K. Jaffer Sharief:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration a scheme to manufacture modern submarine in Mazagon Dock Ltd., Bombay; and

(b) if so, the time by which this scheme would be implemented and the estimated expenditure to be incurred thereon?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b) Proposals for indigenous construction of Submarines have been under the consideration of Government for some time past. No final decision has, however, yet been taken.

It is not possible, at this stage, to indicate the time-frame or the estimated expenditure in this regard.

बिहार विद्युत बोर्ड और पटना राज्य परिवहन निगम में भविष्य निधि लेखों का रखा जाना

3720. **श्री योगेश चन्द्र मुर्मु** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार विद्युत बोर्ड, पटना राज्य परिवहन निगम में भविष्य निधि के लेखों का रखा जाना सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि वहां न्यासधारी बोर्ड नहीं है और पूंजी निवेश ठीक प्रकार से नहीं किया गया है;

(ख) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अथवा सहायक आयुक्त द्वारा कोई निरीक्षण किया गया है और यदि हां तो किन किन तारीखों को निरीक्षण किया गया है और इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) गत दो वर्षों में कर्मचारियों और जमाकर्त्ताओं की संख्या क्या रही है और क्या अस्थाई और ठेके पर काम करने वाले (पीस रेटिड) कर्मचारियों के मामलों की कभी जांच की गई थी?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा): (क) से (ग) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और एकत्र की जा रही है। यह यथासम्भव सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार के पास कर्मचारी भविष्य निधि के अधीन दण्डरूप हर्जाना लगाने के लम्बित मामले

3721. **श्री योगेश चन्द्र मुर्मु** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 में अधीन दण्डरूप हर्जाना लगाने के अनेक मामले क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त बिहार के पास लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां तो उनकी संख्या और मुख्य बातें क्या हैं और ये मामले कब से लम्बित हैं;

(ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के नवीनतम संशोधन के प्रकाश में दण्डरूप हर्जाने की दर के बारे में कोई सन्देह उत्पन्न हुये हैं; और

(घ) यदि हां तो इस बारे में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त बिहार को क्या अनुदेश दिये जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : **(क) से (घ)** अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है। यह यथा-समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

बिहार और अन्य राज्यों में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधीन सीमेंट फैक्टरियों तथा निजी इलेक्ट्रिक कंपनियों को लाना

3722. **श्री योगेश चन्द्र मुर्मु** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बिहार तथा अन्य राज्यों में बड़ी संख्या में ठेकेदारों तथा सिमेंट फेक्टरियों के पत्थर खदानों के कर्मचारियों पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम लागू नहीं है;

(ख) क्या पटना इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड चैबासा इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड जुगसलाय इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड जैसी निजी इलैक्ट्रिक कम्पनियों पर भी अभी तक यह अधिनियम लागू नहीं है; और

(ग) सभी पात्र कर्मचारियों पर कर्मचारी भविष्य निधि योजना लागू करने के लिये क्या कार्य-वाही की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) स (ग) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और यह एकत्र की जा रही है। यह यथा समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

सशस्त्र सेनाओं के रिजर्व सैनिकों को पेंशन का भुगतान

3723. **श्री झारखण्डे राय** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1940, 1962 और इसके बाद सेवामुक्त किये गये सशस्त्र सेनाओं के रिजर्व सैनिकों को 40 रुपये प्रतिमास की दर से पेंशन मिल रही है;

(ख) क्या 1953 से 1961 के बीच सेवामुक्त किये गये सशस्त्र सेनाओं के रिजर्व सैनिकों को केवल 25 रुपये प्रतिमास की दर से पेंशन मिलती है; और

(ग) यदि हां तो भेदभाव के कारण क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) जिन रिजर्व सैनिकों को 1 जून, 1953 से पहले सैन्य सेवा से मुक्त किया गया था, उन्हें 3 रुपये मासिक की दर से पेंशन मंजूर की गई थी। जिन रिजर्व सैनिकों को 1 जून, 1953 को या इसके बाद लेकिन 1 अप्रैल, 1968 से पहले सेवा से मुक्त किया गया था, उन्हें उनके सेवाकाल के अनुसार, 10 रुपये प्रतिमास से 12 रुपये प्रतिमास तक की पेंशन मंजूर की गई थी। 1 अप्रैल, 1968 को या इसके बाद सेवामुक्त किये गये रिजर्व सैनिकों को 15 रुपये प्रतिमास की समान दर पर पेंशन दी जा रही है।

इसके अलावा अन्य पेंशन पाने वालों की तरह, रिजर्व सैनिक भी समय-समय पर स्वीकृत दरों पर अपनी पेंशन में अस्थाई/तदर्थ वृद्धियों के हकदार हैं।

फैक्टरी अधिनियम का संशोधन

3724. **श्री सोम चन्द सोलंकी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार फैक्ट्री अधिनियम में कोई संशोधन करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी हां। कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन करने के लिये कुछ प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Setting up of Heavy Industries in Backward areas

3725. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state:

(a) whether he made a statement on the 7th November, 1973 to the effect that heavy industries would be set up in the backward areas; and

(b) whether any schemes in that regard have been prepared?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

श्रमिक बल के अनुपात में अप्रत्यक्ष बेरोजगारी

3726. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न आयु-वर्गों में, कुल श्रमिक बल के अनुपात में, अप्रत्यक्ष बेरोजगारी प्रति वर्ष बढ़ती ही जा रही है; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

Converting Pak-occupied part of Kashmir into a Province by Pakistan

3727. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have received the news that Pakistan is converting the Pak-occupied part of Kashmir into a Province of her own ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Government have seen reports to this effect.

(b) Any such move by Pakistan will be illegal as the entire State of Jammu and Kashmir became a part of the Indian Union as a result of the State's accession in 1947. It would also be contrary to the provisions of the Simla Agreement which states that pending the final settlement of any of the problems between the two countries, nothing shall be done to unilaterally alter the situation.

Equivalent Hindi words Prepared by Expert Committee

3728. **Shri Sha nkar Dayal Singh:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state whether any expert Committee has prepared equivalent words to ensure full usage of Hindi for the training of Armed Forces personnel; and if so, the main features thereof?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : The Standing Commission for Scientific & Technical Terminology in the Ministry of Education prepared a Defence Glossary, in two volumes, under the guidance of Expert Advisory Committee on Defece Terminology, Specialist Officers of different Branches of Armed Forces, Heads of Military Science Departments of various Universities, etc. The Glossary deals with all aspects of Defence requirements and is being used for translation of training literature for the Armed Forces.

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से उर्वरकों का आयात करने संबंधी प्रस्ताव

3729. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से उर्वरकों का आयात करने सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में 9 अगस्त, 1973 के तारांकित प्रश्न सं० 267 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ही ऐजेन्सी के माध्यम से उर्वरकों की वसूली को केन्द्रीकृत करने के बारे में इस बीच कोई निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां।

(ख) आवश्यक रूपरेखा बनाई जा रही है।

इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, बर्नपुर के राष्ट्रीयकरण का विरोध

3730. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह प्रस्ताव किया है कि बर्नपुर की इण्डियन आयरन एंड स्टील कम्पनी का, जिसका प्रबन्ध सरकार पहले ही अपने हाथ में ले चुकी है, राष्ट्रीयकरण न किया गया; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल की मांग के बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लौह छीलन पर आधारित अनधिकृत इलेक्ट्रिक आर्क भट्टियां

3731. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में कितनी अनधिकृत लौह छीलन पर आधारित इलैक्ट्रिक आर्क भट्टियां काम कर रही हैं; और

(ख) इस प्रकार की भट्टियों के खिलाफ अगर सरकार ने कोई कार्यवाही की है, तो ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) अब तक ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में तांबे तथा पीतल की कमी

3732. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल राज्य में तांबे तथा पीतल की भारी कमी है; और

(ख) यदि हां, तो उस राज्य को पर्याप्त मात्रा में ताम्बा और पीतल सप्लाई करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) पीतल तांबे और जस्ते की मिश्रधातु है। देश में इन दो धातुओं की अधिकांश आवश्यकता की पूर्ति आयातों से की जाती है। विगत एक वर्ष के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तांबे और जस्ते के मूल्य दूने से अधिक हो गये हैं तथा धातु की पूर्ति में और भी कमी हो गई है। विदेशी मुद्रा की सीमित उपलब्धि के कारण इन धातुओं के आयात को नियंत्रित करना पड़ा है जिसके फलस्वरूप विभिन्न उद्योगों, विशेषतया, गैर-प्राथमिकता क्षेत्रों की मांगों को पूरा करना संभव नहीं है। अलौह धातुओं की कमी का देश भर के उद्योगों पर प्रभाव पड़ा है।

केरल के लिए सड़क रौलर

3733. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने सड़क रौलरों के लिये अपनी मांग भेज दी है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग को पूर्णतया पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां। केरल सरकार ने पूर्ति और निपटान महानिदेशालय को 1972-73 तथा 1973-74 में क्रमशः 60 तथा 79 रोड रौलरों की सप्लाई के लिये 2 मांग पत्र भेजे।

(ख) देश में सीमित उत्पादन होने के कारण राज्यों के रोड रौलरों की मांग को पूर्णतया पूरा नहीं किया जा सका। केरल सरकार की मांग को अग्रता देते हुये उन्हें निम्नलिखित आवंटन किया गया :—

वर्ष	आवंटन किया गया
1972-73	42
1973-74	33

(पहली तीन तिमाहियों में)

मैसर्स कोरस इंडिया लिमिटेड द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि के अपने अंशदान का भुगतान न किया जाना

3734. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या **श्रम** मंत्री मैसर्स कोरस इंडिया लिमिटेड द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि के अपने अंशदान का भुगतान न किये जाने के बारे में 26 जुलाई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 768 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यासी मण्डल को भविष्य निधि के अंशदान के हस्तान्तरण की अन्तिम तिथि क्या होती है; और

(ख) गत तीन वर्षों में कितनी बार इसका उल्लंघन किया गया तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा): (क) और (ख) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है, कि सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और यह एकत्र की जा रही है। यह यथा-समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

International Peace Conference in Geneva

3735. **Shri Shrikrishan Agrawal:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether an International Peace Conference is being organised in Geneva to establish peace in West Asia;

(b) If so, the names of the countries participating therein; and

(c) Government's reaction in this regard?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) to (c) The U.N. Security Council decided in its Resolution No. 338 of October 22, 1973, the negotiations between the parties concerned should start immediately under appro priate auspices with a view to establishing a just and durable peace in West Asia. Government are aware of the moves being made to get such negotiations started. No final decisions have yet been announced about the date or composition of these talks.

बैंक आफ बडौदा और आल इंडिया बैंक आफ बड़ौदा एम्पलाईज फेडरेशन के प्रतिनिधियों के बीच समझौता

3736. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग उद्योग से संबंधित विभिन्न मामलों पर बातचीत और परामर्श के बारे में बैंक आफ बड़ौदा के प्रबन्धक वर्ग, 'आल इंडिया बैंक आफ बड़ौदा एम्पलाईज फेडरेशन' और 'बैंक आफ बड़ौदा एम्प्लाईज कोआर्डीनेशन कमेटी' ने समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो बैंक आफ बड़ौदा तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से संबंधित मामलों पर परामर्श के बारे में समझौते के खण्ड क्या हैं; और

(ग) इन खण्डों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा): (क) से (ग) दिनांक पहली सितम्बर, 1973 के समझौते से एक उदाहरण संलग्न है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में श्रम-प्रबन्धक सम्बन्धों से सम्बन्धित मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रतिनिधियों तथा सम्बन्धित श्रमिक संघ संगठनों को शीघ्र ही एक बैठक बुलाए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

बैंक आफ बड़ौदा के प्रबन्धतंत्र और उनके कर्मचारियों के बीच। सितम्बर 1973 को हुए समझौता ज्ञापन से उद्हरण

बैंक आफ बडौदा में मजूरी और सेवा की शर्तों से संबंधित मामलों में मन्त्ररणा लिये जाने के महासंघ के दावे पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले, यह करार किया जाता है कि दिनांक 9 जून, 1973 के मान्यता सम्बन्धी पत्र का उद्देश्य, जो कि आल इंडिया बैंक आफ बड़ौदा इम्पलाईज फेडेरेशन को मान्यता प्रदान करता है, मजूरियों और सेवा की शर्तों से संबंधित मामलों के समझौतों को सम्मिलित करना नहीं है, जो कि प्रचल्लित पद्धति के अनुसार, बैंक उद्योग में राष्ट्रीय स्तर पर निपटाये जाते हैं। अन्य अखिल भारत वाद विषयों के सम्बन्ध में, यह करार किया जाता है कि प्रबन्धतन्त्र द्वारा आल इंडिया बैंक आफ बड़ौदा एम्पलाईज समन्वय समिति से परामर्श किया जायेगा परन्तु ऐसे वाद विषयों पर प्रबन्धतन्त्र द्वारा समझौता, आल इंडिया बैंक आफ बड़ौदा एम्पलाइज फेडेरेशन के साथ किया जायेगा, जो कि मान्यता प्राप्त निकाय है। यह इस समझौते के साथ स्वीकार किया जाता है कि अल्पसंख्यक संघों के साथ परामर्श से संबंधित मामलों के संबंध में एक समान प्रक्रिया प्रस्तुत करने की दृष्टि से इस मामले पर 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्धतन्त्रों और संबंधित श्रमिक संघ संगठनों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया जायेगा।

गत तीन मास में राज्यों में हुई हड़तालें

3737. **श्री सरोज मुखर्जी**: क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन मास में भारत में, राज्यवार कितनी हड़तालें हुईं, प्रत्येक हड़ताल में कितने जन दिवसों की हानि हुई और विभिन्न राज्यों में ये हड़तालें किस-किस तारीख को हुईं;

(ख) इन हड़तालों के कारण क्या थे, विभिन्न राज्य में ये हड़तालें कराने वाले दलों और संगठनों ने क्या मांगें रखी थीं और राज्यवार, इन मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या हड़तालियों द्वारा रखी गई मांगों में से किसी को सरकार ने माना था, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): **(क) और (ख)** सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने के बाद सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

(ग) सामान्यतः हड़ताली श्रमिकों द्वारा प्रस्तुत की गई मांगों को पक्षों के बीच विचार-विमर्शों, संराधन आदि द्वारा सुलझाया जाता है।

मेकेंजीज लिमिटेड के कारखाना-श्रमिकों से प्राप्त ज्ञापन

3738. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मेकेंजीज लिमिटेड, बम्बई के 500 कारखाना श्रमिकों से 25 अक्तूबर, 1973 का कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य मांग कारखाने को सरकारीउपक्रम के रूप में में या सहकारी उद्यम के रूप में पुनः चलाने की है।

(ग) मांग पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है, किन्तु यह उपयुक्त नहीं पाई गई।

दलाई लामा द्वारा यूरोपीय देशों को यात्रा पर चीन की प्रतिक्रिया ||

3739. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने दलाई लामा के यूरोपीय देशों की यात्रा आरम्भ करने से पूर्व भारत सरकार को कड़ा विरोध पत्र दिया था; और

(ख) क्या तभी से भारत-विरोधी प्रचार और कोलाहलपूर्ण प्रसारण चीनी रोष के मुख्य अंग रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) चीन ने दलाई लामा के यूरोप की यात्रा पर जाने के पहले ही 'गहरा खेद' व्यक्त किया था लेकिन उसे विरोध की संज्ञा नहीं दी।

(ख) जी हां; भारत पर आलोचनात्मक टिप्पणियां और खबरें पिछले कुछ सप्ताहों में बढ़ी हैं।

ध्यानाकर्षण के बारे में

Re. Calling Attention

(प्रश्न)

Shri Madhu Limaye (Banka): I want to know one thing regarding the Calling Attention at present before you. You had said that regarding Nepal..............

Mr. Speaker: He has not yet sent it to me.

Shri Madhu Limaye: It should be taken up tomorrow at least because day after tomorrow is holiday.

Mr. Speaker: I will ask him today and if he has the information, it can be fixed for tomorrow.

क्या संसदीय कार्य मंत्री को विदेशी आयात-निर्यात-गृहों पर रोक लगाने की नेपाल की नीति के बारे में ध्यान आकर्षण सूचना के बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई है। यदि हां, तो हम इसे कल चर्चा के लिए रखें?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : जी हां।

अविलम्वनीय लोक महत्व के विषय को ओर ध्यान दिलाना

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance

जापान द्वारा तटदूर ड्रिलिंग प्लेटफार्म 'सागर सम्राट' विलम्ब से दिये जाने के कारण हुई कथित हानि का समाचार

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निज़ामाबाद) : मैं पैट्रोलियम और रसायन मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"जापानी फर्म द्वारा 12.3 करोड़ रुपये के अपतटीय व्यधन प्लेटफार्म 'सागर सम्राट' को दिये जाने में विलम्ब के कारण हुई 18 लाख रुपये की कथित हानि।"

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री डी०के० बरूआ) : 'सागर सम्राट' जिसका निर्माण मित्सुविशी शोजी कैशा लिमिटेड जापान द्वारा किया गया था। 30-9-72 को प्राप्त होना था। करार के अनुसार स्वीकृत छूट अवधि तथा अनुमेय विलम्ब के बावजूद भी इसकी प्राप्ति अन्ततम 14-11-1972 को हो जानी चाहिये थी। लेकिन यह पोत 31-3-73 को हिरोशिमा में प्राप्त किया गया था और 25-5-73 को यह भारत में पहुंचा। करार में की गई व्यवस्था के अनुसार लगभग 53 लाख रुपये की परिसमाप्ति क्षतियों की वसूली तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पोत निर्माताओं से की गई। इस संभावना पर कि यह पोत भारत में दिसम्बर, 1972 के अन्त में पहुंच जायेगा, के लिये उठाये गये कुछ प्रारम्भिक व्यवस्थाओं पर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किया गया खर्च इस धन राशि से पर्याप्त रूप से पूरा हो गया था। मुख्यतः प्रारंभिक कदमी में अमेरिका से 2 सप्लाई नावों का किराये पर लिया जाना सम्मिलित था जिनके संचलन के लिये 60 दिन के नोटिस की आवश्यकता थी। 'सागर सम्राट' के भारत में पहुंचने की तिथि तक इन दो सप्लाई नावों का किराया लगभग 30 लाख रुपये था। इसलिये यह कहना उचित नहीं होगा कि पोत निर्माताओं द्वारा पोत को देने में विलम्ब करने के कारण से ही तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को किसी प्रकार की हानि हुई। लेकिन पोत को 127 दिन के विलम्ब से देने के परिणामस्वरूप कुप्रभाव पड़ा है, उसके बारे में मैं कहूंगा।

सामान्य स्थिति में, 25 मई, 1973 को पोत के भारत में पहुंचने पर इसके छिदले समुद्र वाले प्रारंभिक स्थान में उठाने के बाद इसमें आठ चरण खण्डों को जोड़ा जाना था। इसके पश्चात् इस पोत को बम्बई हाई संरचना में ले जाया जाना था जहां पर प्रथम कूप की खुदाई की जानी थी। सागर सम्राट के द्वारा ठोस व्यधन करने से पूर्व उसके चरणों की समुद्र के भीतर पहुंच सकने की संभावित गहराई से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिये फैन्च फर्म सी०जी०जी० द्वारा व्यधन स्थलों का सब प्रकार से सर्वेक्षण किया गया था। लेकिन प्रारंभिक चरण स्थापना स्थल पर वेधन, फ्रैन्च फर्म द्वारा अनुमानित सीमाओं से अधिक था। बीमाकर्त्ता ने वेधन की कुछ सीमायें निर्धारित की थीं जिनका पालन भी किया जाना था।

सागर सम्राट को तब बम्बई के पश्चिम की ओर 15 मील की दूरी में एक छिदले स्थल पर उठाया गया था और इस में आठ चरण खंड को जोड़ दिया गया था। लेकिन इसी बीच समुद्र में साइक्लोन और मानसून आ गये थे। जिससे समुद्र विक्षुब्ध को गया था। यहां पर यह कहना उचित

होगा कि डिजाईनर की आवश्यकता तथा बीमा कम्पनी की शर्तों के अनुसार जो कि तकनीकी आधार पर है, चलित प्लेटफार्म को समुद्र में 2 मीटर से ऊपर उभार तथा 15 नाट प्रति घंटे से अधिक वायु वेग की समुद्री स्थिति में ऊपर नहीं उठाया जाना चाहिये। मौसम की स्थिति संतोषजनक है या नहीं, इसका निर्णय मौसम विज्ञान विभाग से सावधानी पूर्वक विचार विमर्श करके करना था। 19 सितम्बर, 1973 तक मौसम खराब चलता रहा और इसके बाद ही पोत को बम्बई हाई संरचना के आयोजित स्थल पर ले जाया जा सका। लेकिन पुनः इस स्थल पर चरण वेधन आवश्यकता से अधिक था जिसके कारण प्लेटफार्म को ऊपर उठाना संभव नहीं था। दो अन्य स्थलों पर भी इस प्रकार के परिणाम प्राप्त होने के बाद सागर सम्राट को अन्ततः तारापुर संरचना में एच०-12/1 पर उठाया गया तथा पहला कूप 11-10-73 को खोदा गया था।

यद्यपि बम्बई हाई संरचना से प्रथम स्थल के अत्यधिक वेधन की समस्या उत्पन्न हुई फिर भी बम्बई हाई संरचना पर हो कुछ ऐसे स्थल है जहां पर यह समस्या नहीं है। लेकिन सागर सम्राट को वहा नहीं ले जाया जा सका क्योंकि उन स्थलों पर पानी की गहराई 62 मीटर से अधिक है और उस समय बीमा कंपनी द्वारा लगाई गई सीमाओं के अनुसार सागर सम्राट मानसून के बाद के साइक्लोन युक्त मौसम में 62 मीटर की पानी की गहराई से अधिक में कार्य नहीं कर सका।

कहीं ऐसी धारणा न बन जाये कि बम्बई हाई के कुछ स्थलों में यह वेधन संभव नहीं हो सकेगा, इस बारे में यह बताना उचित होगा कि वेधन सीमाओं तथा पानी की गहराई के बारे में छूट देने के लिये बीमा कम्पनी ने गहराई का अध्ययन किया था। अब नई सीमाओं के निर्धारित हो जाने से, सागर सम्राट वर्तमान कूपों का अध्ययन व्यधन करने के बाद बम्बई हाई संरचना को लौट जायेगा।

इस प्रकार यह ज्ञात होगा कि यदि मौसम खराब न हुआ होता तो व्यधन के लिये कोई उपयुक्त स्थल बहुत पहले ही अपलब्ध हो गया होता तथा प्रथम कूप जून, 1973 के मध्य तक खोदा गया होता। विश्व भर में अतटीय व्यधन के लिये मौसम पर निर्भर करना (डब्ल्यू ओ डब्ल्यू) कोई सामान्य बात नहीं नहीं है। सप्लाई नावों संवाहक नावों आदि अन्य तैयारियों पर आवश्यक रूप से व्यय करना अनिवार्य हो जाता है। यह सब समुद्र में कूप व्यधन करने के समस्त प्रयत्नों का एक भाग है।

जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं सागर सम्राट इस समय तारापुर संरचना पर व्यधन कार्य कर रहा है। कूप के 4500 मीटर की गहराई तक व्यधन करने का लक्ष्य है तथा इसका अब तक लगभग 2700 मीटर की गहराई तक व्यधन किया जा चुका है। 1600 मीटर से लेकर 2500 मीटर की गहराई में गैस के चिह्न पाये गए हैं तथा अब तक किया गया वेधन स्तरित शैल विज्ञान के अनुसार उत्साह-वर्धक है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मंत्री महोदय ने काफी लम्बा-चौड़ा वक्तव्य दिया है परन्तु कुछ बातों पर मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं--जैसे यह सर्वेक्षण कब किया गया और जब समुद्र के अशान्त होने की पूर्व सूचना मिल गई थी तो पहले ही सावधानी क्यों नहीं बरती गई? दूसरे हमें पता लगा है कि 'सागर सम्राट' में पुरानी ठीक की हुई मशीने लगी हुई हैं, क्या जापान में जब इसका निर्माण चल रहा था, तब इसका पता नहीं चला और सरकार को इसका कब पता चला? अब पंच-निर्णय के लिये कहा गया है जिसमें काफी समय लग जाएगा। लगता है, सरकार इस मामले को साधारण समझती है।

आज की तेल राजनीति के संदर्भ में हमें आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता बढ़ जाती है परन्तु 160 लाख टन तेल निकालने के लिये हमारे प्रयास पर्याप्त नहीं हैं, गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष

हमने दुगुनी से भी अधिक विदेशी मुद्रा खर्च की है। फिर भी हम अपतटीय खुदाई पर थोड़ा अधिक खर्च नहीं कर रहे हैं। इस परियोजना में विलम्ब से आयात से भी हमारी आवश्यकता पूरी नहीं होगी।

अतः मैं जानना चाहूंगा कि यह परियोजना कब पूरी होगी और अन्य योजनाएं कब तक आरम्भ होंगी। तेल में आत्मनिर्भरता के बिना देश का कोई भविष्य नहीं है । आशा है मंत्री महोदय इन सभी बातों का समुचित उत्तर देंगे।

श्री डी० के० बरूआ : सर्वेक्षण के बारे में, पहला अध्ययन सोवियत विशेषज्ञों द्वारा 1964 और 1966 में किया गया। दूसरा फ्रांस की विख्यात सी० जी० जी० द्वारा किया गया। बाद में अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिक सेवा द्वारा भी अध्ययन किया गया था। समुद्री तल का सर्वेक्षण 1972 में किया गया था जिसके आधार पर खुदाई का प्रयोग किया गया।

बम्बई के खुले समुद्री क्षेत्र में तीन स्थान चुने गये। वर्षा के कारण बीमाकर्त्ताओं और सलाहकारों ने 58 फुट से आगे जाने की अनुमति नहीं दी। बाद में यह बढ़ा कर 85 फुट और गहराई 200 फुट के स्थान पर 245 फुट कर दी गई और हमें सभी स्थितियों में काम करने की अनुमति दे दी गई। यह अनुमति प्राप्त होने तक हमने कोई जोखिम उठाना ठीक नहीं समझा क्योंकि हमें अनेक दुर्घटनाओं के बारे में बताया गया था।

यह कार्य जनवरी तक पूरा हो जायेगा और तब तक यदि तेल मिला तो वहीं खुदाई की जायेगी अन्यथा हम और आगे खोज करेंगे जिसके बारे में भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग आदि को अधिक आशा है।

मशीनों के बारे में, सभी मशीनें पुरानी नहीं हैं। केवल बिजली का सामान ही पुराना और मरम्मत शुदा है जिसका मूल्य तब 12 करोड़ रुपये था। इसके लिये यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि [यह 'रिग' नहीं है जहां हर समय बिजली से काम होना है इसलिये यह सामान भी उतनी देर चलेगा जितनी देर कि रिग चलेगा। तथापि हमने उनका यह तर्क स्वीकार नहीं किया है। मैंने जापानी राजदूत को बुलाकर कह दिया है कि इन मशीनों की हालत चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, ऐसा करना उचित नहीं है। उन्हीं के कहने पर वे 4 लाख डालर विदेशी मुद्रा का मुआवजा देने पर सहमत हो गये हैं जो पुर्जे बदलने में काम आ सकेगा।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : आज जब कि विश्व भर में तेल का संकट है और देश को उर्वरक, इस्पात और अनाज के लिये विदेशी मुद्रा की अत्यंत आवश्यकता है, मंत्रालय द्वारा इस क्षेत्र में अपेक्षा बरतना बहुत ही खेदजनक है। लगता है कि सर्वेक्षण ठीक ढंग से नहीं किये गये हैं और सागर सम्राट के देर से मिलने से तेल की खोज के काम में विलम्ब हुआ है। क्या मंत्री महोदय गलत सर्वेक्षण की जांच करायेंगे और क्या इस 'रिंग' का प्रयोग बम्बई के समुद्र में न करके तारापुर में किया जा रहा है जबकि वहां समुद्र शान्त है और वर्षा भी नहीं हो रही है? क्या मंत्री महोदय पूरे मामले की जांच एक संसदीय समिति द्वारा कराये जाने और जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए सहमत हैं?

श्री डी० के० बरूआ : यदि सदस्य सोचते हैं कि पैट्रोलियम मंत्रालय प्रधान मंत्री की नीति को विफल बनाना चाहता है तो ठीक है परन्तु निश्चय ही इसका कोई आधार नहीं है। सभी सर्वेक्षण जाने-माने लोगों द्वारा किये गए थे।

जहां तक इन सर्वेक्षणों का संबंध है, इनमें बेईमानी का कोई तत्व नहीं है। हां, राय भिन्न हो सकती है और हो सकता है वे अपर्याप्त हों। इसलिये हम इनकी व्याख्या ब्रिटेन की आफशोर डायनामिक्स लिमिटेड से करा रहे हैं।

Shri Madhu Limaye (Banka) On a point of order, Sir, I am not used to interrupting unnecessarily but sometimes it becomes necessary.

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

Shri Madhu Limaye: Are there no rules. I exercise much restraints, then why it is not being allowed?

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : क्या आपने संगत नियम रद्द कर दिया है? क्या इसकी घोषणा की गई थी?

Shri Madhu Limaye: How can you say that I cannot raise a point of order? Under what rule?

अध्यक्ष महोदय : यह चर्चा समाप्त होने पर हम इस पर बात करेंगे।

Shri Madhu Limaye: This convention is about the Question Hour and not for Calling Attention.

अध्यक्ष महोदय : सभी बातों के लिये नियम नहीं होते । इस सभा में कुछ परम्पराएं एवं परिपाटियां चलती हैं। प्रश्नकाल और ध्यान आकर्षण के लिये यही परम्परा है कि व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया जायेगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : It was not so decided about Calling Attention I do not know what Shri Limaye wants to say but you should allow the point of orde: if the Miniser gives away wrong information here.

Mr Speaker: He stand up on each such occasion throughout the day.

Shri Madhu Limaye: Never unnecessarily.

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आप उनकी बात सुन लें और अपना निर्णय दे दें। श्री लिमये बिना कारण कभी प्रश्न नहीं उठाते।

अध्यक्ष महोदय : यदि प्रश्नकाल और ध्यान आकर्षण के दौरान इन प्रश्नों की अनुमति दी जाने लगे, तब तो तांता लग जायेगा। आपको इसे छोड़ना होगा।

प्रो० मधु दण्डवते : बिना विशेष कारण के श्री लिमये खड़े नहीं होते। आप उनकी बात सुन लें..... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह परिपाटी सभा द्वारा ही बनाई गई है। यदि आप नहीं चाहते तो भविष्य में यह लागू नहीं होगी।

श्री वसंत साठे (अकोला) : हम एक सदस्य द्वारा इस प्रकार सभा में अव्यवस्था नहीं फैलने देंगे। हमें इस प्रकार प्रभावित नहीं किया जा सकता ..... (**व्यवधान**)

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यह ठीक है कि ध्यान आकर्षण के दौरान अध्यक्ष पीठ व्यवस्था के किसी प्रश्न की अनुमति नहीं देती परन्तु जब ध्यान आकर्षण प्रस्तावक और मंत्री के बीच संवाद बन कर रह जाता है तब हम केवल दर्शक बने देखते रहते हैं और जब हम उत्तर से संतुष्ट न हों तब हमारे लिये क्या चारा है..... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें। हमने यह माना है कि प्रश्नकाल में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। यह परिपाटी काफी समय से चली आ रही है।

ध्यान आकर्षण के संबंध में हम इन सूचनाओं का बैलट करके उन सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति देते हैं जिनका प्रस्ताव सभा में चर्चा के लिये चुना जाता है। यदि अन्य सदस्यों को भी व्यवस्था के प्रश्न या अन्य प्रकार से प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी जाये तो बैलट आदि की प्रक्रिया निरर्थक हो जायेगी। यह प्रक्रिया आपके लाभ के लिये है और समय भी आपका है मेरा नहीं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : और पूरा सदन इसे चुपचाप सुनता रहे।

अध्यक्ष महोदय : कभी-कभी ऐसा भी होता है। यदि आप को इससे संतोष न हो तो आप चर्चा के लिये अनुरोध कर सकते हैं।

Shri Madhu Limaye: I have no intention to create disorder. If you wish that many raise my point of order at the end, I have no objection.

प्रो० मधु दण्डवते : श्री लिमये का अनुरोध है कि इसके अन्त में ही उन्हें अपना बुनियादी प्रश्न उठाने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : यह नई बात होने जा रही है। ध्यानाकर्षण पर 30 मिनट/45 मिनट/एक घंटे तक चर्चा चलती है और कभी-कभी भोजन काल में भी ऐसा हो जाता है। खैर इसे भी करके देख लेते हैं।

श्री डी० के० बरूआ : जैसाकि मैं श्री महाजन के प्रश्नों के उत्तर में बता रहा था, यह प्लेटफार्म विख्यात कंपनियों द्वारा बनाया गया है और इसकी दो बार जांच होने के बाद पुनः जांच हो रही है। अतः दुराशय सम्बन्धी जांच की मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता।

विलम्ब के बारे में जैसाकि मैं बता ही चुका हूं हमने बीमाकर्ताओं की सलाह पर इतने बहु-मूल्य प्लेटफार्म को खतरे में डालने का जोखिम उठाना उचित नहीं समझा। अपतटीय खुदाई बड़ा गम्भीर काम है और इसमें बहुत समय लगता है और हमारी आशा से थोड़ा अधिक समय लग सकता है।

Shri Satpal Kapur (Patiala): By looking to the activities of certain officials of the Ministry and O.N.G.C. we come to the conclusion that there has been sabotage. It does not mean that Minister himself has sabotaged the whole thing.

During the discussion on Demands relating to the Ministry of Petroleum on the 7th July,1971 it was pointed out that when the Government called for global tenders for the insurance of this ship, the company showed its willingness. It has now been stated by the Minister that the Insurance Company had raised certain stipulations and it was prepared for the temporary insurance.

The whole problem arose as the design of this slip was defective. The design was prepared by a French Company and approved by a British Company. But U.N.O. expert who visited this in 1966 had different views. He had predicted that the design of this ship was defective and Government would not be able to achieve success with the help of this ship.

The then Minister had then stated that it was not true. But all those things have proved true and it is no use in saying that the Government had no suspicious. The company which manufactured the Plat form,had offered to do drilling on contract basis. Why did not Government entrust this job on contract basis. This statement made by the Minister is incomplete. The statement made by Dr. G. Ramaswamy was more informative.

It states that it had come to be known that second hand machinery had been fitted in this Platform. Since the assignment of the job, an Engneering Unit of the Government had been insiting Japan regularly. Even they could not detect that second hand machinery was being fitted to the platform. If it is not a sabotage then what else it should be called?

Officers of O.N.G.C. and Petroleum Ministry had sabotaged in collusion with Inter national oil cartels. There should be judicial enquiry in this regard.

It is a strange thing that officers like Shri Kamaljit Singh and Shri Mukherjee, who were involved in the matter have been given protected appointments. This is a serious and vital matter and should be discussed in the House.

श्री डी० के० बरूआ : माननीय सदस्य ने यह कहा कि 'सागर-सम्राट' के निर्माण में पुरानी मशीनों का उपयोग किया गया। यह सच नहीं है। जहां तक विद्युत् उपकरणों का संबंध है, कुछेक उपकरणों को ठीक करके प्रयोग में लाया गया था। मैं इस बारे में जांच करूंगा कि क्या इस बारे में कोई गलत निर्णय लिया गया था। मैं इस बात पर भी विचार करुंगा कि क्या जांच का कोई ग्रौचित्य है।

Shri Madhu Limaye: Sir, 3-4 Months ago, I had asked in the house whether survey pertaining to see Bed was defective? At that time he had replied in the negative but now he is agreeing with that he should at least feel sorry for that similar thing happened in the case of Refinery Losses. Whenver questions of national importance are raised, the replie are given in such a manner. Does he want notice under Direction 115 and a Privilege Notice every time ? Why is the wrong reply not corrected after realisation by the Minister?

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मैं ग्रापकी ग्रनुमति से एक स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकता हूं।

ग्रध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा जा सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि मंत्री महोदय कोई जानकारी छुपा रहे हों, तो मेरा कर्त्तव्य है कि इसको रोकने का प्रयास किया जाये।

ग्रध्यक्ष महोदय: इसके लिये ग्रन्य तरीके हैं। यह नहीं कि कार्यवाही में व्यवधान पैदा किया जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस विषय पर चर्चा की ग्रनुमति दे दें।

श्री वसन्त साठे : राज्य को करोड़ों रुपयों का धोखा दिया गया है। यह चर्चा के लिये उपयुक्त विषय है।

Mr Speaker: If you want discussion, it can be had after proper notice.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

Paper Laid on the table

मनीपुर में संसदीय तथा विधान सभायी निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीम के सम्बन्धन में अधिसूचना

विधि, न्याय ग्रौर कंपनी कार्य मंत्रालय में राजमंत्री (श्री नीति राज सिंह चौधरी : मैं परिसीमन ग्रधिनियम, 1972 की धारा 10 की उपधारा (3) के ग्रन्तर्गत ग्रधिसूचना संख्या सां० ग्रा 667(ङ) (हिन्दी तथा ग्रंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र

दिनांक 30 अक्तूबर, 1973 में प्रकाशित हुई थी और जिसमें मणिपुर राज्य में संसदीय तथा विधान सभायी निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 7 दिया हुआ है।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 5914/73]

खनिज रियायत (चौथा और पांचवां संशोधन) नियम 1073 और कोकंकारी कोयला खान (बन्धक प्रभार, धारकधिकार अथवा अन्य हितों के बारे में सूचना) नियम 1973

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) खनिज रियायत (चौथा संशोधन) नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 15 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० सा० नि० 1010 में प्रकाशित हुये थे।

(दो) खनिज रियायत (पांचवां संशोधन) नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 15 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० सा० नि० 1011 में प्रकाशित हुये थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 5915/73]

(2) कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 34 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कोककारी कोयला खान (बन्धक, प्रभार, धारणाधिकार अथवा अन्य हितों के बारे में सूचना) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 31 अक्तूबर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 480 में प्रकाशित हुये थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 5916/73]

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwallior): Election for the places are going to be held simultaneously. But Delimitation papers relating to Manipur only have been kept on the table. What about U.P. and Orissa ?

Mr. Speaker : It is a separate question. You can not link it with this.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य भविष्यनिधि) नियम 1973

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : मैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 की उपधारा (4) के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र दिनांक 3 नवम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1204 में प्रकाशित हुये थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 5917/73]

राष्ट्रीय पुस्तकालय विधेयक

NATIONAL LIBRARY BILL

सयुंक्त समिति में सदस्य की नियुक्ति

श्री अमरनाथ विद्यालंकार (चंडीगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा श्री ए० के० कोत्राशट्टी को राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रशासन और कतिपय अन्य सम्बद्ध मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में, श्री धर्मराव शरणप्पा अफजलपुरकर की मृत्यु के कारण रिक्त हुये स्थान पर, नियुक्त करती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा श्री ए० के० कोत्राशट्टी को राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रशासन और कतिपय अन्य सम्बद्ध मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति में, धर्मराव शरणप्पा अफजलपुरकर को मृत्यु के कारण रिक्त हुए स्थान पर, नियुक्त करती है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

कार्य मंत्रणा समिति

Business Advisory Committee

34 वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 34वें प्रतिवेदन से, जो 5 दिसम्बर, 1973 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि इसमें प्रकाशन संबंधी गलती थी जिसके लिये शुद्धि-पत्र जारी कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 34वें प्रतिवेदन से, जो 5 दिसम्बर, 1973 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (दूसरा संशोधन) विधेयक

NATIONAL CO-OPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION (SECOND AMENDMFNT) BILL

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

प्रो० शेर सिंह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
RE QUESTION OF PRI VILEGE

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मुझे कुछ अनुरोध करना है।

अध्यक्ष महोदय : आपको मुझे लिखित सूचना देनी चाहिये थी।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने 28 सितम्बर, 1973 को श्री गणेश के विरुद्ध विशेषाधिकार का एक मामला उठाया था। मुझे इस बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। यह बहुत अनुचित बात है। मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूं कि श्री गणेश ने सभा में झूठ बोला। अतः यह स्पष्ट रूप से विशेषाधिकार के हनन का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : आप लोक लेखा समिति के भी अध्यक्ष हैं। कुछ समय पूर्व आपने समिति के अध्यक्ष के रूप में यह मामला उठाया था। सचिवालय ने मुझे सूचित किया है कि मामले की फाइल आपके पास है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह ठीक नहीं है। फाइल लोक लेखा समिति के सचिवालय को भेजी गई थी अध्यक्ष को नहीं। मैंने सदन के सदस्य के रूप इस मामले में शिकायत की थी अतः इस फाइल पर मैंने कुछ नहीं लिखा है। सचिवालय ने मेरी राय मांगी थी और मैंने कहा कि इन परिस्थितियों में मेरा कोई भी राय देना अनुचित होगा। उक्त फाइल आपको कल भेज दी गई थी।

मैंने विशेषाधिकार का मामला 28 सितम्बर, 1973 को उठाया था। फाइल से देखा जा सकता है कि लोक लेखा समिति के सचिवालय को उसे कब भेजा गया, क्या उसे मैंने मंगवाया था अथवा नहीं। इन बातों पर विचार किया जाये।

मंत्री महोदय ने सदन में जो कुछ भी कहा है वह बिल्कुल गलत है। यह विशेषाधिकार के हनन का मामला है और इसे विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आपके कथन से स्पष्ट है कि फाइल आपके आदेशानुसार मुझे भेजी गई है। दूसरे मंत्री महोदय यहां उपस्थित नहीं। मैं अपना मत निश्चित करने से पूर्व उनका स्पष्टीकरण चाहता हूं। वह अभी विदेश में हैं और उनके वापस आने पर ही मैं उनसे बातचीत करूंगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : हाउस आफ कामन्स की प्रथा के अनुसार सदस्य को जल्द से जल्द मामला उठाना पड़ता है। कई बार तो अध्यक्ष पीठ को सूचना देने का भी समय नहीं रहता। यह मामला पिछले दो महीनों से लम्बित है। मंत्री महोदय पहले तो देश में ही थे और दूसरे सदन को यह भी नहीं बताया जा रहा कि किस कारण से इस मामले को स्वीकार नहीं किया जा रहा?

अध्यक्ष महोदय : मैंने बताया कि मैं इस कारण इसे स्वीकार नहीं कर रहा कि इस पर विचार किये बिना इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : विशेषाधिकार प्रस्ताव 28 सितम्बर, 1973 को भेजा गया। मंत्री महोदय और आपके सचिवालय के पास इस पर पर्याप्त करने का पर्याप्त समय था।

नियम 377 के अधीन मामलें

Matters Under Rule 377

(एक) अखबारी कागज के सम्बन्ध में सरकारी निति का उल्लंघन करते हुए कोचीन से 'इंडियन एक्सप्रेस' का एक और कथित प्रकाशन

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (डागरा) : नियम 377 के अधीन भारत सरकार और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा समाचार-पत्रों के स्वामित्व के विकेन्द्रीकरण करने और उन्हें बड़े उद्योगों-गृहों से अलग करने संबंधी नीति को परिवर्तव करने संबंधी गम्भीर मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं। 'इण्डियन एक्सप्रैस', जिसके पहले से ही 22 समाचार पत्र हैं और जो अपने कुप्रबन्ध और पत्रकारों के प्रति दुर्व्यवहार तथा अन्य कदाचारपूर्ण प्रक्रियाओं के लिये कुख्यात है, आज से कोचीन से 'इण्डियन एक्सप्रैस' के नये संस्करण को प्रकाशित कर रहा है। अखबारी कागज की कमी की वजह से जब प्रादेशिक भाषाओं के समाचार पत्र बन्द होते जा रहे हैं, तब इस अखबार को नया संस्करण प्रकाशित करने की क्यों अनुमति दी गई और इस अखबार को अखबारी कागज कैसे मिला ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न को श्री अमृत नाहटा, श्री शशि भूषण, श्री चन्द्राकर आदि लोगों ने भी उठाया है । श्री उन्नीकृष्णन् ने यह लिखा था कि ऐसा करके कानून का उल्लंघन किया गया है । अगर कानून का उंल्लंधन हुआ है, तो मंत्री महोदय इस बारे में स्थिति स्पप्ट करेंगे ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Sir, A Delhi paper, 'Patriot' has been increasing the number of its pages. The Minister should also explain whether it has been violating law or not.

(दो) मोदीनगर में एक कर्मचारी के अपहरण का समाचार ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena): Mr Speaker, Sir, I want to draw your attention to an important matter.

A number of workers from Modinagar wanted to come to Delhi yesterday regarding workers' agitation which is going on in Modinagar since 21st of November, 1973. The proprietors of Modi Industries telephoned to the Station Master and asked him not to issue tickets to the workers. Every year four or five workers are murdered . The agitation it peaceful, but section 144 was imposed day before yesterday. Many women were dragged. I want to show to the house the blood stained and torn clothes of a woman who was dragged by Police.

The news is not sent to the papers, because the correspondent in Modinagar is also in the service of Modi Industries.

These workers were not issued any ticket by the Station Master. 900 workers have, therefore, came to Delhi on foot. I am raising this issue, because Railway are being run by the centre and the workers were denied the tickets for railway journey. I would request you to ask the Government to make a statement after a thorough enquiry as to why these workers were not issued the tickets.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : इण्डियन एयर लाइन्स के विवाद के बारे में चल रही बातचीत में गतिरोध उत्पन्न हो गया है । इससे यात्रियों को तो परेशानी हो ही रही है, सैकड़ों कर्मचारियों को भी परेशानी हो रही है । मंत्री महोदय इस बारे में वक्तव्य दें ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Mr. Speaker, Sir, I have given a call Attention Notice about Indian Airlines.

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय को इसकी सूचना दे दूंगा ।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बज कर पन्द्रह मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fifteen Minutes past Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर अठारह मिनट पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after lunch at Eighteen Minutes past Fourteen of the Clock

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker in the chair.

बन कंपनी और इंडियन स्टेण्डर्ड वैगन कंपनी (प्रबंध ग्रहण) विधेयक—जारी

Burn Company And Indian Standard Wagon Company (Taking over of Management) Bill—Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दामोदर पांडे अपना भाषण जारी रखें ।

Shri Damodar Pandey (Hazaribagh): The main aim for taking over an undertaking is to bring about an improvement in its functioning and to remove the difficulties of the workers so that the undertaking could make its due contribution in the country's economy. But th past experience shows that our functioning has been very much disappointing. When Indian Iron and Steel Company was taken over, the employees were very happy. But there could not be any improvement in its functioning and the officer who was responsible for all sorts of bungling was appointed the custodian of the undertaking. The contract system is still in vogue there and there was not been the requisite improvement so far. I would like to know from the honourable Minister as to what steps are being taken to check such things in future. The coal mines, coking coal mines, non-coking coal mines, Indian Iron and Steel Company were taken over by the Government and the workers had also fully supported the Government. I would like to know as to what steps have been taken to involve the workers in the managment? If the new system proves to be worse than the old one, the people would lose faith in the take over, by which the Government wants to bring about improvement in the functioning of mis-managed undertaking.

Yesterday an Industrialist Member said that there has been a fraud, which is responsible for such a worse condition of the undertaking. Perhaps he forgot to mention that the biggest fraud was going to take place and Birla as well as Goenka jointly wanted to takeover Indian Iron and Steel Company, Indian Standard Wagons Co. and Martin Burn. The hon'ble Minister, who was there in the Board of Directors has saved this undertaking, for which I am thankful to him.

Shri Bharat Singh Chowhan (Dhar): It is a very strange thing that the management of this Company is being taken over by the Government. It would be a wrong precedent for future. If it is necessary to take over its management, it should be done by way of nationalisation. The public money should be spent in a proper way.

Many members have stated that the management is being handed over by the Government to the same people who were responsible for the bungling. The honourable Minister should seriously think about the implications of such actions.

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh): The Government has failed in its objective after nationalisation of textile industry and coal mines. The main reason is the appointment of non-technical personnel at the top level, who did not have the necessary co-operation and co-ordination with the workers.

I would like to know from the hon'ble Minister as to why this undertaking was not taken earlier by the Government, when the Company was running in loss for the last seven or eight years. It is proposed to spend a sum of Rupees twenty five to thirty lakhs per annum on it. I would urge the Government to see as to what are the liabilities of the Government.

The management should not be handed over to the people who were earlier responsible for all sorts of mis-management in the Company. In the present circumstances, it is imperative on the part of the Government to appoint technical persons, who could work with devotion and could have co-operation of the workers.

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी०ए० पाई) : मैंने माननीय सदस्यों की बात को बड़े ध्यान से सुना है। उन्होंने विधेयक का समर्थन करते हुए सरकार की आलोचना भी की है कि इसका पहले अधिग्रहण नहीं किया गया और इसका संचालन करने के लिए सलाह भी दी गई है। मैं उन सदस्यों के कई अभिमतों का खण्डन नहीं करता, क्योंकि उनके पीछे सदाशय हैं।

मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में गैर-सरकारी क्षेत्र की एक निश्चित भूमिका होती है। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में अगर यह गैर-सरकारी क्षेत्र असफल रहता है, और सरकारी वित्तीय संस्थानों अथवा विदेशी ऋण से क्षमता का निर्माण करता है, और सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में इस क्षमता का उपयोग नहीं होता, तो यह एक असामाजिक कार्य होगा।

देश की 138 सर्वोच्च कम्पनियों में भी, जिनमें देश की 60 प्रतिशत साम्य पूंजी लगी हुई है, सरकार ने 22 से 48 प्रतिशत पूंजी लगा रखी है। इसलिए, अनेक कारखानों का स्वामित्व अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के अन्तर्गत है। इस पूंजी की प्रबन्ध में क्या भूमिका हो, इस बारे में हमें एक सुनिश्चित नीति बनानी होगी।

इनमें से एक कम्पनी में 22 प्रतिशत सरकार ने पूंजी लगाई हुई है और 40 अथवा 45 प्रतिशत पूंजी मार्टिन बर्न एण्ड कम्पनी और अन्य सहयोगी कम्पनियों द्वारा लगाई हुई है और शेष पूंजी हजारों छोटे शेयरहोल्डरों ने लगा रखी है। हमने पूंजी लगा रखी है। इसलिए हमें इस बात में भी रुचि रखनी है कि कम्पनी ठीक प्रकार से कार्य कर रही है और निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करती है।

श्री मधु लिमये ने कहा कि कम्पनी विधि-प्रशासन ने हस्तक्षेप नहीं किया, यद्यपि कम्पनी घाटे में जा रही थी। कम्पनी विधि बोर्ड केवल कम्पनी कानूनों का उल्लंघन करने संबंधी अनियमितताओं और कुप्रबन्ध के मामलों में हस्तक्षेप करता है। अगर कोई कम्पनी घाटे में चलती है, तो कम्पनी विधि बोर्ड से हस्तक्षेप की आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि लाभ और हानि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर किसी कम्पनी में एक साल लाभ होता है, तो अगले वर्ष ही वह घाटे में भी जा सकती है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान): कम्पनी अधिनियम में यह प्रावधान है कि अगर कम्पनी निरन्तर घाटे में चलती रहती है, तो कम्पनी रजिस्ट्रार उस कम्पनी को समाप्त करने के लिए न्यायालय में अर्जी दे सकता है । मंत्री महोदय को शायद इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री टी० ए० पाई : कम्पनी विधि विभाग, अगर अन्तिम रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इसे चालू रखने का लाभ नहीं है, तो वह हमसे हस्तक्षेप करने के लिए नहीं कहेगा । उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम के अन्तगत हम किसी कम्पनी के कार्य करण की जांच करते हैं, तो हम यह पता करने का प्रयास करते हैं कि उसका प्रबन्ध उचित रूप से हो रहा है और उसकी आस्तियां बरबाद नहीं की जा रहीं । हम इसलिए भी हस्तक्षेप करते हैं कि उत्पादन को हानि न पहुंचे ।

ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी और मैकेन्जी के बारे में विचार किया गया था मशीनरी पुरानी होने के कारण सरकार ने अधिग्रहण करना उचित नहीं समझा। एक प्रमुख शेयर होल्डर के नाते उत्पादन को सुनिश्चित करने और प्रबन्ध को ठीक रकने के लिये राष्ट्रीय हस्तेक्ष की नीति बनाई जानी चाहिये। श्रमिकों के हित की रक्षा करने के लिये भी हस्तक्षेप किया जाना चाहिये।

उपभोक्ताओं के हितों की भी रक्षा की जानी चाहिये। वित्तीय संस्थान अब तक कम्पनी के कार्यक्रम को ध्यान में रखे बिना ही ऋण दिया करते थे । अब रसकार ने औद्योगिक विकास बैंक को रिजर्व बैंक से अलग करने का निर्णय कर लिया है और उसे वित्तीय संस्थानों की नियंत्रक कम्पनी में परिवर्तित कर दिया जाय।

हमें यह देखना चाहिये कि हानियां क्यों होती हैं । किसी एकक में प्रबन्ध से हानि होती है तो किसी में आर्थिक कारणों से । लेकिन यह निश्चित है कि हमने उद्योग विकास की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। वैगन उद्योग ठीक तरह से काम कर रहे हैं। हमारी अधिष्ठापित क्षमता प्रतिवर्ष 40,869- वगन तैयार करने की है । हमारे पास वैगन बनाने के 16 एकक हैं। एक समय में सब से अधिक 25,000 वैगनों का निर्माण हमने किया है। जब भारी उद्योग मंत्रालय में इस उद्योग के महत्व को समझा तभी हमनें एक वैगन प्राधिकार बनाने तथा उद्योग को संगठित करने और उसका पुनरुद्धार करने का विचार किया ।

शिकायतें प्राप्त होने पर हमने इंडियन स्टैन्डर्ड कम्पनी अथवा बर्न एण्ड कम्पनी का उद्योग अधिनियम के अधीन निरीक्षण करवाया है और इस निर्णय पर पहुंचे कि उनका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। कुछ कारणों से हमें इनका राष्ट्रीयकरण करने के बारे में सोचना पड़ा।

वैगन उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं था। लेकिन फिर भी कुछ कारणों से हमें इस मामले को सभा के सामने लाने का रास्ता अपनाना पड़ा। हमारी इच्छा इसे लेकर सुव्यवस्थिति करके वापिस प्रबंधकों को देने की नहीं थी। हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमने इसे राष्ट्रीकरण करने के लिये ही हाथ में लिया है। इसीलिये हम इस हेतु सभा की स्वीकृति ले रहे हैं। इसके राष्ट्रीयकरण के लिये हम छः महीने से अधिक समय नहीं लेंगे। हम पुना सभा से यह अनुमति मांगेंगे कि मालिकों को कितना मुआवजा दिया जाये। इसे किस प्रकार हाथ में लिया जाये। हम आस्तियों को अपने हाथ में ले रहे हैं और उनका प्रवन्ध कर रहे हैं। इसीलिये हम एक ही बार में 50,000 और 25,000 रुपये का छोटा सा भुगतान कर रहे हैं। इसका भुगतान किसी को नहीं किया जायेगा। यहां केवल कम्पनी के खाते में जमा हो जायेगा। अंतिम भुगतान करते समय इस राशि को उसमें जोड़ दिया जायेगा तथा उपदान भविष्य निधि आदि की बकाया राशि को उसमें से कम कर दिया जायेगा।

मार्टिन बर्न एक भारतीय कम्पनी है। इसका कोई रुपया बाहर नहीं जाता। पूछा गया है कि इंडियन आयरन का राष्ट्रीयकरण करते समय इसका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया गया। उस समय इण्डियन आयरन एंड स्टील के राष्ट्रीयकरण का कारण यह था कि यह इस्पात बनाने वाला कारखाना था और सरकार इस्पात को महत्वपूर्ण उद्योग समझती थी। संयंत्र की हालत हाथ में लेते समय इतनी खराब थी कि इसे उत्पादन के स्तर पर लाने के लिये सरकार को 43 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लेना पड़ा। इस हेतु सभा की अनुमति मांगने में देरी का कारण यह था कि हम वित्तीय स्थिति तथा प्रबंध पद्धति को ठीक करना चाहते थे ताकि इसे हाथ में लेते समय सुचारू रूप से चलाया जा सके। हमारी जानकारी में यह बात आयी है कि लोगों को अधिक वेतन देकर पुनः नियुक्त किया गया है। हम उन सभी बातों पर विचार करेंगे तथा सभी लेखों का कम्पनी के लेखा परीक्षक के बजाय एक स्वतंत्र कम्पनी द्वारा लेखा परीक्षा की जायेगी।

कहा गया है कि इसका राष्ट्रीयकरण अध्यादेश द्वारा न करके हमने उन्हें आस्तियों के इधर उधर करने का पर्याप्त समय दिया है। इस संबंध में हमने पूरी सावधानी बरती है और इस विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने से पहले ही हमने अधिकारी वहां नियुक्त कर दिये थे। एक सदस्य ने बर्न एन्ड कम्पनी के मुख्यालय के कर्मचारियों के संबंध में पूछा है। हमें इसके अन्य पहलुओं पर भी विचार करना है। बर्न एंड कम्पनी एक से अधिक कार्यों में लगी है। हम मंत्रालय से कहेंगे कि वह बर्न एन्ड कम्पनी और इंडियन स्टैन्डर्ड बैगन कम्पनी के कर्मचारियों को खपाने का प्रयत्न करें। यदि वे कोई अन्य कार्य कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी मार्टिन बर्न कम्पनी की है हमारी नहीं। हमारा कर्तव्य केवल उन्हीं लोगों को खपाना है जो पूरी तरह से उसका काम कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि चल स्टाक, लोहा और इस्पात उद्योग के अन्य उत्पादों और ऐसे उद्योग के लिये आवश्यक अन्य माल के उत्पादन और युक्तसंगत तथा समन्वित विकास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से लोकहित में कुछ कम्पनियों के उपक्रम का प्रबंध ऐसे उपक्रम का राष्ट्रीयकरण होने तक, ग्रहण करने का उपबन्ध करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खंड 2

Clause 2

उपाध्यक्ष महोदय : खंड दो के बारे में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :—

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खंड 3

Clause 3

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : मैं अपना संशोधन संख्या 15 पेश करता हूं उन कम्पनियों को भुगतान क्यों किया जा रहा है जो किसी प्रकार की सहानुभूति अथवा सहानुभूति के योग्य नहीं हैं।

विधेयक में इस प्रकार का संशोधन किया जाना चाहिये कि उन्हें कुछ समय के लिये हाथ में लिया जाये इस बीच यदि सरकार इनके राट्रीयकरण का निर्णय करती है, वह ऐसा बिना किसी प्रकार का मुआवजा दिए। कर सकती है। यह प्रक्रिया मार्टिन बर्न के सबसे बड़े एकक इण्डियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करते समय अपनाई गई थी। वही सिद्धांत इस बार भी क्यों नहीं अपनाया जता, जबकि कम्पनी की ओर बहुत सी सांविधिक देयिता और कर्मचारियों का बकाया है तब कम्पनी को कोई राशि क्यों दीये जाय ?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : इंडियन आयरन एंड स्टील के मामले की इससे तुलना नहीं की जा सकती। इसे बिना राष्ट्रीयकरण की इच्छा से कुछ समय के लिये हाथ में लिया गया था लेकिन इस मामले में एक निश्चित घोषणा की जा रही है कि इसका प्रबन्ध राष्ट्रीयकरण किये जाने के उद्देश्य से हाथ में लिया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 15 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 15 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 was added to the Bill.

नया खण्ड 3 क

New Clause 3 A

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अपना संशोधन संख्या 16 पेश करता हूं। मार्टिन बर्न लिमिटेड पहले इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की प्रबन्ध एजेंट थी। मर्टिन बर्न कम्पनी में 500 कर्मचारी काम करते हैं जो आजकल विशेषरूप से इन दोनों कम्पनियों में लगे हैं और उनको रोजगार खो देने का खतरा है। मंत्री महोदय ने कहा है कि यदि वे पूरी तरह इन कम्पनियों का काम कर रहे होंगे तभी उनके सम्बन्ध में विचार किया जायेगा। इसमें कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है कि सरकार इन उपक्रमों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले रही है। उन्हें बेरोजगार क्यों किया जाये ? सरकार इस बात का आश्वासन दे कि वह उन सभी कर्मचारियों को खपाएगी जो सरकारी नौकरी में आना चाहते हैं।

मैं अपने संशोधन पर जोर दे रहा हूं। कम्पनी के कर्मचारियों के हित में मेरा संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिये। इन्हें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी बनाया जाना चाहिये।

श्री टी० ए० पाई : जहां तक कर्मचारियों का संबंध है, वे मार्टिन एण्ड कम्पनी में काम कर रहे हैं यदि यह सिद्ध हो जाये कि वे बर्न एंड कम्पनी और इंडियन स्टेन्डर्ड वैगन कम्पनी का कार्य कर रहे हैं तो उस सीमा तक हम सुझाव पर विचार करने को तैयार हैं। अन्यथा मार्टिन एण्ड बर्न कम्पनी के सभी कर्मचारियों की जिम्मेदारी लेने और उन्हें उपदान तथा भविष्य निधि आदि की सभी बकाया राशि का भुगतान करने की बात स्वीकार नहीं की जा सकती।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 16 मतदान के लिए रखता हूं ।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ
The Lo k Sabha divided

पक्ष में--18 विपक्ष में--70
Ayes—18 Nos 70

संशोधन अस्वीकृत हुआ
The amendment was negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—
"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 4 was added to the Bill.

खंड 5
Clause 5

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : मैं अपने संशोधन संख्या 6, 7 और 8 पेश करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 6,7 और 8 सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये
The amendment No. 6, 7 and 8 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—
"खंड 5 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 5 was added to the Bill

खंड 6 भी विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 6 was also added to the Bill

खंड 7
Clause 7

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर): मैं अपने संशोधन संख्या 9 और 10 पेश करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 9 और 10 सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये
The amendment No. 9 and 10 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—
"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खंड 7 विधेयक में जोड़ दयिा गया

Clause 7 was added to the Bill

खंड 8

Clause 8

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शुक्ल यहां नहीं है इसलिए संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जायेगा, प्रश्न यह है :—

"कि खंड 8 विधेयक का ग्रंग बने ।"

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 8 was added to the Bill

खंड 9 से 13 विधेयक में जोड़ दिये गए

Clause 9 to 13 were added to the Bill.

खंड 14

Clause 14

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री सोमनाथ चटर्जी खंड 14 का ग्रपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे ?

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : मैं ग्रपना संशोधन संख्या 17 प्रस्तुत करता हूं । खंड 14 के ग्रन्तर्गत ग्रभिरक्षक को किसी भी कर्मचारी की नौकरी समाप्त करने का ग्रधिकार दिया गया है। केन्द्रीय सरकार ने इस कार्य का प्रवंध चलाने के उद्देश्य से यहां तक कि कम्पनी को ग्रभिरक्षक नियुक्त करने का ग्रधिकार ग्रपने हाथ में लिया है । ग्रब सरकारी कम्पनी प्रबन्धक को किसी भी कर्मचारी को एक महीने का नोटिस ग्रथवा वेतन देकर सेवामुक्त करने का ग्रधिकार होगा । मेरा संशोधन यह है कि वहां नियुक्त किसी भी कर्मचारी को कम्पनी में ग्रागे नौकरी देने के लिए ग्रभिरक्षक की दया पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए । कड़ी शर्तों से उनका क्या तात्पर्य है । इसके बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं । यह विधेयक जानबूझ कर ग्रस्पष्ट रखा गया है । इसलिए मेरा कहना है कि जहां तक कर्मचारी का संबंध है, उसे खंड 14 के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाना चाहिए तथा ग्रभिरक्षक को ऐसा ग्रधिकार नहीं दिया जाना चाहिए ।

श्री टी० ए० पाई : हम किसी भी कर्मचारी को सेवामुक्त करने के बारे में नहीं सोच सकते हैं । हमें ऐसी ग्रनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कम्पनी ने कर्मचारियों को कड़ी शर्तों पर पुनः नियुक्त किया है इसलिए इनसे निबटने के लिए यह ग्रधिकार ग्रपने हाथ में लिया है । मैं सभा को ग्राश्वासन देता हूं कि किसी भी कर्मचारी को सेवामुक्त नहीं किया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 17 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 17 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 14 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खंड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 14 was added to the Bill

खंड 15, खंड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clause 15, clause 1, the Enacting Formula, the Preamble and the Title were added to the Bill

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई): मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ऐसे उपक्रमों के संबंध में क्या नीति अपना रही है जो प्रबन्धकों की गलत नीतियों के कारण आज बंद होने की स्थिति में आ गए हैं । जिन परिस्थितियों में सरकार ने इस कम्पनी को अपने नियंत्रण में लिया है, वह चिन्ता का विषय है । मंत्री महोदय बर्न एंड कम्पनी के बारे में दी गई रिपोर्ट से अवगत हैं । प्रबन्धकों को किसी भी स्थिति में दोषमुक्त नहीं किया जा सकता है । ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हो गई थी जिसके कारण प्रबन्धकों ने इस उपक्रम को विनाश के कगार पर ला खड़ा कर दिया है ।

यह स्थिति कोई यकायक पैदा नहीं हुई बल्कि यह काफी समय से चली आ रही थी , सरकार को इस संबंध में पर्याप्त चेतावनी दी गई थी । कर्मचारियों की यूनियनों और राज्य सरकार ने इन कम्पनियों के प्रबन्धकों के व्यवहार के बारे में सरकार का ध्यान दिलाया था जिसके कारण कम्पनियों में वित्तीय संकट पैदा हो गया था ।

हम जानना चाहते हैं कि जब सरकार को इसके बारे में समय पर चेतावनी मिल गई थी तो उसने इसे बंद होने तक की स्थिति में क्यों पहुंचने दिया । ब्रेथवेट कम्पनी के बारे में भी ऐसा हुआ । इसको भी सरकार ने तब अपने हाथों में लिया जब प्रबन्धकों ने इसे बंद होने की स्थिति में ला पटका । क्या आप राष्ट्रीयकरण ऐसी स्थिति में ही करते हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बर्न, आई० एस० डब्ल्यू० और ब्रेथवेट जैसी कम्पनियों को किसी केन्द्रीयकृत सरकारी उपक्रम के अन्तर्गत रखेगी जो वैगनों के सम्पूर्ण निर्माण के लिए उत्तरदायी होगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : तीसरे वाचन में वाद-विवाद विधेयक का समर्थन अथवा विरोध करने तक सीमित रखना चाहिए । आप जो अब कह रहे हैं, यह पहले वाचन में कहा जाना चाहिए था ।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मंत्री महोदय ने बताया है कि इन कंम्पनियों को इसलिए अपने नियंत्रण में लिया जा रहा है क्योंकि ये रेलवे वैगनों का निर्माण करती हैं तथा इसके उत्पादन को नया रूप दिए जाने की आवश्यकता है । परन्तु मेरा सुझाव है कि इस कारण कम्पनी—कम्पनी में फर्क नहीं किया जाना चाहिए ।

मैकेंजी कम्पनी, जो रेलवे वैगन बनाती है, का पूंजी निवेश बढ़ कर 25 लाख रुपया हो गया था । यह कम्पनी अच्छी प्रगति कर रही थी । मैं जानना चाहता हूं कि इस कम्पनी का उत्पादन किस चरण पर कम होना आरम्भ हो गया था । अब इस कम्पनी के कर्मचारी सरकार पर जोर डाल रहे हैं कि वह इस कम्पनी को अपने नियंत्रण में ले लें। इस कम्पनी में 1 या 2 लाख रुपया लगाकर इसकी स्थिति सुदृढ़ की जा सकती है मुझे कहा गया है कि मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में इसे बेकार बताया है । मैं कहना चाहूंगा कि जांच अधिकारी इसकी वास्तविक सम्पत्ति तथा भूमि और मशीनरी का भली भांति मूल्यांकन करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इसका विरोध कर रहे हैं ।

श्री के० लकप्पा : मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन मेरा कहना है कि इसी आधार पर कम्पनी-कम्पनी के बीच फर्क नहीं किया जाना चाहिए । मेरा यह सुझाव है कि सरकार इस कम्पनी को भी अपने नियंत्रण में ले ले जो कि रेलवे वैगन बनाती है । सरकार को इस बारे में पुनर्विचार करना चाहिए । हम इसमें थोड़ी पूंजी लगाकर कम्पनी को सक्षम बना सकते हैं ।

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : मैं इस विधेयक के बारे में सरकार को सचेत करना चाहता हूं । सरकार को उपभोक्ता के हितों की ओर भी ध्यान देना चाहिये । यदि राष्ट्रीयकरण करने से स्थिति नहीं सुधरती है, तो राष्ट्रीयकरण के प्रति लोगों का उत्साह समाप्त हो जायेगा । इसलिये इनका प्रबन्ध राष्ट्रीयकरण के पूर्व के प्रबन्ध सें बैहतर होना चाहिये । कोयला उद्योग में क्या हो रहा है ? राष्ट्रीय-करण से पूर्व जहां कोयला का मूल्य बहुत कम था, वहां अब यह अधिक मूल्य पर बिक रहा है और इसकी सप्लाई भी असंतोषजनक हो गई है, विद्युत संयत्नों, इस्पात कारखानों आदि पर इसका प्रभाव पड़ा है । इस स्थिति में उन्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती है ।

उपभोक्ताओं को कोयला नहीं मिल रहा है । दिल्ली में भी कोयला 12,13 अथवा 15 रुपये मन मिल रहा है जबकि पहले यह 7-8 रुपये मन पर उपलब्ध था । यदि राष्ट्रीयकरण का यह परिणाम है तो उसके प्रति उत्साह कैसे बनाये रखा जा सकता है ।

अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि प्रबन्ध में सुधार हो और उपभोक्ताओं की कठिनाइयां दूर की जाये और उन्हें उपलब्ध सुविधाओं में सुधार हो ।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : We welcome the object with which the Burn and Company and the Indian Standard Wagons Company are being taken over. Adequate representation should be given to the workers of these concerns in the Board of Management.

If the Government wants to help the workers of these two Companies, there should be no retrenchment of any of the employees.

Though the Government takes over the management of the Companies,it does not make proper arrangements for their running. The Government has taken over the management of Arthur Butler Company, but it has not started working. The workers of that Company are still unemployed. Britannia Engineering Company also manufacture Wagons. It has been closed for a considerable time,but it has not been taken over by the Government so far, as a result of it production has stopped. The Government should take immediate steps to take over these companies.

श्री टी० ए० पाई : यदि कम्पनी को नियंत्रण में लेने कि बाद इस बात का पता लगा कि प्रबन्धकों ने कम्पनी के कार्य में अनियमिततायें बरती हैं तो उनके विरूद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी और इस बारे में आवश्यक जांच की जाएगी ।

सरकारी नियंत्रण में काम कर रहे सब वैगन कारखाने रेलवे की आवश्यकतायें पूरी करने में समर्थ हैं । वास्तव में स्थिति यह है कि हमें इस बात की शंका है कि हमें क्रयादेशों की कमी पड़ जायेगी और हमें निर्यात क्रयादेशों की प्रतिक्षा करनी होगी ।

मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि किसी भी कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने से तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक सरकार उसका प्रबन्ध ठीक प्रकार चला न सके । मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि इस सम्बन्ध उपभोक्ताओं के हितों का पूरा ध्यान रखा जायेगा ।

वैगन प्राधिकरण का गठन करने की बात चल रही है और आशा है कि सब वैगन एककों को पर्याप्त कार्य मिलेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि विधेयक पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

एलकाक एशडाउन कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अधिग्रहण) विधेयक

Alock Ashdown Company Limited (Acquisition of undertakings) Bill

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि सामान्यतया देश की और विशेषतया रक्षा विभाग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अत्यावश्यक माल के युक्तिसंगत तथा समन्वित विकास और उत्पादन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये एलकोक एशडाउन कम्पनी लिमिटेड के उपक्रमों के अर्जन तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये" ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : एलकाक एशडाउन कम्पनी 86 वर्ष पुरानी है और अब इसका राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय किया गया है । उक्त निर्णय स्वागत योग्य है । लेकिन ऐसे निर्णय बिलम्ब से लिये जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप ऐसे निर्णयों का पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता । उक्त कम्पनी 1971 में बन्द हो गई थी । सरकार से कम्पनी के बारे में शीघ्र कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था लेकिन दुर्भाग्य से निर्णय लेने में विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप बहुत से कुशल और विशेषज्ञ कर्मचारी कम्पनी छोड़कर चले गये ।

हमें बताया गया कि इस कम्पनी का प्रबन्ध अपने अधिकार में लेने पर सरकार को एक करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ेगा । आज ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार कुप्रबन्ध व्यवस्था पर धन व्यय कर रही है । राष्ट्रीयकरण का अभिप्राय यह नहीं है कि घाटे और भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण किया जाये । एक बार निर्णय लेने के बाद उन्हें इस बात का आश्वासन देना चाहिये कि श्रमिकों के साँथ सम्बन्धों में सुधार होगा ।

इस बात की कोई गांरटी नहीं दी गई है कि उपक्रम के चलाने में कर्मचारियों की भी आवाज होगी अतः प्रबन्धक बोर्ड में कर्मचारियों के भी प्रतिनिधि होने चाहिये जिनका चयन गुप्त बोर्ड द्वारा किया किया जाना चाहिये ।

सरकार को इस वात के बारे में समुचित सावधानी बरतनी चाहिये कि नये प्रबन्ध को सब प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो । इसको आधुनिक बनाया जाना चाहिये तथा इसमें सुधार किये जाने चाहिये ।

यदि पुराने कर्मचारियों को काम पर वापिस बुलाया जाये और यदि प्रबन्धक बोर्ड में उन्हें उचित श्रमिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, तो यह कम्पनी रचनात्मक भूमिका निभा सकेगी और सरकार इस क्रम को उचित ढंग से चला सकेगी ।

श्री पीं० आर० शिनाय (उदीपी) : सरकार द्वारा कम्पनी को अपने अधिकार में लेने का मैं स्वागत करती हूं । इस विधेयक को वर्षों पहले किया जाना चाहिये था । यह बताया गया है कि कम्पनी को सरकारी वित्तीय संस्थानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और श्रमिकों की बकाया मजूरी के रूप में करोड़ों रुपयों का भुगतान करना है। ऐसी स्थिति में हमें यह सुनिश्चित करना है कि क्या कम्पनी को भुगतान करने के लिये निर्धारित राशि पर्याप्ति है । यदि पर सम्पतियों का मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक है तो क्षति-पूर्ति की राशि बढ़ाना सरकार का कर्त्तव्य है ।

श्री एस० पीं० भट्टाचार्य (उलुबेरिया) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं लेकिन हमें यह देखना है कि क्या मुआवजे कि राशि का भुगतान करना न्यायोचित है । 1965 तक बर्न एण्ड कम्पनी और एलकाक एशडाउन दोनों ही कम्पनियां लाभ में चल रही थीं । क्या विदेशों हितों ने इन कम्पनियों को जानबूझकर नष्ट करने का प्रयास किया ? यदि यह सच है, तो हमें इन व्यक्तियों को तोड़फोड़ की कार्यवाही के लिये भुगतान नहीं करना चाहिये ।

जब सरकार किसी कम्पनी को अपने अधिकार में लेती है, तो उसे श्रमिकों को न्याय देकर उचित उदाहरण स्थापित करना चाहिये । वास्तव में यही धन उत्पादनकर्त्ता हैं। मंत्री महोदय को इनको विश्वास में लेना चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि अधिग्रहण से इनके हितों पर कुप्रभाव न पड़े क्योंकि केवल संतुष्ट श्रमिक ही इन कठिनाइयों को दूर करने में सरकार की सहायता कर सकते हैं । सरकार को कर्म-चारी वर्ग का पूरा सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये जिससे कला उपक्रम को फिर से चलाया जा सके ।

श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए

(Shri K. N. Tiwari in the Chair)

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई-उत्तर-पूर्व) : उक्त कम्पनी बहुत अच्छी प्रकार से कार्य कर रही थी । लेकिन कुप्रबन्ध के कारण यह कम्पनी जनवरी, 1971 में बन्द हो गई । चूंकि इस कम्पनी के उत्पाद रक्षा के लिये आवश्यक हैं अतः इस कम्पनी को सरकार द्वारा राष्ट्रीय हित में अपने नियंत्रण में लेने के बारे में कर्मचारी और बम्बई की जनता बहुत समय से मांग कर रही थी । वास्तव में इस कम्पनी में तीन वर्ष तक उत्पादन बन्द नहीं रखा जाना चाहिये था ।

कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने इस कम्पनी की गत 20 अथवा 30 वर्ष से सेवा की है । सरकार को यह आश्वासन देना चाहिये कि कम्पनी को नियंत्रण में लेने के साथ-साथ सरकार उन कर्मचारियों की सेवाओं को भी अपने नियंत्रण में ले लेगी । उनकी पुरानी सेवा को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये और उनकी मजूरी की बकाया राशि का भी भुगतान किया जाना चाहिये । उनके भविष्य निधि की हिसाब अधतन होना चाहिये । उन्हें इस बात का आश्वासन दिया जाना चाहिये कि उनकी उपदान की राशि सुरक्षित है ।

सरकार को इस बात को स्पष्ट करना चाहिये कि वह इसे नई कम्पनी, स्वतंत्र कम्पनी, सरकारी लिमिटेड के रूप में स्थापित करेगी अथवा सरकार इसे मझगांव डॉक अथवा किसी अन्य कम्पनी का डिवीजन बनाना चाहती है ।

श्रमिकों ने इस कम्पनी को स्वंय चलाने की मांग की है । उन्होने यह भी बताया है कि कम्पनी को चलाने के लिये उनके पास तकनीकी विशेषज्ञ हैं । सरकार को श्रमिकों के प्रस्ताव पर विचार करना चाहिये ।

कम्पनी को एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने का उल्लेख किया गया है । सरकार को मुआवजे की राशि का विवरण देना चाहिये । 1969 के तुलन-पत्र में सावधि परिसम्पत्तियों का पुस्तक मूल्य 56 लाख रुपये दिखाया गया है । वर्ष 1973 में इसका केवल 40 लाख रुपये अनुमान लगाया गया है । अतः एक करोड़ रुपये की राशि मुआवजे के रूप में देनी बहुत अधिक होगी ।

बैंक आफ महाराष्ट्र ने 60 लाख रुपये और स्टेट बैंक ने 110 लाख रुपये के ऋण दिये हैं । अतः भुगतान की जाने वाली एक करोड़ रुपये की राशि का विस्तृत ब्यौरा दिया जाना चाहिये ।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : जहां तक एलकाक एशडाउन कम्पनी का संबंध है, कम्पनी लाभ में चल रही थी लेकिन श्री हरिदास मुंदड़ा के प्रबन्ध में भाग लेने और अन्य प्रबन्धकों की धोखाधड़ी के बाद कम्पनी विनाश की स्थिति में पहुंच गई ।

श्रमिकों ने कुप्रबन्ध और दुर्विनियोग की जांच करने लिये जांच आयोग की स्थापना करने की मांग की थी । मंत्री महोदय ने एक आयोग की स्थापना की भी जिसे केवल उत्पादन में कमी होने की जांच करने को कहा गया था । उस समय श्री हरिदास मूंदड़ा, जिसके कम्पनी में सबसे अधिक शेयर थे की धोखा-घड़ी प्रकाश में आई । इस सबके बाबजूद सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की ।

जहां तक मुआवजा देने का प्रश्न है, मैं इस बात से सहमत हूं कि एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने की कोई आवश्यकता नहीं है । लेकिन कुछ क्षतिपूर्ति तो की जानी ही चाहिये ।

निदेशक मंडल का वैध रूप से गठन नहीं किया गया है । अतः प्रश्न यह उठता है कि क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान किसे किया जाये । अतः केवल 1000 रुपये का औपचारिक भुगतान किया जाना चाहिये ।

श्री मूंदड़ा ने एक बार 35,000 रुपये का ऋण लिया और उसका भुगतान नहीं किया । उसने दूसरी बार एक लाख 50 हजार रुपये का ऋण लिया । उसने अनेक बार ऋण लिया और उसके प्रभाव में अनेक व्यक्तियों ने ऋण लिया । विधेयक में इन ऋणों को वसूल करने की उपबन्ध होना चाहिये । जो अवैध रूप से लिये गये हैं और जिन्हें श्री मूंदड़ा के सम्बधियों को दे दिया गया है ।

श्री मूंदड़ा के साथ सांठ-गांठ करने वाले और धोखा-धड़ी करने वाले अधिकारियों को प्रबन्ध में नहीं लिया जाना चाहिये । उन्हें हजारों का नहीं बल्कि लाखों रुपये का ऋण दिया गया है । ऐसा श्री मूंदड़ा के कहने पर किया गया है । उक्त धनराशि को वसूल करने का प्रयास किया जाना चाहिये ।

बेरोजगार व्यक्तियों को पुन: रोजगार दिया जाना चाहिये ।

श्रमिकों और सरकार की तीन महीने के भीतर एक संयुक्त समिति गठित की जानी चाहिये जिससे निम्नस्तर से उच्चस्तर तक उचित प्रबन्ध की व्यवस्था की जा सके ।

अधिकारियों और श्री हरिदास मूंदड़ा ने कर्मचारियों के वेतन तथा भविष्य निधि की राशि हड़प ली है । अतः कर्मचारियों के बकाया वेतन और भविष्य निधि की राशि का भुगतान करने का दायित्व समिति का होना चाहिये ।

श्री बी० बी० नायक (कनारा) : एलकाक एशडाउन कम्पनी को अधिकार में लेने के बारे में मैंने मंत्री महोदय का भाषण सुना । मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि देश में कोई सुपरिमाणित आर्थिक विधान प्रचलित नहीं हैं । वर्ष 1966 से औद्योगिक नीति संकल्प के बाद हमने मिश्रित अर्थव्यस्था को अपनाया है परन्तु अपनी आर्थिक स्थिति पर सौधेश्यात्मक दृष्टि डालने में ऐसा प्रतीत होता कि हमारी अर्थव्यवस्था एक बाजारू की अर्थव्यवस्था है क्योंकि सरकार पर उसकी नीतियों के बारे में चारों ओर से दबाव पड़ता है । सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया हुआ है और बैंकरों के दायित्व भलीप्रकार निश्चित किये गये । सरकार क्या बैंक संबंधी मंत्रालय सार्वजनिक धन की सुरक्षा की अहमियत को खूब समझते हैं परन्तु फिर भी बड़े खेद की बात है कि बैंक आफ महाराष्ट्र जैसे कम्पनियों को धन दे देते हैं जिनके कारण उसे 1.1/2 करोड़ रुपये का घाटा हुआ । पता नहीं बैंकों के कार्यकरण का सर्वेक्षण भी किया जाता है या नहीं । कम्पनी विधि प्रसाशन को बहुत शक्तियां प्राप्त हैं परन्तु इन शक्तियों का उपयोग नियमों का पालन कराने की बजाये उनका उल्लंघन कराने के लिये किया जाता है और सार्वजनिक हितों को खूब हानि पहुंचती है ।

इस लिये मैं अन्य बहुत से सदस्यों से इस बात पर सहमत हूं कि विशेषकर गैर-सरकारी क्षेत्र के गैर-जिम्मेदार तत्वों के साथ बड़ी तत्परता से निबटना होगा । मैं इस बात से सहमत नहीं हूं अच्छे प्रबन्ध तथा कुप्रबन्ध का भेद किये बिना ही हर चीज को एकाधिकार के रूप में वर्गीकृत करते चले जाते हैं । फिर अच्छे तथा बुरे दोनों प्रकार के एकारिधकारगृह हैं हमें बुरे एकाधिकारों को दण्डित करना चाहिये परन्तु अच्छों को प्रोत्साहित भी करना चाहिये ।

गैर-सरकारी क्षेत्र से या आरम्भ में ही सरकारी क्षेत्र में बने किसी उपक्रम को जिसे सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया है चलाने के लिये प्रबन्धकों की निर्णायक भूमिका की समस्या सामने आयेगी । इस उद्देश्य के लिये भारी उद्योग मंत्रालय में लोगों के एक वर्ग का गठन करने की आवश्यकता है । सरकार द्वारा अपने हाथों में लिये गये प्रत्येक उपक्रम के प्रबन्ध में सरकार का व्यक्ति नियुक्त करने के लिये मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं ।

सदस्यों में इस बात के प्रति बड़ी चिन्ता तथा रोष है कि प्रबन्ध व्यवस्था में श्रमिकों को भी प्रबन्ध में शामिल किया जाना चाहिये । श्रमिक को प्रबन्ध में शामिल किये जाने का अधिकार मिलना चाहिये । प्रबन्ध में श्रमिकों के प्रतिनिधि सदस्य करने के लिये गुप्त मतदान कराना उचित नहीं शामिल होगा ऐसी स्थिति में राजनीतिक अपने प्रबन्ध कोशल का कम्पनी के प्रति अपना बचनबद्धता के बावजूद प्रबन्ध में शामिल हो जायेंगे । हम श्रमिकों को देय बोनस या अन्य परिश्रमिक में से उन्हें अनित बोनस या

अन्य प्रकार के शेयर जारी करने चाहिये और उन्हें स्वंय प्रबन्ध में आने के लिये अलग निर्वाचन क्षेत्र देना चाहिये । पूछा यह है कि कम्पनी की प्रगति उन्नति में श्रमिक काफी भी अंशदान होना चाहिये । इस संदर्भ में यह भी कहना है कि जयन्त शिपिंग कम्पनी अब तक शान्दार और कार्यकुशल कम्पनी बनी है ।

क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाने वाली एक करोड़ की राशि कोई कम राशि नहीं है । देश के राज-कोष को इतनी अधिक राशि का भुगतान नहीं करना चाहिये ।

अब तो इस विधेयक में संशोधन करने के लिये बहुत बिलम्ब हो गया है । परन्तु भविष्य में यह ध्यान रखा जायें कि संसद के सामने सरकारी क्षेत्रों की ऐसी भूलों के लिये संसद को ऐसी बड़ी राशियां को बट्टे खाते में डालने की सिफारिशें न रखी जाये ।

Shri Bharat Singh Chauhan (Dhar) : I welcome the decision of taking over this Company, since it is related with the production of our defence needs. It is really a praise worthy measure and it should have been taken rather very early. The delay in this respect has result in a heavy loss to the nation. The Government should therefore, be very cautious in respect of basic industries as well as those connected with our defence needs. Such institution and establishment should be nationalized forthwith.

Since the concern under discussion deals in defence materials, much care should also be taken while giving compensation in lieu of its takeover. Also the experienced expertise and experts of this concern should be fully exploited.

Dr. Kailash (Bombay-South) : The preamble of the Alcock Ashdown Co. Ltd. (Acquisition of Undertakings) Bill, 1973 speaks of the urgent necessity of the take over of this company. But this Company was closed in 1971 and after the decision of the High Court on 13th January, 1972 you propose to take it over by January, 1974. How do you then reconcile this big gap of these years?

Till 1965 this firm earned profit but started running in loss from 1969. When as per my information, Shri Mundra took it over. At this only the Government should become extracautious since the reputation of Shri Mundra is well known. I had repeatedly informed the Government that the workers of this company wanted that the Government should take it over. Then, as regards non-refund of loans the matter was taken up in the High Court by the Bank of Maharashtra. But Shri Mundra, who is very apt and expert in purchasing anymore, purchased the bank also. May I know how this big amount of Rs. 1.10 crore was given by the Bank to him. I believe it was given after the bank had been nationalised.

Now the Government propose to give this heavy amount to Bank of Maharashtra and State Bank of India as compensation. What would then happen with the poor workers whose provident funds and gratuity money is still with the management?

Shri Mundra has transferred the shares into his name and in the names of his family members and relatives. The Government should hold detailed investigations and strict audit into all these things and the culprits should be given adequate punishments.

Government of Gujarat are willing to take over the Bhavnagar unit of Alcock Ash - down Company. In case wagon Authority of India is not to come up and cubling of

Bhavnagar unit with that can be well avoided, then the Gujarat Government should be allowed to take it over. I am sure they would be able to run it efficiently.

Shri Madhu Limaye (Banka) : First of all I would like to place the statement of assets of this company before the House which should, havebeen, in fact, done by the hon. Minister; but he gave that to me since he has not yet made a statement on this subject here.

Shri Shiv Nath Singh (Jhun jhunu) : On a point of order is it that the hon. Minister did not want to lay this statement on the Table. Why did he give to the Hon. Member and not to the House? Kindly give your ruling on this.

Mr. Chairman : It is only between him and the hon. Minister.

Shri Madhu Limaya : So the satement of the assets as follows :

Value of the current assets, loans and advances	.. According to the last audited balance, these came to Rs. 337 lakhs as on 31-12-69.
Assessment done by ISCON Private Ltd., a firm of Consulting : Engineers, in September 1970 about the value of fixed assests.	.. Rs. 126.8 lakhs for the Bombay unit and Rs. 54.5 lakhs for the Bhavnagar Unit.
Assessment done by Mazagon Docks in January and June, 1973 about the value of fixed assets.	Rs. 5 lakhs for the Bombay Plant and Rs. 35 lakhs for the Bhavnagar Plant.
Assessment done by Mazagon Docks about the value of current assets and loans and advances.	.. Rs. 55 lakhs.
Extent of secured credit.	.. Rs. 60 lakhs from Bank of Maharashtra and Rs. 110 lakhs from State Bank of India.
Extent of Statutory liabilities and preferential payments like Bonus, provident Fund, ESI, Income Tax, Sales Tax, Wages & Salaries, Gratuity etc.	.. Rs. 64.10 lakhs
Total estimated liabilities	.. Approximately Rs. 340 lakhs.
Market value of Free-hold land held by the Company at Bombay	.. Approximately Rs. 40 lakhs (3 acres of land, calculated @ Rs. 300/- Sq. yard).

There are certain important and policy matter which I would like to raise and which should be a source of lesson for us for further guidance.

The Government have got ample powers regarding corporate sector under its companies laws, regarding the powers to hold investigations, section 237 (b) says.

> "That the business of the company is being conducted with intent to defraud its creditors members or any other persons, or otherwise for a fradulent or unlawful purpose, or in a manner oppressive of any of its members, or that the company was run for any fradulent or unlawful purpose." etc.

This means that the Ministry of Law is fully empowered to hold investigations if there are certain scandals or malpractices are going on in a company. Such powers were not utilised in respect of Alcock Ashdown Co. Ltd. Also under Section 408 the government can appoint two Directors from there side to participate in the meeting and also to check in case any wrong decision was being taken. Let the hon. Minister explain why those powers were not utilised. Similarly the representatives of our Finanicial institutions, which include banks also, too do not exercise the powers given to them. In this connections I would like to quote a few lines from a Finanical news paper :—

> "Amidst all these down-to-earth problems, one may also be permitted to ask what exactly the representatives and directors of the public financial institutions are doing while sitting on the boards of large corporate enterprises. Even if they are not, say, technologists or production experts, they will not deny that they are thereto safeguard the public money poured into them. In what manner, then, do they discharge their fundamental function in this respect? By definition, they ought to be as good a watch dog and representative of the public interest as any future bureaucrat or administrator will ever be."

This has been happening in respect of many companies. However, he deserves thanks and praise in respect his efficiency in dealing with the case in which Kapadia brothers were all out to grab the electrical companies of Ahmedabad and Surat, and the intervention of the hon. Minister (he was the LIC Chairman then) proved very successful in saving those companies from going to Kapadias. But why timely intervention is not made in respect of the companies too? Similiary the Labour Ministry should also come forward when the Labour is in peril.

The production of this company is of great importance and pertains to our defence preparations. I wonder how the Ministry of Defence remained silent spectators in this matter. They should have alerted this House also about the fradulent activities of that company.

It has been said that such a havy amount of compensation is being given because of the decision by the Supreme Court. But in respect of such illusony compensation the Supreme Court has declared vaild the Section 2(a) and 2(b) of the constitution (Twenty-fifth) Amendment Act.

Therefore I do not agree with the hon. Minister on this issue and vehemently oppose this compensation proposed to be given by this Government of worthless people.

This company , as per my information, had original shares worth Rs. 35 lakhs but bonus shares worth Rs. 48 lakh. This system of having bonus shares is very much against the spirit of Garibi Hatao, Samajwad and Eradicate Unemployment movements

These bonus shares are nothing but a cruel exploitation of the labour and at the cost of national interest. I, therefore, oppose the continuance of bonus shares which are nothing but the rewards of prizes or the awards given to the share holders for their help in looking the company. For instance a study of the Annual Report of J. K. Synthetics and also the statement of the chairman would show that the company too has gone into the hands of dacoits who are out to suck it up completely.

This Alcock Ashdomn Co. Ltd. is having even more bonus shares. Are the Government sleeping? Would the hon. Minister assure us at least in the future that proper check and a strict eye would be kept on the entire corporate sector so as not to allow the vested interests to suck the companies ? With this hope I conclude.

Shri Shiv Nath Singh : The massive support and welcome given here to the take over by the Government of Alcock Ashdown Groups proves that the entire nation favours nationalisations. But at the same time I recollect with concern the distressing feelings expressed by Shri C. Subramaniam two days ago the nationalisation bring with sit a lot of labour troubles and problems so much so that we try to avoid this headache of Nationalisation. I would therefore, request the hon. Minister Shri T.A. Pai to handle the management of this company in such a manner that Shri Subramaniam does not get a chance to repeat his painful but very much time feelings.

The Government are well aware that this company had been running in loss since 1969 and as rightly pointed out by Shri Madhu Limaya the concerned authorities and the official machinery kept on sleeping would the hon. Minister therefore assume that the Government machinery would be kept alert and vigilent in future and timely action would be taken in case some company acts in such a way ?

Secondly, I do not know the exact figures of liabilities and assets of this company. Government must be aware and they should have taken the House into confidence by placing the details before the House indicating the book valued and real value etc. He should place all these things before us otherwise how would he justify the grant of so much compensation.

You have prescribed penalties of fines and also punishment upto two years' imprisonment for not handing over to the Government all the properties, assets,plans, accounts, possession etc. I would like to say in this respect that fines only or small punishments do not matter much for those who have defrauded the company's huge amounts. Then you have not defined the quantities or magnitude of the fine also. I would urge that strict punishment should be prescribed and that punishment also should be well defined.

You propose to give away Rs. one crore to the creditors and contributors but you have not spelt what would you have to recover the due of the labours from them. This is a lacuna in the Bill. How would you recover the wages, provident funds etc. of the workers ? Kindly remove this lacuna also.

Finally I would point out that this amount of Rs. 1 crore is not based on any justification. Let this be explained to the House and let him also assume Shri Subramaniam that management would be so handled that there would be least labour troubles after the take over.

श्री पोपटलाल एम० जोशी (बनासकंठा) : माननीय सदस्यों ने कहा है कि कम्पनी को 1969 से घाटा हो रहा है। न्यायालय में कम्पनी के परिसमापन का आदेश दिया था और 1972 में "रिसीवर" की नियुक्ति की गई थी। दो वर्ष बीत गए हैं। मैं नहीं समझता कि सरकार ने दो वर्ष क्यों बीतने दिये।

जब "रिसीवर" की नियुक्ति पहले ही हो चुकी थी तो पर्याप्त सावधानी बरती जानी चाहिये थी। यदि ऐसा किया जाता तो देश को जो घाटा हुआ है उसे टाला जा सकता था।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : मैं दो बातों की ओर सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं। श्री मधु लिमये द्वारा सभा को दिये गए कम्पनी के कार्य-विवरण से कुछ चिंताजनक पहलुओं का पता चलता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि सितम्बर, 1970 में इस्कोम प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी ने कम्पनी की आस्तियों का मूल्यांकन किया जो 180 लाख रुपये होता है। जून, 1973 में मजगांव डाक ने इसका मूल्यांकन 110 लाख रुपये किया। यदि यह मूल्यांकन सही किया गया था तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि तीन वर्षों के दौरान 110 लाख रूपये के मूल्यांकन की आस्तियों को इस कम्पनी के प्रभारी प्रबन्धकों द्वारा हटाया गया था।

दूसरी बात यह है कि जब मैं बर्न एण्ड कम्पनी के प्रबन्ध ग्रहण पर बोला था तब मैंने कहा कि जब सरकार को इस सभा के समक्ष ऐसा विधेयक प्रस्तुत करना है, जिसमें वित्तीय-निवेश अन्तर्ग्रस्त होता है तो सरकार को सभा के समक्ष समूचा चित्र प्रस्तुत करना चाहिये।

इस विधेयक के अन्तर्गत एक करोड़ रुपये दिये जाने हैं। आंकड़ों का अध्ययन करने के पश्चात् पता चलता है कि यह राशि कम है। आखिर हम कुछ आस्तियों को हाथ में ले रहे हैं जिनका कुछ मूल्य है। प्रतिभू लेनदारों को देय बकाया राशि लगभग 234 लाख रुपये होता है। सरकार ने एक करोड़ रुपये की राशि किस मापदण्ड के आधार पर निर्धारित की है।

प्रतिभू लेनदारों और राष्ट्रीयकृत बैंकों को कुछ राशि दी जानी है। कितनी राशि दी जानी चाहिये ? इस बारे में सभा को निश्चित और विशेष ब्यौरा दिया जाना चाहिये।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह तर्क दिया है कि ऐसी कम्पनी को धन दिया जा रहा है जिसने अच्छा कार्य नहीं किया परन्तु निदेशक बोर्ड के सदस्य दे रहे थे। उन्होंने धन किस आधार पर दिया ? क्या उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार किया गया है जिन्होंने अनुत्तरदाई ढंग से धन दिया ?

मेरे मित्र, श्री नायक कह रहे थे कि यदि श्रमिकों को प्रबन्ध में शामिल किया जाना है तो श्रमिकों के इसके योग्य होना चाहिये या योग्य होने का अधिकार प्राप्त करना चाहिये। राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्ध बोर्ड में ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने निदेशक बोर्ड में होने का अधिकार प्राप्त किया था परन्तु उससे क्या हुआ उसका पता लग चुका है। मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि यदि किसी कम्पनी के श्रमिकों को उसका प्रबन्ध सौंपा जाए तो निश्चय ही उसमें सुधार होगा। हम राष्ट्रीयकरण चाहते हैं। यदि कोई यह समझे कि हम श्रमिकों से यह कह देंगे कि यह राष्ट्रीयकृत कम्पनी है तो वे अच्छा कार्य करने लगेंगे तो ऐसा कहना त्रुटि होगी। राष्ट्रीयकरण के प्रत्येक कार्य में समाजवाद का अंश होना चाहिये। श्रमिकों को इसमें शामिल किया जाना चाहिये अन्यथा श्रमिक का सरकार के प्रति भी वैसा ही रवैया होगा जैसा गैर-सरकारी नियोक्ता के प्रति होता है। श्रमिकों का विश्वास प्राप्त किया जाना चाहिये।

श्री टी० ए० पाई : मैं दोनों पक्षों के सदस्यों के भाषण सुनकर प्रसन्न हूं।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि एलकार एशडाउन कम्पनी 86 वर्ष पुरानी है और इस उद्योग का नवीकरण किया जाना चाहिये।

एलकोक एशडाउन बेहुत उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन कर रही है। इनमें से बहुत से एककों में पुरानी मशीनरी है परन्तु कभी-कभी उन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। परन्तु तथ्य यह है कि जब यह बंद हो गई तो हमने उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम के अन्तर्गत इसका निरीक्षण किया और पाया कि यह अधिग्रहण और चलाने के योग्य नहीं है क्योंकि मशीनें अभी भी पुरानी हैं। परन्तु भावनगर एकक अच्छा है। यह बजरे बना रहा है और छोटे जहाज भी बना सकता है। अतः गुजरात सरकार ने भी इसमें पूंजी लगा रखी है।

यह विचित्र बात है कि राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क स्थापित कर रही हैं और उस पर दबाव डाल रही है कि जब से कारखाने बंद हो जायें तो उनका अधिग्रहण किया जाये। इन सभी संकट ग्रस्त एककों की देखभाल का उत्तरदायित्व अन्ततोगत्वा केन्द्रीय सरकार का है और उन्हें हाथ में लेने तथा और अधिक पूंजी-निवेश करने से राष्ट्र को हानि होती है क्योंकि नई आस्तियों का निर्माण नहीं हो सकता। बहरहाल, श्रमिकों के लिये हमें कुछ कारखानों को अपने हाथ में लेने के लिये विवश किया गया है। यह मामला न्यायालय में गया था, कम्पनी का परिमापन किया जाना था। हम यह विधेयक सभा में इसीलिये लाये हैं कि न्यायालय के आदेश के अन्तर्गत आस्तियों को शीघ्र ही नीलाम किया जाने वाला था और उनको गैर-सरकारी व्यक्तियों के हाथ में जाने से नहीं रोका जा सकता था और हमने सोचा कि मजगांव डांक के समीप इस कम्पनी की जो भूमि और सम्पत्ति है वह रक्षा उद्योग के विस्तार के लिये बहुमूल्य आस्ति होगी।

श्री मधु लिमये ने पूछा है कि क्या मैंने रक्षा मंत्रालय से कहा है कि उसने इसकी छानबीन क्यों नहीं की। मैंने उससे इसकी छानबीन करने और अब इन आस्तियों का मूल्य सुरक्षित करने के लिये कहा था, हो सकता है इस तरह की बेकार आस्तियों को हाथ में लेने में उनकी दिलचस्पी न हो।

मैंने रक्षा मंत्रालय से आग्रह किया है कि वह यह सुनिश्चित करें कि बम्बई स्थित एकक की देखभाल किस प्रकार की जा सकती है। गुजरात सरकार भावनगर परियोजना का विकास करना चाहती है क्योंकि उससे इस परियोजना में कुछ धन लगा रखा है तथा वह इस एकक को पुनः चालू करना चाहती है ताकि वह देश के लिये लाभदायक हो सके।

अब प्रश्न यह है कि मुआवजे के रूप में कितनी राशि दी जानी चाहिये। कुछ माननीय सदस्यों ने बताया है कि यह राशि लगभग 340 लाख रुपये है। प्रतिभू लेनदारों को, चाहे वह हमारे हैं। चाहे किसी अन्य के, किसी भी मामले में मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता। हमें तो इस बात पर विचार करना है कि आज यदि आस्तियों को नीलाम करना हो तो उनका उचित मूल्यांकन क्या होगा।

श्री स्टीफन ने जो कुछ कहा है वह ठीक नहीं है। 'इस्कोन' ने 1970 में कुल 181.3 लाख रुपये का अनुमान लगाया था। 'इस्कोन' एक विशेषज्ञ निर्णय है। इसके पश्चात मजगांव डॉक्स खरीदार की दृष्टि से इसकी जांच कर रहा था तथा यह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसे अधिक धन न देना पड़े। मैं नहीं समझता कि इसमें बहुत अधिक अन्तर है क्योंकि इन आस्तियों का दूसरी बार मूल्यांकन किया गया था; वह मूल्यांकन तीन वर्ष पहले का था। भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थे। मशीनें काम चलाने योग्य नहीं थी। जो मशीनें चल रही थीं अथवा उनका कुछ मूल्य था। हमने विचार किया कि

भूमि सहित आस्तियों के अधिग्रहण के लिये एक करोड़ रुपया उचित है। उपदान संबंधी देयताएं, भविष्य-निधि संबंधी देयताएं जैसे अधिमानित लेनदार कुल मिलाकर 63 लाख रुपये बनते हैं और कानून के अनुसार सबसे पहले इन्हें देना होगा। जो शेष बचेगा उसे प्रतिभू लेनदारों अर्थात् बैंकों को देना होगा। मुझे खेद है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों को इस संबंध में कुछ राशि खोनी पड़ेगी। इस बात को उन्हें पहले से ही ध्यान में रखना चाहिये था।

कुछ सदस्यों का कहना है कि श्रमिकों के प्रतिनिधित्व के बिना राष्ट्रीयकरण का कोई अर्थ नहीं है। कालामैसरी जैसे एकक में, जहां के नेताओं में श्री स्टीफन भी एक हैं, 19 यूनियनें हैं। मैं नहीं समझता कि उनमें से कितने श्रमिकों को बोर्ड में रखा जा सकता है। मैं सिद्धान्ततः यह स्वीकार करता हूं कि श्रमिकों को सम्बद्ध किया जाना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि श्रम मंत्रालय श्रमिकों के प्रतिनिधियों के रूप में एक उद्योग में एक यूनियन बनाने संबंधी समाधान के लिये कुछ कदम उठायेगा। जहां तक संभव है, हमारे मंत्रालय में हम नीचे से ऊपर तक यह प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। मैं इस बात से सहमत हूं कि लोगों को सभी स्तरों पर सम्बद्ध करने के लाभदायक परिणाम होंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सामान्यतया देश की और विशेषतया रक्षा विभाग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अत्यावश्यक माल के युक्तिसंगत तथा समन्वित विकास और उत्पादन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए एलकोंक एशडाउन कम्पनी लिमिटेड के उपक्रमों के अर्जन तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 2

Clause—2

सभापति महोदय : हम खंडवार विचार करते हैं। खंड 2 पर कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill.

खंड 3

Clause 3

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : मैं इसे स्वीकार कर सकता क्योंकि कम्पनी का परिसमापन हो गया है। मैं केवल आस्तियों का अधिग्रहण कर रहा हूं।

46 LSS/73—9

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिये रखा गया तथा ग्रस्वीकृत हुग्रा ।

Amendment No. 1 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का ग्रंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा

The motion was adopted

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 was added to the Bill

खंड 4 से 6 विधेयक में जोड़ दिये गए ।

Clauses 4 to 6 were added to the Bill

खंड 7

Clause 7

श्री मधु लिमये (बांका) : मैं ग्रपना संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : मैं ग्रपने संशोधन संख्या 9, 10 ग्रौर 11 प्रस्तुत करता हूं ।

संशोधन संख्या 9, जो राशि ग्रदा की जायेगी, उसके बारे में हैं । ग्रभी मंत्री महोदय ने बताया कि यह राशि उस मूल्य के ग्राधार पर निर्धारित की गई है जो नीलामी होने पर मिलती । मेरा निवेदन है कि इस निर्धारण में न तो कोई मानक है ग्रौर न ही कोई सिद्धान्त । यह तदर्थ निर्धारण है ग्रौर मैं समझता हूं कि लोगों के धन के साथ खिलवाड़ करने का सरकार को कोई ग्रधिकार नहीं है ।

खंड 7 के उप-खंड (3) में इस बात का उल्लेख है कि जिस राशि को न्यायालय में जमा कराया जायेगा उसका उपयोग प्रतिभू तथा ग्रप्रतिभू लेनदारों के सम्बन्ध में कम्पनी की देनदारियां चुकाने में कैसे किया जायेगा । इस मामले को पूर्णतया स्पष्ट करने ग्रौर श्रमिकों के हितों की रक्षा में मैंने ग्रपने संशोधन संख्या 10 में सुझाव दिया है कि इस धनराशि का उपयोग सबसे पहले कम्पनी के कर्मचारियों की बकाया देनदारियों के लिये किया जाये तथा शेष धनराशि प्रतिभू तथा ग्रप्रतिभू लेनदारों को दी जाये ।

मेरे संशोधन संख्या 11 में कहा गया है कि न्यायालय को इस राशि को नियमित करने के संबंध में ग्रपनी प्रक्रिया निर्धारण करने का ग्रधिकार होगा । खंड 7 के उपखंड (3) में कहा गया है कि न्यायालय राशि का वितरण करेगा । परन्तु क्या प्रक्रिया तैयार की जा रही है इस बारे में कुछ नही कहा गया है । एक वर्ष के समय के ग्रन्दर ग्रन्दर यह प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिये जैसा कि मैंने ग्रपने संशोधन में बताया है ।

श्री टी० ए० पाई० : 1 करोड़ रुपये की राशि का निर्धारण सभी ग्रास्तियों के मूल्यांकन, जिनमें लिखित मूल्यांकन, फ्री-होल्ड भूमि के विपणन मूल्य, संयंत्र तथा मशीनों की हालत तथा ग्रन्य ग्रास्तियों का मूल्य शामिल हैं, के ग्राधार पर किया गया है ।

माननीय सदस्य का संशोधन विचित्र है । उन्होंने एक ग्रौर सिद्धान्त को शामिल करने का सुझाव दिया है, ग्रर्थात् श्रमिकों की देनदारियां पहले पूरी की जायें । मैं उनके संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता ।

सभापति महोदय : अब मैं श्री मधु लिमये और श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 5, 9, 10 और 11 मतदान के लिये रख रहा हूं।

सभापति महोदय द्वारा संख्या 5, 9, 10 और 11 संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments No. 5,9,10 and 11 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 7 was added to the Bill.

खंड 8

Clause 8

श्री डी० के० पंडा : मैं अपना संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मधु लिमये : मैं अपना संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : श्री पोपटलाल एम० जोशी के नाम से संशोधन संख्या 12, 13 और 14 हैं। क्या वह उन्हें प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

श्री पोपटलाल एम० जोशी (बनासकंठा) : जी हां।

सभापति महोदय : ये संशोधन बहुत देर से, अर्थात् 2 बज कर 35 मिनट म० प० पर प्राप्त हुए थे। नियमानुसार इन संशोधनों पर अनुमति नहीं दी जानी चाहिये परन्तु मंत्री महोदय उन्हें स्वीकार करना चाहते हैं। यह एक प्रथा बन रही है....

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : जब मैं बोल रहा हूं तो अपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस समय पर संशोधन भेजें। चूंकि उन्हें परिचालित नहीं किया गया है अतः माननीय सदस्य उन्हें पढ़ सकते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : चूंकि संशोधन देर से दिये गए हैं इसीलिये हमें यह पता नहीं है कि उनके संशोधन क्या है

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप समय कम कर दीजिये परन्तु संशोधनों की प्रतियां सदस्यों में परिचालित कीजिए।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): One thing more, Sir. Is there something personal in it ?

Mr. Chairman : No, no. There is nothing personal. I shall allow this amendment when clause 8 is taken up.

श्री पोपटलाल एम० जोशी : मैं अपने संशोधन संख्या 12, 13 और 14 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Ramavatar Shastri (Patna): Had the Government not accepted them, what would have been your attitude at that time ?

Mr. Chairman : That would have been decided at that time.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : उनका आशय क्या है ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : सरकार तो किसी भी समय संशोधन प्रस्तुत कर सकती है परन्तु गैर-सरकारी सदस्य तो ऐसा नहीं कर सकते।

श्री टी० ए० पाई : आपने जो कुछ कहा है उससे मैं सहमत हूं। यदि आवश्यकता हुई तो मैं स्वयं संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : मैंने माननीय सदस्य को संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दी है और वह प्रस्तुत कर चुके हैं। यदि वह उनके लिये आग्रह करेंगे तो वह मतदान के समय देखा जायेगा।

अब, श्री पंडा।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : कारखाने के श्रमिक इस बात में बहुत रुचि ले रहे हैं कि प्रबन्ध को ठीक किया जाये और उत्पादन में वृद्धि हो। श्रमिकों ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। वहां एक यूनियन है वह ये पत्र भेजती रही है। उसने एक पत्र कम्पनी की आर्थिक आत्म-निर्भरता के बारे में भी दिया है। जिन व्यक्तियों के हाथ में इस कम्पनी का प्रबन्ध है उन्होंने कम्पनी की समृद्धि की बजाय स्वयं की समृद्धि की आशा की है। अतः मंत्री महोदय से अनुरोध है कि यह मेरा संशोधन स्वीकार करें।

Shri Madhu Limaye (Banka): I have suggested the way of workers' participation in my amendments. The workers should be asked to nominate two of their representatives through secret ballot.

सभापति महोदय : श्री जोशी, आप अपने संशोधनों का क्या करना चाहते हैं ?

श्री पोपटलाल एम० जोशी : मैं अपने संशोधनों के लिये आग्रह नहीं कर रहा हूं।

श्री सेझियान : एक बार यदि संशोधन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह सभा की अनुमति से वापस लिया जाना चाहिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 87 के अन्तर्गत प्रस्तुत संशोधन सभा की अनुमति से ही वापस लिया जाना चाहिये। प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य ने सभा की अनुमति नहीं मांगी है।

सभापति महोदय : जब तक माननीय सदस्य यह नहीं कहते कि वह प्रस्तुत कर रहे हैं या नहीं तब तक मैं मतदान नहीं करवा सकता।

श्री रामावतार शास्त्री : वह पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं।

सभापति महोदय : मैं अब संशोधन संख्या 4 और 6 मतदान के लिये रखता हूं।

कुछ माननीय सदस्य : हम मतदान चाहते हैं।

सभापति महोदय : ठीक है मैं उन्हें अलग-अलग रख दूंगा। पहले मैं श्री डी० के० पंडा का संशोधन संख्या 4 मतदान के लिये रखता हूं।

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ :

The Lok Sabha divided:

पक्ष में : 15	**विपक्ष में : 81**
Ayes ; 15	**Noes ; 81**

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived.

सभापति महोदय : अब मैं श्री लिमये द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 6 मतदान के लिये रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 6 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 6 was put and negatived.

सभापति महोदय : संशोधन संख्या 12, 13 और 14 वापस लिये जाने के संबंध में क्या श्री पोपट लाल जोशी को सभा की अनुमति मिल गई है?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 12, 13 और 14 सभा की अनुमति से वापस लिए गये।

The amendment Nos. 12, 13 and 14 were, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 8 was added to the Bill

खंड 9

Clause 9

श्री मधु लिमये : मैं अपना संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 7 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 7 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 9 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 9 was added to the Bill.

खंड 10 और 11 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 10 and 11 were added to the Bill.

खंड 12

Clause 12

श्री मधु लिमये : मैं अपना संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करता हूं।

I request the hon. Minister to accept this amendment because I have put a new principle in it. Before implementing any rule, approval of it should be sought.

श्री टी० ए० पाई : मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 8 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 8 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 12 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 12 was added to the Bill.

खंड 1, अधिनियमन सूत्र प्रस्तावना और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the Enacting Formula, the Preamble and the Title were added to the Bill.

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

Shri Ramavatar Shastri (Patna): Almost all the hon. Members have pressed for the recovery of the amount, deposited by the workers from the employers. The money should be recovered from those who run the company and that amount should be given to the workers. Not even a single paisa should be given to the owners by the Government.

Defaulters should be prosecuted.

श्री टी० ए० पाई : मेरा उत्तरदायित्व राशि को न्यायालय में जमा कराने का है। जिन पार्टियों ने व्यक्तियों अथवा किसी कम्पनी या श्रमिक के विरुद्ध कोई अपराध किया गया है तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकार आवश्यक कार्यवाही करे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

तत्पश्चात लोक-सभा शुक्रवार, 7 दिसम्बर, 1973/16 अग्रहायण, 1895 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, December 7, 1973 Agrahayana 16, 1895 (Saka).

MGIPRRND—CR III NS—46 L.S.S./73—20-3-1974. 490